7115/Lib/12

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 सितम्बर, 1995

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

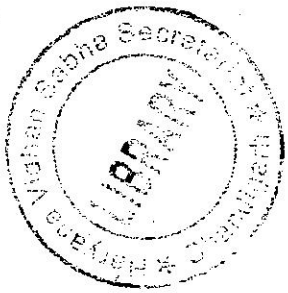

Vidhan Sabha Secretariat * Haryana * Chandigarh LIBRARY

विषय सूची

मंगलवार, 26 सितम्बर, 1995

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)24
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)27
अध्यक्ष द्वारा आवजर्वेशन—	
राज्य में आई बाढ़ पर बहस होने सम्बन्धी	(2)53
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(2)56
घोषणाएं—	
(क) अध्यक्ष द्वारा —	
(i) पैनल आफ चैयरमैन	(2)57
(ii) कमेटी आन पैटीशगज़	(2)57
(ख) सचिव द्वारा—	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(2)57
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(2)58

मूल्य :

27^ 01

सदन की मेज पर रखे गये/पुन: रखे गये कागज-पत्र (2) 60

वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना (2) 63

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना--

(i) प्रो0 सम्पत सिंह, एम0एल0ए0 तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध (2) 63

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध (2) 64

(iii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध (2) 65

(iv) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध (2) 65

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव--

राज्य में आई बाढ़ सम्बन्धी (2) 66

वैयक्तिक स्पष्टीकरण--

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा (2) 90

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (2) 91

बैठक का समय बढ़ाना (2) 113

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (2) 113

ERRATA

To

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 2, No. 2, dated the 26th September, 1995.

Read	for	Page	Line
पैंटीशन्ज	पैंटीशगूज	Title Page	19
belonging	beloging	1	11
सैंस	असैंस	6	16
in part	in a part	16	18
Suggestions	saggestions	39	8
Total	To al	44	13
clubbing together	clubbing a together	53	10
दोनों	दौमों	55	18
मैम्बरों	मम्बरों	55	16
बैठे	बठे	55	24
ने	से	56	30
सामान्य	सामन्य	66	33
रहे	रह	70	5
से	मे	70	30
कैम्पों	कम्पों	73	23
हुंड्डा	हुडडा	77	2
प्रदेश	प्रदश	77	36
प्रकोप	क्रोप	80	28
इस	स	81	31
ड्रेन	ड्रन	84	11
बैठ	बँ	85	19
डिप्टी स्पीकर सर,	डिप्टी स्पीकर,	92	10
वे	व	92	16
दूसरे	दसरे	94	18
हुआ	हुग्रा	95	8
पृष्ठ 96 और 97 पर अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष पढ़ा जाए			
ये	य	101	7

signatories	signaturies	101	19
Resumption of discussion	Resumption discussion	102	31
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	103	5
Assembly	Aesembly	103	18
touch	tuch	105	33
develop	development	105	45
लेकिन	किन	108	31
बूट	बूट	109	17
and	as	110	19
ambiguity	imbiguity	111	8
अनपालियामैंटरी	अनपालियामैंट	111	17
एस्केप	एक्सेप	111	31
सितम्बर	सितब्बर	112	Top right heading
तौ	ता	113	2
साबित	साबूत	114	2
बड़ी	बड़ी	116	17
मेरे	देरे	119	18
रहे, रातों	रहे कर, रातों	119	25

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 सितम्बर, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Persons Living Below Poverty Line

*1192. **Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the percentage of persons beloging to Scheduled Castes and Backward Classes living below the poverty line in the State at present separately; and

(b) the per capita income of the persons referred to in part (a) above in urban and rural areas in the State separately.?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :

(क) गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की पहचान "उपभोक्ता व्यय" सम्बन्धी नमूना सर्वेक्षण द्वारा की जाती है, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण का एक भाग है और पांच वर्षों के पश्चात् किया जाता है। वर्ष 1987–88 में योजना आयोग ने गरीबी रेखा को, पौष्टिकता की आवश्यकता जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले व्यय के आधार पर परिभाषित किया था। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित सूचना अलग से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इन श्रेणियों से सम्बन्धित सूचना ग्रामीण विकास तथा स्थानीय निकाय विभागों द्वारा लाभकारी प्रोग्रामों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से किये गए सर्वेक्षणों में उपलब्ध है।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

इन विभागों द्वारा वर्ष 1991–92 की कीमतों के आधार पर किये गये सर्वेक्षणों से उपलब्ध ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की प्रतिशत आवंटन नीचे दी गई है।

	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जातियां	40.6	33.5
पिछड़े वर्ग	21.5	संकलन नहीं किया

(ख) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की प्रति व्यक्ति आय अलग से तैयार नहीं की जाती।

डा0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के संबंध में न तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने कोई आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, न ही इन श्रेणियों से संबंधित सूचना ग्रामीण विकास तथा स्थानीय निकाय विभाग ने दी है। और न इन अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। इसके बावजूद सरकार द्वारा यह दावा है कि वह पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के कदम उठा रही है। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों के अभाव में यह अन्धेरे में लाठी मारने वाली बात है। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा इनके बारे में आखिरी सर्वेक्षण कब किया गया था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब से वर्तमान मन्त्रिमंडल का गठन हुआ है, तब से यानि जून, 1991 से अब तक ऐसे कौन से नए पग उठाए गए है जिन से इन वर्गों का जीवन स्तर या इनकी स्थिति को बेहतर बनाया गया है? मैं यह बात सरकार के ऊपर ही छोड़ता हूं कि क्या वह इन पगों को कारगर मानती है, क्या इनकी हालत सुधरी है क्या सरकार चाहेगी कि इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है, उसका ब्यौरा इकट्ठा किया जाए ताकि एक आधार बनाया जाए कि गरीबी की रेखा से कितने आदमी नीचे हैं? क्या सरकार इस बारे में अब कोई सर्वेक्षण करेगी?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को जवाब में बताया है कि केन्द्रीय सरकार के योजना विभाग की तरफ से यह कार्य किया जाता है। 1987–88 की जो सर्वे रिपोर्ट थी वह स्टेट के पास आंकड़ों के साथ उपलब्ध है। उसकी सूचना मैंने पटल पर रखी है। हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है, अपनी स्टेट की एजैंसी के आधार पर सर्वे करने का, वह एच0 आर0 डी0 ए0 और लोकल बाडीज के द्वारा प्रयास किया गया है। हमारी स्टेट में इतने ऐसे आदमी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उसको 1991–92 की जो रिपोर्ट आंकड़ों के आधार पर आई है, वह मैंने आपको बताई है। हरियाणा प्रदेश में टोटल परिवारों की संख्या 26 लाख है जिनमें से 6.29 लाख परिवार शिड्यूल्ड कास्ट्स से संबंधित हैं जो गरीबी

रेखा से नीचे हैं इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज के 2.55 लाख परिवार रूरल एरिया के हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और अर्बन एरियाज में 1.35 लाख बैकवर्ड क्लासिज के परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है। जो फार्मूला केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले व्यय के आधार पर परिभाषित किया था लेकिन हमने इसका एक आल्टरनेट रास्ता निकाल कर आय के हिसाब से फार्मूला बनाया है। जिस परिवार की रूरल एरियाज में 11 हजार रुपए पर ईयर इकम है, उसको गरीबी की रेखा से नीचे रखा गया है और अर्बन एरियाज में जिस परिवार की आय 11850 रुपए पर-ईयर है, उनको गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। ऐसे परिवारों को सरकार हर साल गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए भिन्न भिन्न एजैंसियों के द्वारा प्रयास करती है। रूरल और अर्बन एरियाज में जितने भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको सरकार भिन्न भिन्न स्कीमों द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के प्रयास कर रही है। मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि हिन्दुस्तान के 25 प्रदेशों में हरियाणा का चौथा नम्बर आता है जिसने गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को ऊपर उठाने के लिए हर तरह की एजैंसी काम कर रही हैं। सरकार की हर वक्त यह कोशिश रहती है कि प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बना कर लाभ पहुंचाया जाए और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए।

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मेरा काम छात्रों को पढ़ाने का भी रहा है इसलिए मुझे पता है कि जब क्वेश्चन पेपर हल करना होता है तो कई छात्र जिनको जिस सवाल का जवाब याद होता है, वह उसी सवाल का जवाब लिख देते हैं मंत्री जी का भी यही हाल है। मैंने तो इनसे 1987-88 के बारे में पूछा ही नहीं। केन्द्रीय सरकार के जो आंकड़े मौजूद हैं वह ले लिए हैं। मैंने इनसे यह पूछा है कि सरकार ने इस बारे में कौन से नए कदम उठाए हैं? मैंने इनसे जो सवाल पूछा है उसका इन्होंने 33 परसैंट भी जवाब नहीं दिया, यदि ये उसका 33 परसैंट जवाब दे देते तो इनको पास मार्क्स मिल जाते।

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल यह तो नहीं पूछा है कि क्या नए पग उठाए हैं।

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैंने सप्लीमैंटरी पूछी है कि क्या नए कदम उठाए है?

श्री मांगे राम गुप्ता : डाक्टर साहब, गरीब लोगों की जरूरत के मुताबिक सरकार ने उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। डाक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं मैंने बताया कि सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की एजेंसियां चलाई जैसे आई0आर0डी0पी0 की स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से लोगों को बहुत ज्यादा सहायता देते हैं। यह सहायता सबसिडी के रूप में भी है और लोन के रूप में भी है इसी प्रकार से दूसरी और एजेंसियां है।

Construction of Ponds

*1193. Smt. Chandravati : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the district-wise number of ponds/tanks constructed/dug out during the period from January, 1991 to 31st March, 1993 and from 1st April, 1994 to 1995 to-date togetherwith the expenditure incurred thereon ; and

(b) whether the persons, engaged for the aforesaid work belong to same villages in which ponds have been constructed/ dug out ?

विकास तथा पंचायत मंत्री (राव बंसी सिंह) :

(क) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) उपर्युक्त कार्य के लिए आमतौर पर उसी गांव अथवा आस-पास के गावों के व्यक्ति ही लगाए गए।

विवरणी

क्र0 सं0	जिले का नाम	खोदे गए तालाबों/ जोहड़ों की संख्या (जनवरी, 91 से मार्च, 93)	खर्च (लाख रुपयों में)	खोदे गये तालाबों/ जोहड़ों की संख्या (अप्रैल, 94 से 1995 तक)	खर्च (लाख रुपयों में)
1	2	3		4	5
1.	अम्बाला	18	7.27	5	2,19
2.	भिवानी	66	25.45	164	111,77
3.	फरीदाबाद	शून्य	—	1	0.65
4.	गुड़गांवा	शून्य	—	शून्य	—
5.	हिसार	103	49.06	110	62.82
6.	जींद	शून्य	—	शून्य	—
7.	कैथल	4	2.95	9	3.65
8.	करनाल	शून्य	—	शून्य	—
9.	कुरुक्षेत्र	शून्य	—	शून्य	—
10.	सोनीपत	14	3.96	57	49.70

1	2	3	4	5
11. पानीपत	शून्य	—	शून्य	—
12. रिवाड़ी	21	3.17	03	05.82
13. रोहतक	102	28.20	5	1.13
14. सिरसा	123	46.09	239	42.22
15. सोनीपत	24	5.56	6	2.15
16. यमुनानगर	शून्य	—	2	8.83
कुल योग	475	181.63	701	482.93

*टिप्पणी : पंचकूला जिले से सम्बन्धित सूचना जिला अम्बाला की सूचना में शामिल है।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि लोहारू, बाढड़ा और छुछकवास में तालाब खोदने का कार्य करवाया गया है, यदि करवाया गया है तो उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है ?

राव बंसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने अलग-अलग गांवों का स्पेसिफिक नाम अब पूछा है जबकि मेन सवाल इनका जिलेवाईज था कि कितने कितने तालाब प्रत्येक जिले में खोदे गए। मेरे पास इन द्वारा पूछे गए गांवों के बारे में भी सूचना आ गई है। मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि बाढ़ड़ा ब्लाक के चांदवास, हंसावासकलां, कादमा, जेवली, बिलावल, मांहडी हरिया पिचोपा कलां लाड, आर्य नगर, बिन्दरावन में तालाब खोदे गए। इसी प्रकार से लोहारू हल्के के बुढ़ेड़ी, बागड़वास, सेरसा, कुशालपुरा, चहड़कलां, चहड़खुर्द, फरतीमा खेहर, हरियावास, सिंघानी एक, सिंघानी दो, सिंघानी तीन, मनफेरा, पहाड़ी, बिठन सेहतसारा, बिठन-2 बिधावा सामयान गांवों में तालाब खोदे गए हैं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये तालाब खुदवाने जरूरी थे। दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये तालाब आस-पास के लोगों से खुदवाए गए हैं और क्या इन तालाबों के खुदवाने में ट्रैक्टर भी एम्पलाई किए गए थे।

राव बंसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जे0 आर0 वाई0 की स्कीम के तहत जो पैसा दिया जाता है वह सीधा गांव में पहुंचता है। 80% पैसा भारत सरकार देती है और 20% पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके तहत गांव वाले अपनी स्कीम बना कर हमारे पास भेजते हैं कि हमारे फलां गांव में तालाब बनाया जाए। जिला महेन्द्रगढ़ और बहन जी का जिला भिवानी, यहां पर पीने के पानी

[राव बंसी सिंह]

की समस्या है, वहां के गांवों की पंचायतें अपने गांवों के लिए स्कीम बनाकर भेजती हैं। स्कीम के मुताबिक पैसा सीधे गांव की पंचायत के पास जाता है और वह अपने आप उसको तालाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तालाब खोदने के लिए जो लेबर लगाई जाती है वह 99% गांव से ही लगाई जाती है और अगर आस-पास के गांव से कोई मजदूर आ जाए तो उसको भी लगा लिया जाता है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, जो भी तालाब खुदवाए गए हैं इनमें मैनडेज की स्कीम को फौलो नहीं किया जा रहा है। मेरे हल्के के खोरड़ा गांव में 5–6 तालाब खुदवाए गए हैं, इसके साथ ही साथ 3–3 और जोहड़ खुदवाए गए हैं जो सभी ट्रैक्टर्ज इस्तेमाल करके खोदे गए हैं। इनमें मैन-डेज के आधार पर मजदूर लगाकर तालाब नहीं खोदे गये हैं क्या मंत्री महोदय इस बारे में बताएंगे कि ये तालाब ट्रैक्टर से खुदवाए गए हैं या कि मजदूरों से?

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने भाई को बताना चाहता हूं कि इस परपज के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वह गांव वालों की मर्जी से खर्च किया जाता है, हम तो केवल टैक्नीकल राय ही देते हैं। एक्सीयन और बी0 डी0 ओज0 की जिम्मेदारी में सारा काम होता है। जो तालाब खोदे जाते हैं वे गांव वालों द्वारा खोदे जाते हैं, हमारी तरफ से गांव वालों पर कोई असैस नहीं है। उनका रैजोल्यूशन आता है और रैजोल्यूशन आने के बाद हम सारे जिले की डिमांड लगाकर भेज देते हैं। 80% भारत सरकार से पैसा आता है और 20% राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है।

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, चौधरी जिले सिंह जी ने जो सवाल पूछा था वह कुछ अधूरा रहा है। जिस गांव से रैजोल्यूशन आता है उसके लिए सरकार पैसा देती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो काम करवाया जाता है, क्या उसके लिए मैन–डेज यूज होते हैं या कि ट्रैक्टरों के जरिये से तालाब खुदवाये जाते हैं, ये इस बारे क्लीयर कट जवाब देने की कृपा करें। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह स्कीम बेसिकली रूरल ऐरियाज के लिए ही है और तालाब खुदवाने के लिए कितने मैन–डेज खर्च हुए हैं? 6 करोड़, 64 लाख, 56 हजार में से कितना काम मैन–डेज के द्वारा हुआ है और कितना काम ट्रैक्टर्ज के जरिये से करवाया गया है? इसके साथ ही मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी कम्पलेन्ट इनके पास या इनके विभाग में आई है जिसमें मैन–डेज की बजाए काम ट्रैक्टर्ज के जरिये करवाने की शिकायत की गई है, अगर कोई शिकायत आई है तो इन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की है?

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रो0 सम्पत सिंह जी को बताना चाहूंगा कि यह स्कीम गरीबों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ही है।

जहां तक इन्होंने शिकायत प्राप्त होने के बारे में पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब से मेरे पास यह महकमा है, मेरे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है (विघ्न) मेरे पास आज तक एक भी शिकायत नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब से यह बात साफ है कि जो पैसा खर्च किया जाता है, वह गरीबों के लिए रोजगार जुटाने के लिए खर्च किया जाता है। हमारे माननीय अपोजीशन के लीडर ने यह पूछा है कि कितने मैन डेज लगा कर काम करवाया गया है। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1991-92 में 36 लाख, 3 हजार रोजगार की दिहाड़ियां दी गईं, 1992-93 में 32 लाख, 63 हजार, 1993-94 में 34 लाख 93 हजार तथा 1994-95 में 33 लाख 96 हजार तथा वर्ष 1995-96 में अगस्त मास तक 4 लाख 58 हजार लोगों से दिहाड़ियों पर काम करवाया गया है, ये मैन-डेज रहे हैं।

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो मैनडेज का पैसा है उसको जोड़ लें और मैनडेज से भाग करेंगे तो एक आदमी पर रोज का पांच रुपए भी नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो आप टोटल कर के देख लें।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के थोड़ा सा समझने में फर्क रहा है। जो मैंने बोला है वह जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा विकास योजना के बारे में है। ये अलग अलग स्कीमें हैं। अध्यक्ष महोदय 45 रुपए 60 पैसे प्रति व्यक्ति दिहाड़ी पर दिया जाता है।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने खुद या किसी बड़े आफिसर ने मौके पर जाकर देखा है कि जोहड़ों को वाकई खोदा गया है या नहीं? जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने जोहड़ों पर कब्जा कर रखा है। मेरे हल्के में ज्यादातर पीने के पानी की प्रोबलम है और वहां पर जोहड़ों की खुदाई ही नहीं हुई है।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी की संतुष्टि के लिए बताना चाहता हूं कि मैंने कम से कम 100 के लगभग ग्राम पंचायतों का दौरा किया है और खुद जाकर देखा है। जिस तरह से इनका जिला रेतीला है उसी तरह से मेरे जिले का इलाका भी रेतीला ही है। अध्यक्ष महोदय, इनके यहां पर 66 जोहड़ एक बार बनाए हैं और 164 जोहड़ एक बार फिर बनाए हैं अगर फिर भी कोई कमी हो तो ये मुझे बता दें और हम दोनों वहां पर ज्वायंट इन्सपैक्शन कर लेंगे।

श्री अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, वह तो यही बताते हैं कि पैसा पांच जिलों में ही खर्च हुआ है। क्या गुड़गांव और फरीदाबाद में जोहड़ खुदवाने की जरुरत नहीं थी, क्या वहां के लोगों को रोजगार देने की जरुरत नहीं थी? क्या इन पांच जिलों के अलावा किसी और जिले में इसकी जरुरत नहीं थी?

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत से जिले ऐसे नहीं हैं जहां पर जोहड़ खुदवाने का काम हुआ है। यह काम जे0आर0वाई0 के तहत जोहड़ खुदवाने का नहीं हैं ये इसमें और भी कई काम आ सकते हैं जोकि वहां की पंचायतों पर डिपैन्ड करता है। जहां कि पंचायत जो काम करवाना चाहे वह उनकी जरूरत के मुताबिक कर दिया जाता है। जैसे भिवानी, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी डिस्ट्रिक्टस हैं, उनके अन्दर भी इस तरह से ही तालाबों को खोदा गया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जैसे ई0एस0टी0 है, जे0 आर0 वाई0 हैं, इनके अन्दर भी हम इन कामों के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी अन्य स्कीम्ज भी हैं जिनके अन्दर हम खुश्क इलाकों में पैसा खर्च कर सकते हैं, इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना कि इस मामले में भेदभाव हो रहा है, ठीक नहीं है इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है क्योंकि पैसा सैंटर से सीधे डी0 सीज0 के पास आता है और वे ही इस पैसे को खर्च करवाते हैं।

Construction of Bus Stand at Rajaund

*1190. **Shri Ram Kumar Katwal**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether the construction work of the Bus Stand at Rajaund has been started ; if so, the progress made in this regard, so far ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह): जी हां। निर्माण कार्य चौखट स्तर तक हो चुका है।

श्री राम कुमार कटवाल: स्पीकर साहब, पिछले साल के मानसून सत्र में मैंने यह सवाल पूछा था। मैं मंत्री जी का बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने कम से कम यह तो माना कि इस बस स्टैंड के निर्माण का कार्य चौखट तक पहुंच गया है। सर, 1990 में यह बस स्टैंड बनना चालू हुआ था लेकिन अभी तक यह केवल चौखट तक ही बना है, इसलिए मुझे तो चौधरी भजन लाल जी की सरकार पर विश्वास नहीं है कि यह सरकार इस बस स्टैंड को बनवा पाएगी। सर, वहां पर ईंटें भी पड़ी हुई हैं, बजरी भी पड़ी हुई है, सरिया भी पड़ी हुई है, यानी सारा मैटीरियल वहां पर पड़ा है, फिर भी इनकी नीयत उस बस स्टैंड को बनवाने की नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार उस बस स्टैंड को कब तक बनवा देगी ?

श्री बलबीर पाल शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस से और माननीय सदस्य से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार की नीयत में कोई भी खोट नहीं है। हमने इस बस स्टैंड को बनवाने के लिए पी0डब्ल्यू डी0 (बी0एंड आर0) के पास पांच लाख 46 हजार रुपये जमा करवाए हुए हैं और मैं इनको आश्वासन देता हूं कि हम दस लाख रुपये इनके लिए 15 दिन के अंदर-अंदर और रिलीज कर देंगे। सर, पिछले दो तीन महीने से इस बस स्टैंड का काम बारिश की वजह से रुका पड़ा था। चूंकि हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए उसी हिसाब से पैसा रिलीज किया जाता है। हमारी यही कोशिश रही

है कि जो भी काम चालू हुए पड़े हैं, चाहे वह पिछली सरकार ने ही क्यों न चालू किए हों, हम उनको पूरा करेंगे। इसराना, समालखा और महेन्द्रगढ़ आदि कई बस स्टैंड ऐसे हैं जिन पर पिछली सरकार ने काम चालू करवाया था लेकिन हमने उनको पूरा किया है और चौधरी भजन लाल जी ने इनका उदघाटन किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको शक नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बस स्टैंड का काम 90 दिन में पूर्ण कर दिया जाएगा।

श्री राम कुमार कटवाल: सर, मंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार के काम इन्होंने किए हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि * * * *

श्री अध्यक्ष: ये जो शब्द कह रहे हैं, उनको रिकार्ड न किया जाए।

Handing over of Thermal Power Plants

*1194. **Prof. Chhattar Singh Chauhan**: Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to handover the Thermal Power Plants to private sector, if so; the reasons thereof ?

Power Minister (Sh. Verender Singh) : No, Sir However private participation has been sought through competitive bidding for construction of Unit-VI of Panipat Thermal Project in view of constraints of resources.

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पानीपत और फरीदाबाद थर्मल प्लांटस की कितनी कितनी यूनिटस हैं और उन यूनिटस की कितनी वर्किंग कैपेसिटी है एवं इस समय ये कितनी परसैंटेज में बिजली बना रही हैं ? इसके अलावा, क्या एन0 टी0 पी0सी0 ने हरियाणा सरकार से यह नहीं कहा है कि आपके थर्मल प्लांटस की बिजली की जनरेशन की परसैंटेज बहुत ही कम है और अगर आप हमें यह थर्मल प्लांटस दे देंगे तो हम इनकी बिजली की जनरेशन की परसैंटेज 75 परसैंट तक कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : जो क्वैश्चन आप पूछ रहे हैं, वह इससे अराइज नहीं होता।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : सर, अब मैं इसी से रिलेटेड पूछ लेता हूं। स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने खुद ही माना है कि private participation has been sought, क्या यह मानते हैं कि 1987-88 में ये बिजली मंत्री थे और आज भी बिजली मंत्री हैं, क्या उस समय के बिजली बोर्ड और आज के बिजली बोर्ड की कार्यकुशलता में कुछ कमी आ गई है जिसके कारण ये प्राइवेट पार्टीसिपैन्स के लिए ये तैयार हैं ? आज जो बिजली की कमी है क्या यह आपके महकमे की इनऐफीशिएंसी का द्योतक नहीं है?

*Not recorded as ordered by the Chair.

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, जो इससे रैलेवैन्ट सवाल था वह तो मेरे साथी ने पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूं कि मौजूदा सरकार, बिजली की जो रोजाना की बढ़ती हुई मांग है उसके लिए बहुत ही चिंतित है और इसीलिए बहुत सारे कदम बहुत ही थोड़े दिनों के अंदर उठाए हैं जिससे जो बढ़ती हुई मांग है उसे पूरा किया जा सके । जहां तक यूनिट–6 का सवाल है, इसके लिए प्राइवेट पार्टीसिपैन्ट्स से बिड्स इनवाइट किए हैं और इसमें अपना हिस्सा भी हमने रखा है । मेरे साथी जो एन0टी0पी0सी0 की बात कर रहे हैं कि एन0टी0पी0सी0 ने हमें यह कहा है कि यह यूनिट हमें दे दो, हम इसकी ऐफीशियैंसी और वर्किंग बढ़ा देंगे । एन0टी0पी0सी0 ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि हमने उन्हें ऐप्रोच किया था और चौधरी बंसी लाल जी भी बार–बार यही कहा करते थे तो हमने कहा कि यूनिट–6 को अगर आप बनाना चाहें तो बनाइए, हम आपको आफर दे रहे हैं और उसके लिए एन0टी0पी0सी0 ने जो कंडीशन रखी, वह भी मैं विस्तार से बता सकता हूं लेकिन कंडीशन हमें मंजूर नहीं थी इसलिए अब हम इसको प्राइवेट पार्टीसिपैन्टस के साथ मुकम्मल करेंगे । इसके अलावा भी हमने बहुत सारे पग उठाए हैं । समय अनुकूल होगा तब हम बता देंगे कि बिजली के सैक्टर के लिए सरकार कितनी चिंतित है।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि यूनिट–6 कब शुरू की गई, कितना धन इस पर खर्च हो चुका है और कितना होना इस पर बाकी है ? जब हरियाणा बिजली बोर्ड इसको बना रहा है तो क्या जरूरत पड़ गई है कि आगे प्रोग्रेस बन्द करे और अब एक प्राइवेट पार्टी को आप बुला रहे हैं, क्या इससे प्रदेश में महंगी बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, जहां तक यूनिट–6 का ताल्लुक है, इसको हमने 1989 से शुरूआत की थी और अगर यह शुरुआत हुई–हुई रहती, काम चलता रहता तो दिसम्बर–93 में इस यूनिट को कमीशन हो जाना था । पैसे का फाइनैंशियल कंसट्रैंट बहुत ज्यादा हुआ है । मशीनरी 120 करोड़ के लगभग की थी, वह मशीनरी अभी है लेकिन इसको पूरा नहीं कर सके । फाइनैंशियल कंसट्रैंट के कारण । अब भी बिजली बोर्ड में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप में यह इसको मुकम्मल कर ले इसलिए प्राइवेट पार्टी की जरूरत पड़ी और आज जमाना भी प्राइवेटाइजेशन का है, इस बात का आपको भी पता है, अध्यक्ष महोदय और इस हाउस के सभी माननीय मैम्बर्ज को भी पता है कि आज कितना खर्चीला काम हो गया है । जहां पहले यह यूनिट 238 करोड़ में तैयार हो जाना था, जून, 1994 में इसकी प्राइस बढ़कर 405 करोड़ के करीब हो चुकी थी और आज के दिन बढ़कर लगभग

500 करोड़ के करीब हो गई होगी । इसीलिये हमें प्राइवेट सैक्टर में पार्टीसिपेट करने की आवश्यकता पड़ी ।

प्रो० रामप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी ऊर्जा मन्त्री महोदय ने फरमाया कि 1989 में यूनिट नम्बर 6 पर इन्होंने काम शुरू किया था मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस यूनिट पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ? इसके साथ यह भी बताएं कि जो इन्होंने प्राइवेट ग्लोबलाईजेशन से टैन्डर काल किये थे, उसमें कितने प्राइवेट कंपनियों के टैन्डर इनके पास आए और इस प्रौसैस को इन्होंने कितना आगे बढ़ाया ? कहीं ऐसा न हो कि डाभोल प्रोजैक्ट व एनरान जैसा हाल हो जाये और बाद में रामराज्य की सरकारों को आकर ऐसे प्रोजैक्टस को फिर रद्द करना पड़े । इनमें प्रौसैस कहां तक पहुंचा है, यह जानकारी भी दें ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये हमारे साथी बहुत पुराने हैं। इनको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अगर इनकी सरकारें आती रहीं तो यूंही सब कुछ कैंसिल होता रहेगा, ऐसा भी नजर आता है । कोई प्रोग्रेस इस देश व प्रदेश की नहीं हो सकेगी । आज तक अध्यक्ष महोदय, लोगों ने देख लिया है कि बाकायदा मशीनरी खरीदी गई है और बहुत सारे सिविल वर्कस भी हुए हैं जिस पर लगभग 120 करोड़ के करीब खर्चा भी हो चुका है । मशीनरी और सिविल वर्कस बिल्कुल इंटैक्ट हैं । जहां तक प्राइवेट पार्टीसिपेशन का सम्बन्ध है, उस बारे में हमने न्यूज पेपर्ज के द्वारा आफर दी थी और टैक्नीकल बिड्ज 11 सितम्बर को खोल दी गयी है । और हम इनको एग्जामिन कर रहे हैं । फाइनैंनशियल बिड्ज को तब खोलेंगे जब यह टैक्नीकली पूरे पैरामीटर से उतर आएगी ।

प्रोफैसर सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बिजली मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट के उपर कुल कितनी लागत आएगी ? यह बता रहे हैं कि पैसे की कमी रही है । इसके साथ यह भी पूछना चाहता हूं कि जो बिजली की जनरेशन होगी उसमें हमारा कितना हिस्सा होगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगी ? दूसरा मैनेजमेंट में हमारा कितना हिस्सा होगा ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिस्सेदारी का सवाल है उसमें हरियाणा सरकार का भी हिस्सा हो सकता है और बिजली बोर्ड का भी हिस्सा हो सकता है । हमने दोनों आप्शन ओपन रखी हैं । जब यह बिड्ज ओपन हो लेंगी और बाद में जब हमारी बात नैगोशीऐशन पर आएगी, तब तय किया जाएगा कि हम कितना हिस्सा अपना रखेंगे, । यह तो समय के अनुसार देखा जाएगा कि मेजर हिस्सा रखें या माइनर रखें लेकिन हम जरूर रखेंगे, यह आश्वासन हाउस को देता हूं । दूसरी बात यह है कि बिजली का प्रयोग कौन करेगा । सारी बिजली हमारी होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करेंगे क्योंकि ट्रांसमीशन सिस्टम हमारा अपना है । यह एक ज्वांयट वैन्चर कम्पनी होगी, मिल जुल कर जनरेशन करेंगे, वे भी अपना हिस्सा रखेंगे और हम भी रखेंगे ।

श्री सतबीर सिंह का ध्यान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि इस प्रोजैक्ट पर 120 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । क्या ये बताएंगे कि जो स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके लिए इन्होंने कितना पैसा निर्धारित किया है और जो कण्डज हैं, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे और उसको इंस्टाल करने में कितना धन लगेगा ? इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि गांव खुखराना में प्रदूषण फैलेगा, उसको रोकने का इन्तजाम आप कब तक कर देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पैसा तो हमने खर्च कर दिया है । जब हम हिस्सेदारी की बात उनसे करेंगे उस समय एडजस्टमैंट हो जाएगी और जहां तक गांव में प्रदूषण की बात है, इसके लिए हम यत्न करेंगे कि उस गांव के लोगों को किसी किस्म की भी तकलीफ न होने पाए ।

Amount of loan/grant given to Municipal Committees and Nagar Parishads

*1197. **Shri Ram Bhajan Aggarwal** : Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) the total amount of loan given to each Municipal Committee in the State during the years 1992-93 and 1993-94 ; and

(b) the total amount of loan and grant given to each Nagar Parishad in the State during the years 1992-93 and 1993-94 separately ?

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) :

(a) During the years 1992-93 and 1993-94, no loan has been advanced to any of Municipal Committees (B and C Class,) except Municipal Committee, Palwal in the State.

(b) Statement showing the disbursement of loans and grants to each of the Municipal Committees (A and B Class), which have now been categorised as Nagar Parishad/Municipal Councils under the Constitution (74th Amendment) Act, during 1992-93 and 1993-94 is at Annexure 'A'

ANNEXURE 'A'

Statement showing the amount of loan and grants released to Municipalities (Municipal Council/Nagar Parishad) during the years 1992-93 and 1993-94.

Name of District	Name of Municipal Committee/Municipal Council	Amount of loan advanced		Amount of grants released		Grand Total (Col. 3+4)
		1992-93	1993-94	1992-93	1993-94	
Ambala	1. Ambala City	6,50,505.61	—	6,88,625	7,83,425	21,22,555.61
	2. Ambala Sadar	—	—	5,50,625	6,08,075	11,58,700.00
Yamuna Nagar	3. Yamuna Nagar	—	—	9,25,625	12,91,000	22,16,625.00
	4. Jagadhri	—	—	4,45,000	6,19,600	10,64,600.00
Kurukshetra	5. Thanesar	6,50,505.61	—	3,02,625	5,49,275	15,02,405.61
Kaithal	6. Kaithal	—	—	5,55,625	4,86,800	10,42,425.00
Karnal	7. Karnal	7,47,987.35	—	9,30,625	11,17,325	27,95,937.35
Panipat	8. Panipat	6,49,599.85	—	12,55,625	16,94,300	35,99,524.85
Sonepat	9. Sonepat	7,47,987.35	—	11,00,625	12,87,950	31,36,562.35
Rohtak	10. Rohtak	13,96,272.60	—	10,90,625	13,77,725	38,64,622.60
	11. Bahadurgarh	—	—	4,20,000	5,26,150	9,46,150.00
Faridabad	12. Palwal	6,49,599.85	—	3,45,000	4,03,300	13,97,899.85
Rewari	13. Rewari	6,49,599.85	—	4,80,625	6,97,325	18,27,549.85
Gurgaon	14. Gurgaon	13,96,272.60	—	13,00,625	12,94,750	39,91,647.60
Mohindergarh	15. Narnaul	—	—	3,45,000	3,58,150	7,03,150.00
Hisar	16. Hisar	6,50,505.61	—	13,30,625	13,11,025	32,92,155.61
	17. Hansi	—	—	4,80,625	4,16,450	8,97,075.00
Sirsa	18. Sirsa	6,49,599.85	—	6,50,625	7,43,000	20,43,224.85
Bhiwani	19. Bhiwani	—	—	6,90,625	7,47,075	14,37,700.00
Jind	20. Jind	6,49,599.85	—	5,30,625	5,73,950	17,54,174.85
	Total :	94,88,035.98	—	1,44,20,000	1,68,86,650	4,07,94,685.98

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी इस साल अप्रैल से अब तक फिगर बताने की भी कृपा करें कि सरकार ने किस-किस कमेटी को कितनी ग्रांट या कितना लोन दिया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार का ग्रांट या लोन देने का क्या क्राइटेरिया है ?

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का सवाल वर्ष 1992-93 और 1993-94 के बारे में था लेकिन फिर भी मैं 1995-96 के बारे में भी बता देता हूं। इस साल अब तक हमने 250 लाख रुपया दिया है।

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर साहब, बाढ़ आने के बाद म्यूनिसिपल कमेटियों की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि रोहतक, भिवानी और दादरी कमेटियों के जो अपने रिसोर्सिज हैं, वह उनसे काम नहीं कर सकतीं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इन कमेटियों को सरकार कितना फंड देगी ताकि बाढ़ से प्रभावित इन शहरों का दोबारा निर्माण हो सके।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई है जिसमें यह क्वैश्चन डिटेल में डिस्कस किया गया था जो कमेटी अपने सोर्स से अपना काम चलाने के लिए कम्पीटेंट नहीं है, सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देगी ताकि वे अपने कर्मचारियों को तनखाह दे सकें और निवासियों को सहूलियत दे सकें। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट गवर्नमैंट आफ इंडिया को गई है, उसमें हमने 25 करोड़ रुपए म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए मांगे हैं ताकि कमेटियां अपनी डैमेज्ड सड़कों की रिपेयर वगैरह कर सकें।

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर साहब, मैं कमेटीवाइज फिगर जानना चाहता हूं कि कितने कितने पैसे दिए जाएंगे क्योंकि कुछ कमेटियों के पास तो सफाई कर्मचारियों को तनखाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए वे कर्मचारी काम करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आज शहरों में गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं। इसलिए कुछ कमेटियों को तो विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि भिवानी में म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारी तो हैं ही लेकिन उसके बावजूद भिवानी में सफाई के लिए आठ टीमें और काम कर रही हैं जो हमने दूसरी कमेटीज से भेजी हैं। हमने 13 सितम्बर को आदेश जारी कर दिया था कि जिस कमेटी को जितने आदमी चाहिएं वह लगा ले और उनको उनके लिए हम रिलीफ फंड से पैसा देंगे।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि किन्हीं म्यूनिसिपल कमेटीज की कुछ राशि, सरकारी अदायरों अर्ध-सरकारी अदायरों या आटोनमस बाडीज द्वारा देनी बाकी है ? जब उन कमेटियों

की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अगर वे संस्थाएं उनको लोन पर पैसा दे देंगी तो उन्हें कुछ काम करने में आसानी रहेगी। क्या आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है।

श्री अध्यक्ष : इस सप्लीमैंटरी का मेन सवाल से संबंध नहीं है।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय लोन का सवाल इनकम से ताल्लुक रखता है। मंत्री जी लोन देने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो इनसे एक मोटी सी बात जानना चाह रहा हूं कि जिन सरकारी अर्ध-सरकारी अदायरों ने म्यूनिसिपल कमेटीज का पैसा देना है, अगर वे म्यूनिसिपल कमेटीज को पैसा दे दें तो उनका काम चल सकता है।

(इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। क्या यह बात इनके नोटिस में है कि हरियाणा प्रदेश की कितनी ऐसी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं जो मोर दैन वन मंथ से अपने कर्मचारियों को तनखाह नहीं दे रही हैं? मन्त्री जी ने एक बात यह भी कही है कि प्रोपोजल बनाकर सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखा है, यह तो आप पहले भी लिखते रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि फ्लड आने के बाद आपने किस किस म्यूनिसिपल कमेटी को कितनी-कितनी ग्रांट दी है?

चौधरी धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रोफैसर साहब किसी पर्टीकुलर कमेटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वह मैं बता सकता हूं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने इनसे सीधा-सा सवाल पूछा है कि इस बाढ़ के आने के बाद आपने किस किस म्यूनिसिपल कमेटी को कितनी कितनी ग्रांट दी है और दूसरी बात तनखाह के बारे में पूछी है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई जिसके बारे में सभी माननीय सदस्यों को बहुत चिन्ता है। जिस दिन बाढ़ आई हमने उसी दिन सभी डी०सीज० को हिदायतें जारी कर दी थी कि जिस जिस इलाके में बाढ़ का पानी निकालने के लिए और लोगों को सुविधाएं देने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है वह फौरन हमसे मांगें। जिस डी० सी० का टेलीफोन आया, टेलीग्राम आया और जिसने जितना पैसा मांगा, सबको वह पैसा रीलीज कर दिया। हमने 23.65 करोड़ रुपए रीलीफ फण्ड का दिया है और 10 या 11 करोड़ रुपया और रीलीज किया है। जिस जिस डी० सी० साहेबान ने जरूरत समझी हमने उनको पैसा दिया है। जहां भी जरूरी है, चाहे वह म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है और चाहे देहात का एरिया है, जहां पर जरूरी है, वहीं पर वह पैसा खर्च होगा।

श्री अध्यक्ष : अभी ये फिग्गर्ज अक्युमुलेट हो रही होंगी ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं इनसे यह पूछ रहा हूं कि इस फ्लड के आने के बाद आपने रोहतक भिवानी, बरवाला और हांसी म्यूनिसिपल कमेटी को कितनी कितनी ग्रांट दी है ?

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, इस फ्लड के आने के बाद रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी को 10 लाख रुपए, भिवानी म्यूनिसिपल कमेटी को 4 लाख रुपए और हांसी म्यूनिसिपल कमेटी को 5 लाख रुपए दिए हैं ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : दादरी म्यूनिसिपल कमेटी को कितने पैसे दिए हैं?

चौधरी धर्मवीर गाबा : दादरी म्यूनिसिपल कमेटी को 3 लाख रुपए दिए है ।

Auction of Liquor Vends

*1199. **Shri Satbir Singh Kadian** : Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the districtwise number of country made liquor and Indian made foreign liquor vends auctioned in the State during the years 1993-94 and 1994-95 todate ;

(b) the districtwise and yearwise total income accrued from the auction of the vends as referred to in a part 'A' above;

(c) the total income accrued from Excise duty by selling/auction of country made liquor and Indian made foreign liquor vends, Bars and from drinking places (Ahatas) in the State during the years 1991-92, 1992-93, 1993-94 and 1994-95 todate; and

(d) the target if any, fixed for the production of country made liquor together with the quantity of liquor produced during the period as referred to in part 'C' above, yearwise separately ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : प्रश्न से सम्बन्धित सभी सूचना की विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है ।

विवरणी

(क) वर्ष 1993–94, 1994–95, तथा इस वर्ष अंग्रेजी तथा देसी शराब के ठेकों की जिलावार नीलामी की संख्या निम्न प्रकार है :

क्रमांक	जिले का नाम	नीलाम किए गए ठेकों की संख्या					
		1993–94		1994–95		1995–96	
		देसी शराब	अंग्रेजी शराब	देसी शराब	अंग्रेजी शराब	देसी शराब	अंग्रेजी शराब
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	95	45	100	44	100	44

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	भिवानी	51	17	44	17	44	17
3.	फरीदाबाद पूर्व	24	25	24	25	24	25
4.	फरीदाबाद पश्चिम	38	32	38	30	38	31
5.	गुड़गांव	37	35	37	35	37	35
6.	हिसार	72	26	72	27	74	27
7.	जीन्द	38	20	35	19	35	19
8.	जगाधरी	30	18	31	18	31	17
9.	करनाल	65	21	64	19	64	20
10.	कुरुक्षेत्र	37	12	38	12	40	13
11.	कैथल	45	12	39	12	39	12
12.	नारनौल	36	11	33	11	33	11
13.	पानीपत	30	16	30	14	29	14
14.	रिवाड़ी	33	15	32	16	30	16
15.	रोहतक	46	37	41	41	40	39
16.	सिरसा	61	17	61	17	61	18
17.	सोनीपत	40	26	40	25	34	25
	टोटल	778	385	759	382	753	383

[श्री बलमन दास अरोड़ा]

(ख) उपरोक्त भाग 'क' अनुसार जिलावार तथा वर्षवार ठेकों की नीलामी से हुई कुल आय निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	जिले का नाम	ठेकों की नीलामी से प्राप्त कुल आय (रुपये लाखों में) 1993–94 देसी शराब	1993–94 अंग्रेजी शराब	1994–95 देसी शराब	1994–95 अंग्रेजी शराब	1995–96 देसी शराब	1995–96 अंग्रेजी शराब
1.	अम्बाला	1673.91	669.09	1812.40	805.19	2569.35	926.45
2.	भिवानी	1184.90	262.68	1292.77	323.28	1778.07	371.77
3.	फरीदाबाद (ईस्ट)	543.55	888.65	582.60	1020.15	855.00	1173.17
4.	फरीदाबाद (वैस्ट)	857.00	883.89	988.22	1054.80	1338.98	1233.17
5.	गुड़गांव	830.16	1118.04	939.31	1304.00	1665.53	1507.98
6.	हिसार	2759.26	709.91	3265.38	864.66	4240.00	994.84
7.	जीन्द	1183.00	261.26	1427.12	324.88	1854.05	380.09
8.	जगाधरी	961.00	469.70	955.50	489.00	1248.10	562.35
9.	करनाल	1516.30	322.02	1538.46	331.28	1983.86	384.99
10.	कुरुक्षेत्र	988.00	194.06	944.65	242.58	1306.50	283.97
11.	कैथल	1074.65	187.93	1322.17	237.34	1794.20	272.94
12.	नारनौल	496.05	167.74	568.58	223.52	738.08	257.05
13.	पानीपत	871.15	320.50	1048.05	399.88	1414.20	459.85
14.	रिवाड़ी	539.95	281.69	583.10	338.47	769.75	389.62
15.	रोहतक	1248.60	952.07	1203.25	1069.22	1661.20	1235.07
16.	सिरसा	1614.72	418.43	1742.54	498.96	1960.20	576.58
17.	सोनीपत	1019.35	611.36	1103.30	672.31	1516.25	783.16
	जोड़ :	19351.45	8739.02	21317.34	10199.52	28688.22	11793.04

(ग) वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95 तथा अब तक राज्य में देसी तथा अंग्रेजी शराब के ठेकों की नीलामी, बार तथा शराब पिलाने के स्थानों (आहातों) से प्राप्त कुल आय निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

क्र0 सं0	मद का नाम	91–92	92–93	93–94	94–95	95–96	जुलाई 95 तक कुल प्राप्ति
1.	देसी शराब पर आबकारी शुल्क	28.28	46.50	52.80	62.31	67.52	22.56
2.	अंग्रेजी शराब तथा बीयर पर आबकारी शुल्क	62.31	77.79	77.55	90.02	103.19	30.11
3.	बार की लाईसैंस फीस	0.98	1.65	1.88	2.40	1.21	0.69
4.	आहातों की लाईसैंस फीस (शराब पिलाने के स्थान)	0.65	..	..	..	..	..

नोट :—शहरी क्षेत्र के देसी शराब के ठेकेदारों को देसी शराब पिलाने के लिये दिये गये आहातों की सुविधा 1–4–1992 से वापिस ले ली गई।

(घ) उपरोक्त (ग) के संदर्भ में देसी शराब के उत्पादन का कोई लक्ष्य नियत नहीं है परन्तु सरकार द्वारा आबकारी नीति का अनुमोदन करते समय देसी शराब का कोटा नियत किया जाता है (जो कि देसी शराब के ठेकों में बांटा जाता हैं) वर्ष 1991–92 से 1995–96 तक नियत किया गया कोटा एवं उत्पादित का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सरकार द्वारा नियत वार्षिक कोटा (लाख प्रूफ लिटर में)	उत्पादित कोटा (लाख प्रूफ लिटर में)
1991–92	265.00	272.72
1992–93	290.00	318.22
1993–94	310.00	299.98
1994–95	310.00	312.04
1995–96	320.00	93.50 (जुलाई 1993 तक)

श्री सतबीर सिंह कादयान : वर्ष 1993–94 और 1994–95 में जो शराब के ठेके दिए गए, क्या वे बोली में दिए गए हैं या वैसे ही दे दिए गए हैं ? इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, उस हिसाब से वर्ष 1994–95 में देसी शराब से इन्हें 21317.34 लाख रुपये और अंग्रेजी शराब से 20199 52 लाख रुपये प्राप्त हुए । वर्ष 1993–94 में देसी शराब से इन्हें 19351.45 लाख रुपये और अंग्रेजी शराब से 8739.02 रुपये प्राप्त हुए । मैं पूछना चाहता हूं कि इन आंकड़ों में वेरिएशन क्यों है, क्योंकि इनको देसी शराब से ज्यादा पैसा आया और अंग्रेजी शराब से कम आया ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आंकड़े पढ़े हैं, वे गलत पढ़े हैं । पहले तो मैं इनको यह जवाब देता हूं कि जो भी ठेके दिए गए हैं, वे ओपन औक्शन में दिए गए हैं । दूसरा उत्तर मैं इनको यह देना चाहता हूं कि वर्ष 1993–94 में देसी शराब से 16 करोड़ 73 लाख रुपये आए और अंग्रेजी शराब से 193 करोड़ रुपये आए । वर्ष 1993–94 में देसी शराब से 21317.34 लाख रुपये और अंग्रेजी शराब से 10199.52 लाख रुपये आए । वर्ष 1995–96 में देसी शराब से 28688.22 लाख रुपये आए और अंग्रेजी शराब से 11793.04 लाख रुपये आए ।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगले साल यानी 1 अप्रैल 1996 से शराबबंदी के बारे में सरकार की क्या स्पष्ट नीति होगी ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : मुख्य मंत्री ने कहा है कि अगले साल से देहात में बहुत कम ठेके कर देंगे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया है कि अगले साल पहली अप्रैल से देहात में शराब का कोई ठेका नहीं खोलेंगे ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : क्या यह सही बात नहीं है कि अंग्रेजी शराब के ठेके 15 परसैंट बढ़ा कर उन्हीं लोगों को तो नहीं दे दिए गए जिनके पास पहले थे ? दूसरे, जो मोलैसिज होता है, उससे कितनी शराब बननी चाहिए, और कितनी बनी है, क्या इसका कोई हिसाब है ? कहने का मतलब है कि मोलैसिज से जो ज्यादा शराब बनी यानी नार्म से ज्यादा बनी वह कहां गई ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : हमने 15 परसैंट ठेके बढ़ा कर उन्हीं लोगों को नहीं दिए हैं । हर ठेका ओपन औक्शन में दिया है । हमारे ठेके पिछले साल की अपेक्षा इस साल 28.44 परसैंट अधिक बढ़ कर गए हैं । मोलैसिज के बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि मोलैसिज का कोई कोटा निर्धारित नहीं है । जिस वक्त आक्शन करते है, उस वक्त शराब का कोटा फिक्स करते हैं और उसी के मुताबिक डिस्टिलरी का कोटा होता है अगर ऐसी स्थिति हो कि शराब बच गई है तो बाद में जब किसी स्टेट की डिमांड आए तो अपने हिसाब से उसको भेज देते हैं ।

Realisation of Excise Duty

*1201 **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether there is any increase in the realisation of Excise duty during the year 1991-92 as compared to the corresponding last year in the State ; if so, the percentage thereof ?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : हां, राज्य में वर्ष 1991–92 के दौरान आबकारी शुल्क की प्राप्ति से वर्ष 1990–91 की तुलना में 8.02प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई थी ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी के नालेज में यह बात है कि हरियाणा के एक्साईज एण्ड टैक्सेशन के अधिकारी बाकई में स्टेट की आय को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार के मन्त्री, अधिकारियों को कार्यवाही करने में रुकावट डालना चाहते हैं ? सोनीपत में सेल्ज टैक्स के बारे में मैं इनसे पूछना चाहता हूं..... (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माना है कि वर्ष 1991–92 में स्टेट की आय में 8.2% वृद्धि हुई है । स्पीकर सर, यह सितम्बर, 1995 का नोटीफिकेशन है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर सरकार की आय बढ़ी है तो फिर 4 सितम्बर, 1995 की इस नोटीफिकेशन की क्या जरूरत थी कि हरियाणा में सैंट्रल सेल्ज टैक्स अगर किसी की तरफ बकाया है वह उसको अदा करे ; इस नोटिफिकेशन को जारी करने की क्या जरूरत थी (विघ्न)

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात कहीं से शुरू की और पहुंच गये कहीं और। (विघ्न) ये शुरू में एक्साइज एण्ड टैक्सेशन की बात कर रहे थे कि कितना बढ़ा है । हमने बताया कि यह 1990–91 की तुलना में साढ़े सात परसैंट बढ़ा है, बाद में ये सेल्ज टैक्स की बात करने लगे, इनका यह सवाल रैलेवैंट नहीं है । (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है । अध्यक्ष महोदय, यह सवाल हरियाणा के हितों तथा जनता के हितों से जुड़ा हुआ है। एक्साईज एण्ड टैक्सेशन का महकमा काफी अधिक और रुपया अदा कर सकता है लेकिन जानबूझ कर सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो 4 सितम्बर की नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि 89 करोड़, 64 लाख, 40 हजार रुपया एक्साईज से आया है । (विघ्न)

Number of Schools, Head Masters/Principals

*1210 **Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the blockwise number of Middle, High and 10+2 Schools in the districts of Faridabad and Gurgaon separately; and

(b) the number of posts of Principals/Head Masters, lying vacant in the schools as referred to in a part (a) above at present together with the steps taken or proposed to be taken to fill up the vacant posts ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) : (a) & (b) Information is laid on the table of the House.

Information

(a) Block-wise number of Government Middle, High and 10+2 Schools in Districts of Faridabad and Gurgaon :

Name of the District.	Name of the Block	Number of Schools		
		Middle	High	10+2 level
Faridabad	Faridabad	12	27	11
	Ballabgarh	21	19	7
	Palwal	9	26	7
	Hodle	13	22	4
	Hathin	11	12	8
	Total	66	106	37
Gurgaon	Gurgaon	11	17	6
	Farukhnagar	9	9	3
	Sohna	11	15	3
	Manesar	3	13	2
	Pataudi	12	10	3
	Nuh	18	14	1
	Taoru	7	8	2
	Ferozepur Jhirka	9	9	2
	Punhana	8	11	5
	Nagina	11	8	2
	Total	99	114	29

(b) The number of posts of Principals/Headmasters lying vacant in the schools as refered to in para (a) above at present.

Name of Districts	Name of Block	Number of vacant posts		
		Middle Schools	High Schools	10+2 Schools
Faridabad	Faridabad	4	—	4
	Ballabgarh	14	4	1
	Palwal	9	8	3
	Hodel	8	11	1
	Hathin	10	6	7
	Total	45	29	16
Gurgaon	Gurgaon	—	—	2
	Farukh Nagar	1	1	1
	Sohna	1	2	2
	Manesar	—	1	1
	Pataudi	3	4	1
	Nüh	17	12	1
	Taoru	7	8	—
	Ferozepur Jhirka	9	7	2
	Punhana	6	11	2
	Nagina	11	6	2
	Total	55	52	14

Steps taken or proposed to be taken to fill up the vacant posts

1. Requisition to fill direct quota posts of Headmasters/Headmistresses of High Schools and Principals of 10+2 schools has been sent to Haryana Public Service Commission.

2. Promotion cases are being processed to fill up promotion quota posts of Headmasters/Headmistresses of Middle Schools and High Schools and Principals of 10+2 schools.

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल शिक्षा जैसे अहम मसले से ताल्लुक रखता है । हैडमास्टरज और मास्टरज की शहरों में तो कोई खास कमी नहीं है लेकिन देहातों में पोस्टस खाली पड़ी हुई हैं । फरीदाबाद के अन्दर शहर में तो हैडमास्टरज और मास्टरज की जगहें खाली नहीं है, इसी प्रकार से गुड़गांव शहर में भी बहुत कम पोस्ट्स खाली हैं लेकिन मेवात के ऐरिया में कहीं भी हैडमास्टर की पोस्ट भरी हुई नहीं है । हथीन के मिडल स्कूलों में 11 पोस्टों में से 10 खाली हैं, हाई स्कूलों में 12 में से 6 पोस्ट्स खाली हैं और 10 जमा 2 स्कूलों में 8 पोस्ट्स में से 7 पोस्ट्स खाली हैं । इसी प्रकार से नूह, नगीना, तावडू, फिरोजपुर-झिरका पुन्हाना खण्डों के मिडल स्कूलों में 53 से 50 पोस्ट्स खाली हैं, हाई स्कूलों में 50 पोस्टों में से 44 खाली हैं और 10 जमा दो के स्कूलों में 12 पोस्टों में से 7 पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप खुद देखिए कि देहात में जो स्कूलज हैं, उनमें पोस्टें बहुत ज्यादा खाली पड़ी हुई हैं । आप स्वयं जानते हैं कि इन पोस्टों के खाली रहने से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उनका कैरियर हमेशा के लिए खराब हो जाता है । इससे नस्ल की नस्ल ही खराब हो जाती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या जल्दी से जल्दी इन स्कूलों में हैडमास्टरज लगाने की कोशिश करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल है कि आज देहातों में कम मुख्यअध्यापक लगे हुए हैं और शहरों में पूरे हैं । यह बात तो इनकी ठीक है । अध्यक्ष महोदय, हम सभी यह सिफारिश करते हैं कि फलाने फलाने को शहर में लगा दो । हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा हुआ है कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भरें । अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो सीधी भर्ती वाले पद हैं, वे पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजते ही भर दिए जाएंगे और दूसरे जो पद रह जाएंगे उनको भी हम शीघ्र ही भर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing of jobs to Scheduled Castes and Backward Classes as per reservation policy.

*1222. **Shri Om Parkash Jindal :** Will the Minister of State for Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes be pleased to state whether the recruitment of the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes has been made according to their percentage of reservation in the Government jobs by the State Government during the last four years, if not, the reasons thereof ?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री, (श्रीमती सन्तोष चौहान सारवान) : पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार के विभागों द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित आरक्षण के अनुसार भर्ती एजैंसियों को मांग पत्र भेजे गये हैं और तदानुसार भर्ती की गई है। कुछ मामलों में कहीं-कहीं थोड़ी कमी पिछले बैकलाग तथा योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण है। सरकार इसको पूर्ण करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है और समय समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाये गये हैं तथा रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये छः प्रशिक्षण केन्द्र विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं।

Amount received from World Bank for Desilting of Canals

*1223 **Shri Om Parkash Beri** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state that the Circlewise and divisionwise details of the amount of the expenditure incurred on the maintenance and desilting of Canals, Minors and Drains etc. in the State out of the loan received from the World Bank during the period from 1-4-95 till todate ?

Irrigation Minister (Sh. Jagdish Nehra) : The circle-wise details of the amount of expenditure incurred on the maintenance and desilting of Canals, Minors and Drains, etc. in the State against World Bank Aided Water Resources Consolidation Project for the period 1-4-95 till to-date are enclosed in the attached statement.

STATEMENT

Statement of Expenditure incurred on the maintenance and Desilting of Canals, Minors and Drains from 1-4-95 to-date.

Sr. No.	Name of Circle	Expediture on maintenance and Desilting of Canals, Minors and Drains. Rs. lacs.
1	2	3
1.	Bhakra Water Services Circle, Sirsa	63.69
2.	Bhakra Water Services Circle-I, Hisar	74.15
3.	Bhakra Water Services Circle-II, Hisar	49.95
4.	Bhakra Water Services Circle, Kaithal	52.44
5.	S.Y.L. Water Services Circle, Ambala	25.50
6.	Yamuna Water Services Circle, Yamuna Nagar	4.02

[श्री जगदीश नेहरा]

1	2	3
7.	Yamuna Water Services Circle, Karnal	64.47
8.	Yamuna Water Services Circle, Jind	16.53
9.	Yamuna Water Services Circle, Rohtak	37.71
10.	Yamuna Water Services Circle, Delhi	30.51
11.	Yamuna Water Services Circle, Faridabad	52.46
12.	Yamuna Water Services Circle, Bhiwani	22.73
	(A) =	473.66
13.	Construction Circle, Kaithal	17.37
14.	Construction Circle, Kurukshetra	27.79
15.	Construction Circle, Karnal	—
16.	Construction Circle, Panipat	135.83
17.	Construction Circle, Sonepat	48.38
18.	Construction Circle Gurgaon	117.50
19.	Construction Circle, Rohtak	19.18
	(B) =	366.05
	Grand Total (A+B) =	839.71

Supply of electricity to tubewells on concessional rates

*1229. **Shri Zile Singh** : Will the Minister for Power be pleased to state whether electricity is being supplied to the tubewells on concessional rates under the deep water scheme in the State, if so, the criteria fixed for the purpose ?

Power Minister (Sh. Verender Singh) : Yes Sir, Concessional tariff for supply of power to agricultural tubewells is applicable to those parts of the State where subsoil water is deep and scanty.

Misappropriation of funds

*1191. **Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any case of misappropriation of funds in the construction/repair of roads in Kurukshetra District against the officers/officials of Haryana State Agricultural Marketing Board has come to the notice of the Government during the period from 1990 to 1993 ; and

(b) if so the action, if any taken, against the officers/officials involved in the case as referred to in part (a) above.

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh) :

(a) Yes Sir, a case of misappropriation of funds in the construction/repair of roads in Kurukshetra District relating to Haryana State Agricultural Marketing Board came to the notice of the Government during the years 1990-93.

(b) The matter was got investigatad by the Flying Squad of the Haryana State Agricultural Marketing Board and besides being placed under suspension, the concerned officers/officials were charge sheeted under rule 7 of the Punishment and Appeal Rules, 1987 for major penalty. The proceedings are in progress.

Separately, surcharge notices for recovery of loss were issued under scetion 29 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 against the erring officials.

Government got the matter investigated also by the State Vigilance Bureau and an F.I.R. No. 1 dated 02-02-93 was registered at Police Station, State Vigilance Bureau, Karnal. The case is now pending hearing in the Court of Chief Judicial Magistrate, Kurukshetra.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Taking Over the Hospital of Village Thol

257. Dr. Ram Parkash : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the Hospital/Health Centre constructed by the Villagers of 'Thol', district Kurukshetra ;

(b) if so, the steps, if any taken or proposed to be taken in this regard ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री (बहन करतार देवी) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Opening of Veterinary Hospitals

258. Dr. Ram Parkash : Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether there is any proposal under

[डा. राम प्रकाश]

consideration of the Government to open Veterinary Hospitals in any villages of district Kurukshetra, if so the names of the villages where said hospitals are likely to be opened.

Animal Husbandry Minister (Shri Ram Pal Singh Kanwar) : No Sir, there is no proposal under consideration of the Government to open Vety. Hospital in any villages of district Kurukshetra.

Construction of Roads in Distrtct Kurukshetra

259. **Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in district Kurukshetra:—

1. Badarpur to Bani ;
2. Jainpur to Brahan ;
3. Gharaula to Bhalri ;
4. Samalkha Gurdwara to S.K. road ;
5. Bhoot Majra to Muiad Nagar ;
6. Main road between Mandi and School in Pipli ;
7. Jyotisar to Dhand road ;
8. Salarpur to Fattupur ;
9. S.K. road Dera Asha Singh Bir-Shonti ; and
10. Dayalpur to Alampur.

(b) if so, the time by which the construction work of the said roads is likely to be started/completed ?

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh) : (a)&(b) Presently there is no proposal under consideration of the Board for the construction of above roads except the following :—

(i) Salarpur to Fattupur : Work on this road is in progress and is likely to be completed by 31-3-96.

(ii) Dayalpur to Alampur : Work on this road is likely to be started by November, 1995 and it is expected to be completed by March, 1996.

Construction of Houses under Indira Awas Yojana

260. **Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the districtwise number of houses constructed in rural areas under the Indira Awas Yojana during the period from 1991 todate in the State ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (राव बंसी सिंह) : विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

अनुबन्ध

क्र0 सं	जिले का नाम	निर्माण किये गये मकानों की संख्या
1.	अम्बाला	458
2.	भिवानी	558
3.	फरीदाबाद	517
4.	गुड़गांव	293
5.	हिसार	1276
6.	जींद	469
7.	करनाल	348
8.	कुरुक्षेत्र	286
9.	कैथल	441
10.	नारनौल	183
11.	पानीपत	305
12.	रोहतक	951
13.	रिवाड़ी	216
14.	सिरसा	422
15.	सोनीपत	297
16.	यमुनानगर	274
		7294

Installation of Anti-Pollution Devices

266. **Prof. Chhattar Singh Chauhan:** Will the Minister for Environment be pleased to state the names and addresses of the owners of stone crushers in the State who have not installed anti-pollution devices so far; together with the details of action taken in this regard?

Minister of State for Forests (Rao Dharam Pal) : Names and addresses of stone crushers alongwith action taken against those which have not installed any pollution control devices so far, are given in Annexure.

[राव धर्मपाल]

ANNEXURE

Name of Stone Crushers in the State which have not installed Air Pollution Control-Measures

Sr. No.	Name of Stone Crusher	Action Taken
1	2	3
1.	M/s. Shri Markanday Stone Crusher Vill. Dera, Tehsil Naraingarh	Closure order issued through D.C. Ambala.
2.	M/s. Yamuna Stone Crusher, Surajpur	Electric supply disconnected, but restored upto 30-11-95. on the basis of written undertaking to shift the crusher by that dead-line.
3.	M/s. Pehowa Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
4.	M/s Chandimandir Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
5.	M/s. Kaushalya Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
6.	M/s. Kohinoor Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
7.	M/s. Supreme Stone Crusher, Village Kiratpur (Kalka).	—do—
8.	M/s. Janta Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
9.	M/s. Kaithal Stone Crusher, Surajpur	—do—
10.	M/s. Shree Krishna Construction Co., Surajpur.	—do—
11.	M/s. Anoop Stone Crusher, Chandimandir	—do—
12.	M/s. Shri Krishan Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
13.	M/s. A.K. Stone Crusher, Surajpur	—do—
14.	M/s. Lahori Lal and Co., Chandimandir.	—do—
15.	M/s. Kakar Stone Crusher, Surajpur.	—do—
16.	M/s. Bhagat Bhai Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
17.	M/s. Sandeep Stone Crusher, Surajpur.	—do—

1	2	3
18.	M/s. Rampur Souri Stone Crusher, Surajpur.	—do—
19.	M/s. Krishna Stone Crusher, Chandimandir	—do—
20.	M/s. Shakti Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
21.	M/s. Durga Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
22.	M/s. Sita Ram Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
23.	M/s. Ambika Stone Crusher, Panchkula.	Electric supply disconnected and the unit directed to shift from the existing site.
24.	M/s. Malwa Stone Crusher, Panchkula.	—do—
25.	M/s. Sarswati Stone Crusher, Panchkula.	—do—
26.	M/s. Friends Stone Crusher, Panchkula.	—do—
27.	M/s. Capital Stone Crusher, Panchkula.	—do—
28.	M/s. Rama Stone Crusher, Panchkula.	—do—
29.	M/s. Gulati Stone Crusher, Panchkula.	—do—
30.	M/s. Haryana United Stone Crusher, Panchkula.	—do—
31.	M/s. Guru Nanak Stone Crusher, Panchkula.	—do—
32.	M/s. Dhillon Stone Crusher, Panchkula.	—do—
33.	M/s. Gupta Stone Crusher, Panchkula.	—do—
34.	M/s. Ghaghar Stone Crusher, Panchkula.	—do—
35.	M/s. Guru Teg Bhadur Stone Crusher, Panchkula.	—do—
36.	M/s. Rekhi Stone Crusher, Panchkula.	—do—
37.	M/s. New Shivalik Stone Crusher, Panchkula.	—do—

1	2	3
38.	M/s. New Anil Stone Crusher, Devi Nagar Panchkula.	Electric supply disconnected and unit directed to shift from the existing site.
39.	M/s. Raman Stone Crusher, Panchkula.	—do—
40.	M/s. Jai Bharat Stone Crusher, Panchkula.	—do—
41.	M/s. Garg Stone Crusher Co. Plot No. 67-D, Mohabatabad Zone, Fbd.	Closure order issued.
42.	M/s. New Sarswati Stone Crusher Co., Plot No. 67, Mohabtabad Zone, Faridabad.	—do—
43.	M/s. Balaji Stone Crusher Co., Plot No. 83, Mohabtabad Zone, Faridabad.	—do—
44.	M/s. Bhagwati Stone Crusher Co. Plot No. 85, Mohabtabad Zone, Fbd.	—do—
45.	M/s. Krishna Stone Crusher Co., Plot No. 103, Mohabtabad Zone, Fbd.	—do—
46.	M/s. Shiv Enterprises, Plot No. 81, Mohabtabad Zone, Faridabad.	Disconnection of elcctric supply directed.
47.	M/s. Darshan Lal Ahuja and Sons, Plot No. 41 Pali Zone, Faridabad.	Show cause notice issued regarding installation of A.P.C.M.
48.	M/s. Gokal Chand Hari Chand, Plot No. 50, Pali Zone, Faridabad.	Non-applicant-show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of A.P.C.M.
49.	M/s Gurbax Singh and Sons, Plot No. 56E, Pali Zone, Faridabad.	Electric supply disconnected.
50.	M/s. Nav Nirman Stone Crushing Co., Plot No. 61E, Mohabtabad Zone, Faridabad.	Non-applicant-Show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
51.	M/s. Shri Ganesh Stone Crusher Co., Plot No. 74A; Mohabtabad Zone, Faridabad.	Non applicant-show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.

1	2	3
52.	M/s. Chaudhry Stone Crusher Co., Plot No. 79, Mohabatabad Zone. Faridabad.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.
53.	M/s. Adhlakha Stone Crusher Co., Plot No. 90, Mohabtabad Zone, Faridabad.	—do—
54.	M/s. Nirankari Stone Crushing Co., Plot No. 112, Mohabtabad Zone, Fbd.	Non-applicant-show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
55.	M/s. Shree Geeta Stone Crusher Co., Naurangpur Zone, Distt. Gurgaon.	Electric supply disconnected, but restored on the basis of written undertaking to instal APCM.
56.	M/s. Blue Grit Udyog, Naurangpur Zone, Distt. Gurgaon.	Non applicant-show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
57.	M/s. Dagar Grit Udyog, Naurangpur, Gurgaon.	—do—
58.	M/s. Dharam Stone Crusher Co., Naurangpur, Gurgaon.	Electric supply disconnected.
59.	M/s Bharat Stone Crushing Co., Naurangpur. Distt. Gurgaon.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.
60.	M/s. Rathi Stone Crushing Co., Naurangpur, Distt. Gurgaon.	Electric supply disconnected.
61.	M/s. Arawli Stone Crusher Co., Naurangpur, Zone, Gurgaon.	Electric supply disconnected, but restored on the basis of written undertaking regarding installation of APCM.
62.	M/s. New Maman Stone Crusher Co., Pur Zone, Gurgaon.	Show cause Notice issued regarding installation of APCM.
63.	M/s. New Sidhu Stone Crusher, Indri Zone, Gurgaon.	Closure order issued.

1	2	3
64.	M/s Mansa Devi Stone Crusher Co., Indri Zone, Gurgaon.	Non applicant. Show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
65.	M/s. Maa Durga Stone Crusher Co., Indri Zone, Gurgaon.	—do—
66.	M/s. Universal Stone Crusher Co.. Indri Zone, Gurgaon.	—do—
67.	M/s. Bharat Grit Udyog, Indri Zone, Gurgaon.	—do—
68.	M/s. New Delhi Stone Crusher. Indri Zone, Gurgaon.	—do—
69.	M/s. Dahiya Grit Udyog, Indri Zone, Gurgaon.	—do—
70.	M/s. H.M. Stone Crusher Co., Indri Zone, Gurgaon.	—do—
71.	M/s. Super Star Stone Crusher Co.. Indri Zone, Gurgaon.	—do—
72.	M/s. Upkar Stone Crusher Co., Rewasan Zone, Gurgaon.	—do—
73.	M/s. Ganga Stone Crusher Co., Rewasan Zone, Gurgaon.	—do—
74.	M/s. Chaudhry Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
75.	M/s. Suman Stone Crushing Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
76.	M/s. Hanuman Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
77.	M/s. Ganesh Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
78.	M/s. New India Stone Crusher Co., Village Atta, Sohana, Gurgaon.	—do—
79.	M/s. Sheoram Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
80.	M/s. Vikas Stone Crusher Co., Village Shikohpur, Gurgaon.	—do—

1	2	3
81.	M/s. Vishal Stone Crushing Co., Naurangpur.	Non-applicant. Show cause. Notice issued for applying for consent and regarding installation for APCM.
82.	M/s. Mahavir Stone Crushing Co., Naurangpur.	—do—
83.	M/s. Pooja Stone Crusher Co., Naurangpur.	—do—
84.	M/s. Super Star Stone Crushing Co., Naurangpur.	—do—
85.	M/s. Fair Deal Stone Crushing Co., Rewasan.	—do—
86.	M/s Shiv Shankar Stone Crushing Co., Rewasan.	—do—
87.	M/s. Maa Shakti Stone Crushing Co., Rewasan.	—do—
88.	M/s. Dahiya Stone Crushing Co., Village Indri.	—do—
89.	M/s. Delhi Stone Crushing Co., Village Indri.	—do—
90.	M/s. Ackta Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
91.	M/s. Marter Stone Crusher Co., Narnaul.	Electric supply already disconnected.
92.	M/s Bajrang Stone Crusher Co., Narnaul.	—do—
93.	M/s. Deepak Stone Crusher Co., Narnaul.	—do—
94.	M/s. Ambika Stone Crusher Co., Khanak.	Show cause notice issued for shifting.
95.	M/s. Durga Stone Crusher, Khanak.	—do—
96.	M/s. Govt. Stone Crusher, Khanak.	—do—
97.	M/s. Mahan Stone Crusher, Kapoori.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.

[राव धर्म पाल]

1	2	3
98.	M/s. Nalva Stone Crushers, Khanak.	Show cause notice issued for shifting.
99.	M/s. Nagpal Stone Cushei, Khanak.	—do—
100.	M/s. National Stone Crushers, Khanak.	—do—
101.	M/s. Punjab Stone Crushers, Khanak.	—do—
102.	M/s. Parbhat Stone Crusher, Khanak.	—do—
103.	M/s. Rajesh Stone Crusher, Khanak.	—do—
104.	M/s. Subhash Stone Crusher, Khanak.	—do—
105.	M/s. Surbhi Stone Crushers, Khanak.	—do—
106.	M/s. Verma Stone Crushers, Khanak.	—do—
107.	M/s. Vishwakarma Stone Crushers, Khanak.	—do—
108.	M/s. Haryana Stone Crushers, Tiwana.	—do—
109.	M/s. Ganga Jamuna Stone Crushers, Khanak.	Non applicant, show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
110.	M/s. Raj Stone Crushers, Khanak.	—do—
111.	M/s. Krishna Stone Crushers, Nagina.	—do—
112.	M/s. Shiv Bhola Stone Crusher, Khanak.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.
113.	M/s. Hisar Stone Crusher, Khanak.	Show cause notice issued for shifting.
114.	M/s. Sat Guru Stone Crusher, Khanak.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.
115.	M/s. Anurag Stone Crusher, Khanak.	—do—
116.	M/s. Shiv Bhola Stone Crusher, Vill. Kheri Balla, Bhiwani.	—do—

1	2	3
117.	M/s. Shyam Stone Crushing Co., Vill. Doiwala, Yamuna Nagar.	Electric supply disconnected.
118.	M/s. Lakshmi Stone Crushers, Vill. Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—
119.	M/s. Walia Stone Crusher, Vill. Devdhar, Yamuna Nagar.	Show Cause Notice issued regarding installation of APCM.
120.	M/s. Satguru Stone Crusher, Mandal Vill. Doiwala, Yamuna Nagar.	Prosecution launched—Case pending for hearing in Court of law.
121.	M/s. Continental Construction Co., Vill. Faizpur Near Tajewala, Yamuna Nagar.	Show Cause Notice regarding installation of APCM issued.
122.	M/s. Sarswati Stone Crusher, Vill. Doiwala, Yamuna Nagar.	Prosecution launched—case pending for hearing in Court of law.
123.	M/s. Garg Stone Crusher, Gulabgarh Yamuna Nagar.	—do—
124.	M/s. Shiwalik Stone Crusher, Gulabgarh, Yamuna Nagar.	Prosecution launched—case pending for hearing in Court of law.
125.	M/s. Paras Stone Crusher, Chuharpur Yamuna Nagar.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.
126.	M/s. Nirmal Honey Stone Crusher, Vill. Doiwala., Yamuna Nagar.	—do—
127.	M/s. Ganga Gram Udyog, Village Balla Majara, Yamuna Nagar.	—do—
128.	M/s. Universal Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—
129.	M/s. Friends Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—
130.	M/s. Geeta Samiti Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—
131.	M/s. Nanak Stone Crusher, Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—

[राव धर्म पाल]

1	2	3
132.	M/s. Sai Stone Crusher, Village Balla Majra, Yamuna Nagar.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.
133.	M/s. Chaudhry Brothers Stone Crusher, Balla Majra, Yamuna Nagar.	—do—
134.	M/s. Haryana Grit Udyog, Balla Majra, Yamuna Nagar.	—do—
135.	M/s. Heera Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	Electric supply disconnected.
136.	M/s. Roop Kamal Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	Show cause notice issued regarding installation of APCM.
137.	M/s. Durga Stone Crusher, Chuharpur, Yamuna Nagar.	Prosecution launched—case pending for hearing in Court of law.

Expenditure incurred on the Council of Ministers

267. **Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Chief Minister be pleased to state the monthwise total amount of expenditure incurred on account of telephone of the Chief Minister, each of the Minister and Minister of State installed at their residence, office and at Delhi during the period from July, 1991 to July, 1995 ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : दूरभाष किराए, स्थानीय कालज तथा ट्रंक कालज के खर्चों के बिल दूर-संचार विभाग से द्विमासिक प्राप्त होते हैं । इस लिए प्रश्न के सम्बन्ध में द्विमासिक के आधार पर सूचना* सदन के पटल पर रखी जाती है ।

Amount spent for Development Works

268. **Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Finance be pleased to state the details of the amount of Rs. 20 lacs provided to each M.L.A. in a financial year for the Development schemes of his area (through D.C. concerned) spent in each constituency of the State during the year 1994-95, 1995-96 ?

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : The statement is laid on the table of the House.

---

*Kept in the Library vide order dated 5-12-95.

STATEMENT

Statement showing constituency wise details of funds released and utilised under MLA's local area development scheme

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of District	Name of Constituency	1994-95			1995-96			Remarks
			Funds released by the Govt.	Funds released by D.C's as per suggestions of MLA's	Funds Utilised (%age)	Funds released by the Govt.	Funds released by D.C's as per saggestions of MLA's	Funds Utilised (%age)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	AMBALA	Kalka	20.00	20.00	3.73 (18.6)	40.00	1.62	—	
		Naraingarh	20.00	20.00	10.58 (52.9)	40.00	—	—	
		Mulana	20.00	20.00	12.70 (63.5)	40.00	—	—	
		Ambala Cantt.	20.00	20.00	5.21 (26.0)	40.00	—	—	
		Ambala City	20.00	18.00	11.26 (62.5)	40.00	—	—	
		Naggal	20.00	20.00	12.15 (60.7)	40.00	—	—	
		Total	120.00	118.00	55.63(47.1)	240.00	1.62	—	
2.	YAMUNA NAGAR	Chhachhrauli	20.00	20.00	16.77 (83.8)	40.00	—	—	
		Jagadhri	20.00	20.00	18.13 (90.6)	40.00	—	—	

[श्री मांगे राम गुप्ता]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Radaur	20.00	20.00	12.16 (60.8)	40.00	1.00	—	
		Yamunanagar	20.00	20.00	16.54 (82.7)	40.00	0.70	—	
		Sadhaura	20.00	20.00	16.61 (83.1)	40.00	2.00	—	
		Total	100.00	100.00	80.21(80.2)	200.00	3.70	—	
3.	KURUKSHETRA	Shahbad	20.00	20.00	16.06 (80.3)	40.00	1.33	—	
		Thanesar	20.00	20.00	10.39 (52.0)	40.00	—	—	
		Pehowa	20.00	17.55	9.92 (56.5)	40.00	—	—	
		Total	60.00	57.55	36.37(63.2)	120.00	1.33	—	
4.	KAITHAL	Kalayat	20.00	20.00	5.78 (28.9)	40.00	—	—	
		Kaithal	20.00	20.00	15.52 (77.6)	40.00	—	—	
		Guhla	20.00	20.00	14.58 (72.9)	40.00	—	—	
		Pai	20.00	20.00	13.08 (65.4)	40.00	—	—	
		Pundri	20.00	20.00	12.58 (62.9)	40.00	9.00	—	
		Rajound	20.00	20.00	4.18 (20.9)	40.00	—	—	
		Total	120.00	120.00	65.72(54.8)	240.00	9.00	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	KARNAL	Indri	20.00	20.00	13.38 (66.9)	40.00	19.30	—	
		Nilokheri	20.00	20.00	13.80 (69.00)	40.00	14.75	—	
		Karnal	20.00	19.56	14.86 (76.0)	40.00	17.04	0.30 (1.7)	
		Jundla	20.00	20.00	15.05 (75.2)	40.00	19.50	—	
		Gharaunda	20.00	20.00	13.27 (66.31	40.00	—	—	
		Assandh	20.00	20.00	11.70 (58.5)	40.00	20.00	3.20 (16.0)	
		Total	120.00	119.56	82.06(68.6)	240.00	90.59	3.50(3.9)	
6.	PANIPAT	Naultha	20.00	*	—	40.00	1.30	—	*Recommendations from MLA not received.
		Panipat	20.00	20.00	3.52 (17.6)	40.00	0.40	—	
		Samalkha	20.00	20.00	9.62 (48.1)	40.00	7.22	0.15 (2.0)	
		Total	60.00	40.00	13.14(32.8)	120.00	8.92	0.15(1.7)	
7.	SONIPAT	Kailana	20.00	20.00	17.69 (88.5)	40.00	20.00	2.50 (12.5)	
		Sonipat	20.00	20.00	1.65 (08.2)	40.00	12.25	2.75 (22.4)	
		Rai	20.00	*	—	40.00	20.00	4.50 (22.5)	*Recomendations from MLA not received.
		Rohat	20.00	20.00	13.64 (68.2)	40.00	19.00	3.10 (16.3)	

[श्री मांगे राम गुप्ता]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Baroda	20.00	*	—	40.00	20.00	1.00 (5.0)	
		Gohana	20.00	20.00	7.73 (38-6)	40.00	14.41	2.05 (14.2)	
		Total	120.00	80.00	40.71(50.9)	240.00	105.66	15.90(15.1)	
8.	ROHTAK	Hassangarh	20.00	14.06	0.75 (5.3)	40.00	—	—	
		Kiloi	20.00	20.00	11.58 (58.0)	40.00	5.31	—	
		Rohtak	20.00	20.00	13.75 (68.7)	40.00	16.57	—	
		Meham	20.00	20.00	7.20 (36.0)	40.00	—	—	*Recommendations from MLA not received and amount spent under D/Plg.
		Kalanaur	20.00	19.95	6 59 (33.0)	40.00	—	—	
		Beri	20.00	19.83	3.03 (15.2)	40.00	—	—	
		Salhawas	20.00	1.50*	—	40.00	—	—	
		Jhajjar	20.00	8.07	0.01 (0.1)	40.00	—	—	
		Badli	20.00	16.50	0.26 (1.5)	40.00	—	—	
		Bahadurgarh	20.00	19.84	13.38 (67.4)	40.00	—	—	
		Total	200.00	159.75	56.55(35.4)	400.00	21.88	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	FARIDABAD	Faridabad	20.00	20.00	3.34 (16.7)	40.00	20.00	—	
		Mewla Maharajpur	20.00	20.00	14.38 (72.0)	40.00	20.00	—	
		Ballabhgarh	20.00	20.00	15.55 (77.7)	40.00	20.00	0.75 (3.7)	
		Palwal	20.00	20.00	15.10 (75.5)	40.00	20.00	—	
		Hassanpur	20.00	20.00	11.09 (55.4)	40.00	20.00	—	
		Hathin	20.00	20.00	7.53 (37.6)	40.00	—	—	
		Total	120.00	120.00	66.99(55.8)	240.00	100.00	0.75(0.75)	
10.	GURGAON	Ferojpur Jhirka	20.00	20.00	13.25 (66.2)	40.00	—	—	
		Nuh	20.00	20.00	13.76 (68.8)	40.00	—	—	
		Taoru	20.00	20.00	14.06 (70.3)	40.00	—	—	
		Sohna	20.00	20-00	16.47 (82.3)	40.00	13.57	—	
		Gurgaon	20.00	20.00	16.65 (83.2)	40.00	11.59	—	
		Pataudi	20.00	20.00	18.10 (90.5)	40.00	—	—	
		Total	120.00	120.00	92.29(76.9)	240.00	25.16	—	
11.	REWARI	Jatusana	20.00	20.00	7.58 (37.9)	40.00	13.85	—	
		Bawal	20.00	20.00	3.30 (16.5)	40.00	—	—	
		Rewari	20.00	20.00	6.63 (33.2)	40.00	17.75	—	
		Total	60.00	60.00	17.51(29.2)	120.00	31.60	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	MAHENDERGARH	Mahendergarh	20.00	1.50*	0.26 (17.3)	40.00	6.25	0.25 (4.0)	*Recommendations from MLA not received and amount spent under D/Plg.
		Ateli	20.00	19.59	13.95 (71.2)	40.00	5.17	—	
		Narnaul	20.00	19.87	7.88 (39.7)	40.00	1.30	—	
		Total	60.00	40.96	22.09(53.9)	120.00	12.72	0.25(2.0)	
13.	BHIWANI	Badhra	20.00	19.71	5.27 (26.7)	40.00	—	—	
		Dadri	20.00	20.00	2.75 (81.7)	40.00	—	—	
		Mundhal Khurd	20.00	20.00	6.98 (34.9)	40.00	—	—	
		Bhiwani	20.00	19.82	8.61 (43.4)	40.00	—	—	
		Tosham	20.00	20.00	2.75 (13.7)	40.00	—	—	
		Loharu	20.00	19.66	8.29 (42.1)	40.00	—	—	
		Bawani Khera	20.00	18.10	5.48 (30.2)	40.00	—	—	
		Total	140.00	137.29	40.13(29.2)	280.00	—	—	
14.	JIND	Narwana	20.00	*	—	40.00	19.83	0.19 (0.9)	*Recommendations from MLA not received.
		Uchana Kalan	20.00	20.00	11.84 (59.2)	40.00	19.95	—	
		Jind	20.00	20.00	15.44 (77.2)	40.00	14.75	2.84 (19.3)	
		Jullana	20.00	*	—	40.00	12.48	—	
		Safidon	20.00	18.86	11.04 (58.5)	40.00	19.64	0.34 (1.7)	
		Total	100.00	58.86	38.32(65.1)	200.00	86.65	3.37(3.9)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	HISAR	Barwala	20.00	15.70	13.83 (88.0)	40.00	20.00	—	
		Narnaund	20.00	17.00	13.18 (77.5)	40.00	0.00	—	
		Hansi	20.00	17.50	11.12 (63.5)	40.00	20.00	—	
		Bhattu Kalan	20.00	1.90*	1.90 (100.0)	40.00	20.00	—	*Recommendations of MLA not received and amount spent under D/Plg.
		Hisar	20.00	13.10	7.73 (59.0)	40.00	16.20	—	
		Ghirai	20.00	11.15	8.27 (74.2)	40.00	20.00	—	
		Tohana	20.00	19.45	7.38 (37.9)	40.00	20.00	—	
		Ratia	20.00	16.10	11.96 (74.3)	40.00	20.00	—	
		Fatehabad	20.00	17.00	9.53 (56.0)	40.00	20.00	—	
		Adampur	20.00	20.00	20.00 (100.00)	40.00	0.00	—	
		Total	200.00	148.90	104.90(70.4)	400.00	156.20	—	
16.	SIRSA	Darba Kalan	20.00	*	—	40.00	—	—	*Recommendations from MLA not received.
		Ellenabad	20.00	20.00	11.15 (55.7)	40.00	18.22	1.33 (7.2)	
		Sirsa	20.00	20.00	15.85 (79.2)	40.00	2.00	—	
		Rori	20.00	20.00	13.02 (65.1)	40.00	—	—	
		Dabwali	20.00	20.00	10.27 (51.3)	40.00	8.50	—	
		Total	100.00	80.00	50.29(62.8)	200.00	28.72	1.33 (4.63)	

Expenditure incurred on electricity bills of S.P. Faridabad

271. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state the monthwise expenditure incurred on account of electricity bills of residence/camp office of S.P. Faridabad during the period from July, 1994 to July, 1995 separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : पुलिस अधीक्षक फरीदाबाद के निवास स्थान/कैम्प कार्यालय पर जुलाई, 1994 से जुलाई, 1995 तक (मास अनुसार) बिजली के बिलों का खर्चा निम्न प्रकार है :—

समय अवधि	खर्च
6/94 और 7/94	3450-00 रुपये
8/94 से 11/94	10882-00 रुपये
12/94 से 1/95	6362-00 रुपये
2/95 से 3/95	6155-00 रुपये
4/95 से 5/95	6124-00 रुपये
6/95 से 7/95	7588-00 रुपये
	40561-00 रुपये

Recruitment of Constables in Haryana Police Department

272. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any recruitment of Constables in Police Department has been made in the State during the period from August, 1991 todate; if so, the names and addresses of the persons so recruited ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : वांछित सूचना हरियाणा विधान सभा पटल पर रखी जाती है। पुलिस विभाग के भिन्न भिन्न यूनिटों द्वारा भर्ती किये गये जवानों के नाम पते आदि के विवरण को उपलब्ध करवाने में जो परिश्रम एवं समय लगेगा उसके अनुपात में मांगी गई सूचना से लाभ नहीं होगा।

विवरण

पुलिस विभाग में अगस्त 1991 से आज तक की गई भर्ती के बारे सूचना

क्र० सं०	जिला/ यूनिट	वर्ष 1991	वर्ष 1992	वर्ष 1993	वर्ष 1994	वर्ष 1995	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	—	164	12	16	13	205
2.	कुरुक्षेत्र	—	59	1	12	24	96
3.	कैथल	2	80	2	10	15	109
4.	यमुनानगर	2	36	2	6	9	55
5.	सोनीपत	3	36	5	14	20	78
6.	पानीपत	—	64	2	2	15	83
7.	करनाल	3	102	4	9	11	129
8.	रोहतक	2	38	6	15	16	77
9.	गुड़गावां	3	15	5	10	26	59
10.	रिवाड़ी	—	33	—	4	11	48
11.	नारनौल	—	67	—	11	14	92
12.	फरीदाबाद	—	31	4	12	20	67
13.	हिसार	3	327	3	18	20	371
14.	सिरसा	3	133	3	15	23	177
15.	भिवानी	—	38	7	7	23	74
16.	जीन्द	3	95	2	9	9	118
17.	पंचकुला	—	—	—	—	—	—
18.	रेलवेज	4	54	2	2	6	68
19.	दूरसंचार	2	63	3	5	3	76
20.	कमाण्डो करनाल	—	—	—	5	8	13
21.	कमाण्डो हिसार	—	364	5	2	3	374
22.	प्रथम वाहिनी	272	84	3	10	—	369
23.	द्वितीय वाहिनी	366	124	10	—	360	860
24.	तृतीय वाहिनी	358	85	1	—	138	582
25.	चतुर्थ वाहिनी	613	139	7	13	230	1002
26.	पंचम वाहिनी	30	246	29	7	225	537
	कुल योग :	1669	2477	117	214	1242	5719

Development of Colonies

273. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to allow the farmers/land owners to develop residential/Commercial Colonies on their own land in the State ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) :

(a) No, Sir. It is, however, pointed out that a land owner can convert his land into a colony in urban areas and controlled areas in accordonce with the provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act 1975 and the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963.

(b) Does not arise.

Number of Schools Upgraded

274. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Education be pleased to state the number of schools, if any, upgraded in district Faridabad during the year 1994-95, togetherwith the names thereof?

शिक्षामंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : वर्ष 1994-95 में जिला फरीदाबाद में स्तरोन्नत किये गये 12 स्कूलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

प्राथमिक से माध्यमिक	माध्यमिक से उच्च	उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक
1. बरोली (कन्या)	1. मुजेसर	1. बल्लबगढ़ (कन्या)
2. सरूरपुर	2. बरोली	
3. पी०एस० लखनाका	3. भुआपुर	
4. धूमसरा	4. फतेहपुर तेगा	
5. मांगर	5. छांयसा	
	6. हुरीथल	

Augmentation of Water Supply of village Thua

269. **Shri Ram Kumar Katwal** : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the water supply of village Thua of District Kaithal, if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : गांव थूआ, जीन्द जिले में पड़ता है न कि कैथल जिले में। इस गांव में पेयजल सुधार के लिये एक अनुमान स्वीकृत किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। वह कार्य 31-3-97 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Construction of Retaining Walls

270. **Shri Ram Kumar Katwal** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the retaining walls on the ponds located on the sides of the roads at village Alewa, Katwal, Naguran, Diluwala, Popra and Rajaund of Districts Jind/ Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the retaining walls as referred to in para (a) above are likely to be constructed ?

लोक निर्माण (बी0एण्ड आर0) मन्त्री (चौधरी अमर सिंह) :

(क) गांव राजौंद, कैथल-राजौंद-असंध सड़क पर रु0 54,500/- की लागत से रिटेनिंग वाल का निर्माण करने का प्रस्ताव था परन्तु इस रिटेनिंग वाल का निर्माण ब्लाक डिवैलपमेंट एण्ड पंचायत अधिकारी, राजौंद द्वारा किया गया है। इस समय गांव अलेवा, कटवाल, नगूरा, दिलुवाला और पोपड़ा में सड़कों पर तालाबों के साथ रिटेनिंग वाल्ज का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Strength of Students/JBT Teachers in Schools

275. **Shri Azmat Khan** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of students admitted in the schools of Nuh, Nagina, Ferozepur Jhirka, Punhana, Taoru and Hathin blocks during the current academic year upto 15th May, 1995; and

(b) the number of sanctioned posts of JBT teachers in the schools as referred to in part (a) above together with the number of posts lying vacant therein at present ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना) :

(क) मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है :

क्रमांक	ब्लाक	दाखिल किये गये बच्चों की संख्या कक्षा 1-5	कक्षा 6-12	कुल
1.	हथीन	2890	3699	6589
2.	नूंह	1521	2313	3834
3.	पुन्हाना	1173	1949	3122
4.	फिरोजपुर झिरका	1285	1178	2463
5.	नगीना	704	1056	1760
6.	तावड़ू	1552	2293	3845

(ख) मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	ब्लाक	जे.बी.टी. के स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	हथीन	413	65
2.	नूंह	142	22
3.	पुन्हाना	182	65
4.	फिरोजपुर झिरका	132	52
5.	नगीना	124	25
6.	तावड़ू	204	36

Outstanding Amount of Electricity Bills

276. **Ch. Om Parkash Beri** : Will the Minister for power be pleased to state—

(a) the total amount of arrears on account of electricity bills outstanding against various Government Departments/Boards/Corporations, industries and Agriculture Sector separately as on 30-6-95; and

(b) the steps taken if any, or proposed to be taken to recover the outstanding amount as referred to in part (a) above.

Power Minister (Sh. Verender Singh) :

(a) The amount of arrears on account of electricity bills ending 30-6-95 category wise were as follows :

Industries	=	Rs. 5912.08 lakhs
Agriculture	=	Rs. 3709.64 lakhs
Irrigation Deptt.	=	Rs. 3567.73 lakhs
HSMITC	=	Rs. 630.89 lakhs
Public Health	=	Rs. 294.41 lakhs
Municipal Committees	=	Rs. 86.15 lakhs
Panchayats	=	Rs. 108.95 lakhs

(b) Following steps are being taken to recover the outstanding amounts :—

(i) A special campaign has been launched to disconnect defaulting consumers and to effect recovery of outstanding bills. Progress on this account is monitored at headquarter level every week.

(ii) The progress of recovery of defaulting amount is monitored at highest level.

(iii) Due to vigorous follow up with the State Government, the Board has received Rs. 373.13 crores out of a total claim of Rs. 412.53 crores outstanding against Irrigation Deptt., HSMITC, Public Health and Municipal Committees. Besides, Sub Divisional Officers have been authorised to disconnect the supply of defaulting Government/Semi-Government departments to effect the recovery of energy bills promptly.

(iv) Divisionwise targets for revenue assessed and realised have been fixed and are being monitored to avoid accumulation of arrears.

(v) To settle disputed cases, Negotiation Committees have been activated at Headquarter/Zonal/Circle level. Superintending Engineers (OP) have been delegated powers to decide disputed cases to mop up recovery.

(vi) As an incentive, Chief Engineers (Operation) have been allowed ½% of the amount recovered as penalty towards theft of electricity and recovery of defaulting amount to be spent on services concerned viz. hiring of vehicles etc. as well as for cash awards.

Recruitment of Constables

277. **Ch. Om Parkash Beri** : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of candidates recruited as constables, drivers etc. in various wings of the Police Department from 1-5-95 till to date together with the names and addresses thereof ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) : The information regarding unitwise recruitment of constables is placed on the table of the House.

The time and labour involved in collecting names and addresses of the persons recruited as Constables in various wingsof Haryana Police will not be commensurate with any possible benefit sought to be derived.

Information regarding recruitment of constables in different wings of Haryana Police during the period from 01-05-95 to date.

S. No.	Distt/ Unit	Total recruitment
1.	Panchkula	—
2.	Ambala	7
3.	Kurukshetra	22
4.	Kaithal	13
5.	Yamunanagar	8
6.	Panipat	15
7.	Karnal	9
8.	Sonepat	20
9.	Rohtak	15
10.	Gurgaon	21
11.	Rewari	11
12.	Narnaul	9
13.	Faridabad	20
14.	Hisar	20
15.	Bhiwani	20
16.	Sirsa	23
17.	Jind	9
18.	Telecom	2
19.	Commando/KNL	8
20.	Commando/HSR	—
21.	Railways	6
22.	1st Bn. HAP	—
23.	2nd Bn. HAP	360
24.	3rd Bn. HAP	136
25.	4th Bn. HAP	230
26.	5th Bn. HAP	224
	Total	1208

अध्यक्ष द्वारा आवजर्वेशन—

15.00

राज्य में आई बाढ़ पर बहस होने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, there have been heavy floods in the State and I have received different adjournment motions, calling attention motions and also motion under Rule84 from different members and from different parties. I have clubbed them all together. This was also discussed in the Business Advisory Committee, in which the leader of the House as well as leaders of Janata Party and Haryana Vikas Party were also present and after discussion it was decided that there should be discussion on floods for two days. Hence, after clubbing a together, I allow that there shall be discussion for two days, i.e., for today and tomorrow also. First of all, the business of the Government, which has already been listed, shall be transacted.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में यह फैसला लिया गया था कि बाढ़ पर दो दिन डिस्कशन होगी लेकिन उस फैसले को आज चार दिन हो गए हैं और उस वक्त सरकार को भी उम्मीद थी कि इन दिनों में पानी कुछ उतर जाएगा और स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आज उससे भी बदतर हालात हो गए हैं । आज पानी और भी कई नए एरियाज में घुस गया है, स्थिति और भी खराब हो गई है । आप बहस दो दिन की बजाए चार दिन कर दें । आज शायद ही कोई ऐसा एरिया है जहां पर पानी न भरा हो । अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हर सदस्य बोलना चाहेगा । एजण्डे पर जो सरकारी बिजनैस है, हम उसको पास करने को तैयार है लेकिन आप बाढ़ पर डिस्कशन दो दिन की बजाए चार दिन कर दें ।

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट न करें ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात पर गौर करें।

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक फर्माया है कि बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी में हमारे, विपक्ष के नेता और सरकार के बीच में यह अन्डर सटैन्डींग हुई थी कि दो दिन बाढ़ पर बहस होगी । लेकिन आज हालात खराब हो गए हैं इसलिए दो दिन का समय बाढ़ पर चर्चा के लिए कम है । प्रो० सम्पत सिंह जी ने भी यही कहा हैं कि यह समय कम है । सर जिस तरह से प्रदेश में बाढ़ आयी है, उसके हिसाब से अगर चर्चा करने लगे तो बहुत समय चाहिए क्योंकि एक गांव की चर्चा करने में ही घंटों लग जाते है । इसलिए सर, इस समय को आप बढ़ाएं और कोई जल्दी वाली बात नहीं होनी चाहिए । इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमने एडजर्नमैंट मोशन दिए हुए हैं इसलिए इस महान सदन का प्रोसिजर तो यही है कि क्वैश्चन आवर के तुरन्त बाद पहले यह मोशन लिया जाता है । सर, सरकार का जो बिजनैस है वह तो रस्मी है । जब हम सभी बाढ़ पर चर्चा कर

[प्रो0 राम बिलास शर्मा]

लेंगे, उसके बाद जैसा विपक्ष के नेता ने कहा है कि 15 मिनट में सरकार का यह बिजनैस हम पास करवा देंगे । परन्तु सर, बाढ़ पर चर्चा पूरे विस्तार से होनी चाहिए। यह किसी के रहमोकरम की बात नहीं है और इससे सरकार को भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए । बाढ़ के कारण लोगों को दुख दर्द झेलने पड़े हैं, उसकी चर्चा तो कम से कम इस महान सदन में होनी ही चाहिए और उसके लिए खुला समय रखा जाना चाहिए। तथा कोई भी समय सीमा नहीं होनी चाहिए, चाहे रात के 12 बजे तक चर्चा चले । जब तक सदस्य चर्चा करना चाहे, वह होनी चाहिए। ऐसी प्रथा भी आपको डालनी चाहिए कि रात के 12 बजे तक चर्चा चलें । मैंने भी और दूसरे अन्य सदस्यों ने भी बाढ़ के बारे में एडजर्नमैंट मोशन दिए हैं, उनको आपको पहले टेकअप करना चाहिए, यही मेरी हम्बल सबमिशन है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सारे सदन को बताया कि बी0ए0सी0 में इस बारे में डिटेल से डिस्कशन हो गयी थी और चौधरी बंसी लाल जी ने बाढ़ पर चर्चा करवाने के लिए दो दिन का समय रखने की बात कही थी । उस समय सम्पत सिंह जी ने तो एक दिन के लिए भी नहीं बोला था। ये स्वयं यहां हाउस में बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये बता दें। (शोर) आप अखबार वालों की तरफ क्या देख रहे हैं ? आपने तो उस दिन बाढ़ पर चर्चा करवाने के समय के बारे में जिक्र तक भी नहीं किया था । अध्यक्ष महोदय, मुझे अचम्भा तो इस बात का है कि ये तो आज इस्तीफा देने वाले थे लेकिन ये तो यहां पर बैठे हैं। क्या इन पर प्रदेश की जनता और अखबार वाले विश्वास करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इनको तो पता था कि अभी एक और सैशन होना है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने पहले भी एक बार इस्तीफा दिया था लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी ये एम0 एल0 ए0 शिप की सारी सुविधाएं लेते रहे । हमें तो इनकी बातों पर रहम आता है । बी0 ए0 सी0 की मीटिंग में चौधरी बंसी लाल जी ने बाढ़ पर चर्चा के लिए लिए दो दिन के समय का प्रस्ताव किया था और हमने एक सैकेन्ड भी नहीं लगायी तथा कहा कि ठीक है प्रदेश में बहुत भंयकर बाढ़ आयी हुई है, इसलिए इन्होंने जो दो दिन की बात कही थी, उसको हमने मान लिया था आप पहले बाढ़ पर डिस्कशन कर लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा देने की बात कही है। इसमें कोई दो राय नहीं है और हम आज भी अपने स्टैंड पर दृढ़ हैं । हमने कहा था कि अगर 23 तारीख तक सरकार ने यमुना ऐकोर्ड को कैंसिल नहीं किया तो हम उसके बाद इस्तीफे दे देंगे। लेकिन इस बीच यमुना के पानी को भी और इस सरकार को भी यह बाढ़ ले डूबी । इसलिए अगर हम ऐसी परिस्थितियों में इस्तीफे देकर जाते है तो हरियाणा के लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे । स्पीकर सर, आज कुदरत और सरकार दोनों मिलकर हरियाणा के लोगों को मार रहे हैं इसलिए

हम इनकी पूरी खिंचाई करेंगे, लेकिन हमारा इस्तीफे देने का वह स्टैंड आज भी वही है और वह काम भी हम करेंगे,। स्पीकर सर, आज हालात ऐसे पैदा हो गये हैं कि इस बाढ़ ने हरियाणा के लोगों को पूरी तरह से डूबो दिया है। सर, जहां तक पहले इस्तीफे देने की बात थी, अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो फिर पैन्शन मिलती है और अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो सैलरी मिलती है । इन दोनों में एक लेने के लिए एम0एल0ए0 एनटाइटलड होता है । हर मैम्बर उस समय भी किसी न किसी कमेटी का मैम्बर था लेकिन उस समय हमने कोई भी टी0ए0/डी0ए0 नहीं लिया था । जब पैन्शन नहीं थी तो सैलरी लेनी पड़ती है, दोनों में एक तो लेनी पड़ती है सर, उस समय यही बात थी । हम इन को ऐसे ही नहीं चलने देंगे, जब हरियाणा प्रदेश के इंट्रस्ट पर वे चोट मारेंगे तो उस समय हम हर वक्त तैयार रहेंगे लेकिन बाढ़ के मामले में हम पहले इनकी कुर्बानी लेंगे।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में यह भी तय हुआ था कि जिन-जिन सदस्यों की कंस्टीच्यूएंसी में बाढ़ आई है, उन सबको बोलने के लिए रीजनेबल टाईम दिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप टाईम तय कर दीजिए। तकरीबन सभी मम्बरों के हल्के में बाढ़ आई है, दो दिन में जितना बोलना चाहते हैं उतना टाईम बांट दीजिए । इस साइड में और उस साइड में सबको बराबर बोलने का अधिकार है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर सर, मेरे हल्के में तो बाढ़ आई ही है, मेरे घर में भी बाढ़ है ।

चौधरी बंसी लाल : आपकी पार्टी के लोगों को बोलने का पूरा अधिकार है लेकिन में समझता हूं कि हम लोगों को बोलने का ज्यादा अधिकार है, आप लोगों को तो आराम से हमारी बातें सुननी चाहिए। कोई मैम्बर कम बोलेगा, कोई ज्यादा बोलेगा, और रात के 12 बजे तक अगर हाउस बैठे तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए । टाईम के झगड़े में मुख्य मंत्री जी क्यों पड़ते हैं ?

श्री कर्णसिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने आपकी सेवा में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं ।

श्री अध्यक्ष : उनके बारे में आप बाद में पूछिए, अब सिर्फ यही सब्जैक्ट है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर सर, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में 26 और 27 सितम्बर यानी दो दिन बाढ़ पर चर्चा के लिए मुकर्रर हुए थे । किसी भी विधान सभा का अधिवेशन औपचारिकता निभाने के लिए नहीं होता, इसमें प्रौब्लम डिसकस करनी होती हैं । पूरी स्टेट में बुरी तरह से फ्लड आया हुआ है, हमारे रोहतक जिले के 6 हल्के तो पूरी तरह से बाढ़ के अन्दर हैं । यहां पर आम तौर पर टाईम उन लोगों को मिलता है जो पौलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं । हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते है.....। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का टाईम दिया जाएगा।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर सर, मेरी सबमीशन है कि बाढ़ पर चर्चा के लिए कम से कम चार दिन का समय रखें ताकि हर हल्के के लोग अपनी अपनी बात कह सकें और अपने सुझाव दे सकें कि किस तरीके से फ्लड पर कंट्रोल किया जा सकता है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। दो दिन में इस सैशन को खत्म करने की बात क्यो की जा रही है ?

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में 20 तारीख को दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे हैं। एक तो पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो जी० टी० रोड और शिड्यूल रोड हैं, उनके निकट बने मकानों के बारे है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह अंडर कंसीडेशन है।

डा० राम प्रकाश : दूसरा जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वह है कुरुक्षेत्र से एक यात्रियों की बस हरिद्वार, नेपाल जा रही थी जिसमें 55 आदमी डूबकर मर गये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह भी अंडर कंसीडेशन है।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर सर, मेरा भी काल अटैंशन मोशन बाढ़ के ऊपर है। मेरे दादरी हल्के में बाढ़ आई है और मेरे घर में भी बाढ़ है, आज तक पानी खड़ा है।

श्री अध्यक्ष : आपको टाईम मिलेगा, आप उस वक्त बोलिए।

श्री अतर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कादमा कांड से सम्बन्धित मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था, उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्ष: यह सरकार की कमैन्टस के लिये भेजा हुआ है। जब वहां से जवाब आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह व मैंने भी कादमा कांड के सम्बन्ध में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था। (शोर)

श्री अध्यक्ष: सरकार से जब इस का जवाब आ जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था। वहां पर आठ आठ फुट बाढ़ का पानी भरा पड़ा है जिस के कारण आस पास के गांव में बड़ा भारी तनाव इस सरकार से पैदा कर रखा है। इस बारे में स्थिति बता दीजियेगा कि इसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : कब दिया था आपने यह काल अटैन्शन मोशन ?

प्रो० छतर सिंह चौहान : आज दिया था, जी ।

Mr, Speaker : Please take your seat. How can I reply it while sitting here in the House ?

घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) पैनल आफ चेयरमैन

Mr. Speaker : Hon'ble Members under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen :—

1. Smt. Chandravati.
2. Shri Mani Ram Keharwala.
3. Shri Dhir Pal Singh.
4. Prof. Chhattar Singh Chauhan

(ii) कमेटी आन पैटीशंज

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

1.	Shri Sumer Chand Bhatt Deputy Speaker.	Ex-officio Chairman
2.	Shri Brij Anand, M.L.A.	Member
3.	Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A.	Member
4.	Prof. Chattar Singh Chauhan, M.L.A.	Member
5.	Shri Jai Pal Singh, M.L.A.	Member

(ख) सचिव द्वारा—

*राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गये बिलों सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now the Secretary will make announcement.

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 1995 में हुए बजट सत्र में पारित किये थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय से अनुमति दे दी है, सदन की मेज पर रखता हूं :—

[Secretary]

Statement

1. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1995.
2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1995.
3. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1995.
4. Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, 1995.

*5. The Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1995.

6. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1995.

*7. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 1995.

8. The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1995.
9. The Punjab Pre-emption (Haryana Amendment) Bill, 1995.
10. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 1995.
11. The Haryana Appropriation (No.2) Bill, 1995.
12. The Haryana Tax on Luxuries (Repeal) Bill, 1995.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon. Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee :—

"The Committee met at 10.00 A.M. on Friday the 22nd September, 1995 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Friday, the 22nd September, 1995 and on Tuesday, the 26th September, 1995 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Wednesday, the 27th September, 1995 and Thursday, the 28th September, 1995 at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M.

The Committee also recommends that on Friday, the 29th September, 1995, Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day without question being put.

The Committee after some discussion further recommends that the business on 22nd September, 1995 and from 26th September,

1995 to 29th September, 1995, be transacted by the Sabaa as follows :—

Friday, the 22nd September, 1995 (2.00 P.M.)	Obituary References.
Saturday, the 23rd September, 1995	Off day
Sunday, the 24th September, 1995	Holiday
Monday, the 25th September, 1995	Holiday
Tuesday, the 26th September, 1995 (2.00 p.m.)	1. Questions Hour. 2. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 3. Papers to be laid on the Table of the House. 4. Presentation of excess demands over grants and appropriations for the year 1989-90. 5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon. 6. Any other Business.
Wednesday, the 27th September, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 30. 3. Any other Business.
Thursday, the 28th September, 1995 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour, 2. Discussion and voting on the excess demands over grants and appropriations for the year 1989-90. 3. Legislative Business.
Friday, the 29th September, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.

[Mr. Speaker]

4. Appropriations Bill in respect of excess demands over grants and appropriations for the year 1989-90.

5. Legislative Business.

6. Any other Business."

Now, the Irrigation Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker :Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee,

The motion was carried

सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the table on the House.

Irrigation Minister : Sir I beg to lay on the Table—

1. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 4 of 1995).

2. The Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 5 of 1995).

3. The Haryana Service of Engineers. Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) Respectively Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 6 of 1995).

4. The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 7 of 1995).

5. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 8 of 1995).

6. The Punjab Courts (Haryana Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 9 of 1995).

7. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 38/Const./Art. 320/Amd. (3)/95, dated the 18th April, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1995 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

8. The General Administration Department Notification No.G.S.R. 56/Const./Art. 320/Amd.(1)/95 dated the 28th July, 1995 regarding the Amendment in Haryana Government, General Administration Department notification No. G.S.R.1. Const./Art. 320/Amd. (4)/95, dated the 4th January, 1995 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

9. The General Administration Department Notification No. G.S.R.57/Const./Art.320/Amd. (2)/95, dated the 28th July, 1995 regarding the Amendment in the Haryana Government, General Administration Department, notification No. G.S.R.2/Const./Art. 320/Amd. (5)/95, dated the 4th January 1995 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

10. The General Administration Department Notification No. G.S.R.58/Const./Art. 320/Amd. (4)/95, dated the 28th July, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1995 as required under Ariticle 320(5) of the Constitution of India.

11. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 39/H.A.20/73/S.64/95, dated the 21st April, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

12. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R.47/H.A.20/73/S64/95. dated the 9th June, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

13. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 48/HA20/73/S. 64/95, dated the 14th June, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

14. The Grant Utilisation Certificate and Audit Report for the year 1991-92 of the Chaudhary Charan Singh Haryana

[Shri Jagdish Nehra]

Agricultural University Hisar as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

15. The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1991-92 as required under Section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

16. The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 1991-92 as required under Section 19A (3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Condition of Service) Act, 1971.

17. The 27th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1993-94 as required under section 69 (5) (a) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

18. The Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1995-96 and revised Estimates for the year 1994-95 as required under Section 61(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

19. The 27th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1993-94 as required under Section 619-A(3) Companies Act, 1956

20. The Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1993 as required under Section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

21. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1991-92 as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

22. The 21st Annual Report of the Haryana Tanneries Limited for the year 1992-93 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

23. The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the years 1983-84 to 1989-90 as required under Section 19A (3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

24. The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1993-94 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

25. The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1993-94 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

26. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 No. 3 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

वर्ष 1989-90 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the excess demands over grants and Appropriations for the year 1989-90.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to present the excess demands over Grants and Appropriations for the year 1989-90.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री सम्पत सिंह, एम0एल0ए0 तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Sher Singh, M.L.A., Chairman, Committee of Privileges will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Shri Sampat Singh, M.L.A. and Leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various newspapers on 4th March, 1993 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Shri Sampat Singh, M.L.A. and Leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various newspapers on 4th March, 1993.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is —

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Sher Singh M.L.A. Chairman Committee of Privileges will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M.L.A., against Shri Karan Singh Dalal M.L.A. for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shakrulla Khan, Mahender Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala, and Chhattarpal Singh etc. in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd, Ilyas, Shakrulla Khan, Mahender Partap Singh, Raj Kumar Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala and Chhattarpal Singh etc. in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March 1993.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried

(iii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Sher Singh, M.L.A. Chairman, Committee of Privileges will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. in respect of persisting to level false and baseless allegations against the Leader of the House on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. in respect of persisting to level false and baseless allegations against the Leader of the House on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr-Speaker : Question is—

That the time for the prosentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried

(iv) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध

Mr Speaker : Now, Shri Sher Singh M.L.A. Chairman, Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th Septemer, 1994, that he was honourably acquitted in the case of seizure of watches by the Custom Authorities and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th September, 1994, that he was honourably acquitted in the case of seizure of Watches by Custom Authorities.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

राज्य में आई बाढ़ सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, as announced earlier that various notices of adjourment motions, Calling Attention Motions and motions under Rule 84 have been received from various members which have been clubbed together and converted into Motion under rule 84, Now Shri Om Parkash Chautala may move his motion under rule 84 which has been given by him and other 26 M.L.As.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में हाल ही में उत्पन्न गंभीर स्थिति से हुए नुकसान पर तुरंत चर्चा की जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the serious situation that has arisen on account of recent floods in the State and the substantial damage caused by it, be discussed."

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में भयंकर बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान हुआ है जिसकी वजह से सारे प्रदेश का सारे का सारा सामन्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और आवागमन के सारे रास्ते अब भी रुके पड़े हैं । गावों में अभी तक बाढ़ का पानी खड़ा है फसलें बर्बाद हो गई और यह भी उम्मीद नहीं है कि रबी की फसल की बुआई हो सकेगी या नहीं । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के 16 के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं । इनमें से

2840 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 20 लाख 35 हजार 468 एकड़ रकबा बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है जिसमें से 16 लाख 55 हजार 88 एकड़ में फसल बर्बाद हुई । 28 लाख 87 हजार 657 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । 2 लाख 21 हजार 578 घर डैमेज हुए हैं । 3157 पशु मरे दिखाए गए हैं और 168 आदमियों की जानें गई हैं । सरकार ने 321 रिलीफ कैम्प खोले जिनमें 1 लाख 36 हजार 402 लोगों को राहत प्रदान की गई । अगर सरकार के आंकड़े भी सही मान लिए जाएं तो बाढ़ का स्थिति बहुत गम्भीर है और प्रकृति की तरफ से जो नुकसान हुआ, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई पग समय पर नहीं उठाए गए जिनकी वजह से लोगों को राहत प्रदान की गई हो । आज ऐसी स्थिति हो गई जैसे प्रशासन नाम की कोई चीज काम ही नहीं कर रही हो । इस भीषण बाढ़ से लोग खुद प्रकृति के रहमोकर्म पर हैं । जो लोग बाढ़ से बचे हुए थे और जो धनी लोग थे, उन्होंने आगे बढ़ कर दिल खोल कर बाढ़ से घिरे लोगों की मदद की । प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाये जाने चाहिए थे नहीं उठाये गए । जो लोग अपने स्तर पर लोगों को बाढ़ के दिनों में राहत पहुंचा रहे थे उसी राहत को सरकारी आंकड़ों में दिखाकर बिल वसूल कर रहे हैं । सरकारी आकड़ों के मुताबिक 6 हैलीकापटर थे जिनमें 3 हैलीकापटर खाद्य सामग्री के लिए इस्तेमाल होते थे । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 लाख खाने के पैकेट गिराए गए हैं । अध्यक्ष महोदय, आप इस बात का स्वयं पता करवा लें कि 3 हैलीकापटर इतनी उड़ान भर कर क्या इतने पैकेट गिराने में समर्थ हैं यानि उनके द्वारा इतने पैकेट गिराना संभव हैं ? अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो दिखाया गया है उसमें स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता को भी शामिल करके दिखाया जा रहा है इन पैकटों से जाहिर है कि प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर सहायता दी है । इस बात ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि सरकार जो मदद पीड़ितों को दे रही है वह सरकार नहीं दे सकती बल्कि वह स्वयं सेवी संस्थाओं से वसूल की गई है । जिन लोगों ने खाद्य सामग्री पोलीथीन पैकेट्स में बन्द करके पीड़ित लोगों को पहुंचाने के लिए दी थी, मजबूरन उन्होंने पैकेट्स में अपने-2 नाम की पर्चियां डालना शुरू कर दिया । सरकार द्वारा पहुंचाई गई मदद में ऐसे पैकेट्स पकड़े गए जिनमें पर्चियां थीं । अध्यक्ष महोदय, कैसे इस बात को माना जाये कि प्रदेश की सरकार ने पीड़ित लोगों की मदद की है । सरकार का दावा है कि सरकार ने दिल खोलकर मदद की है, । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 28 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से घिर गए थे और 1,36,402 लोगों को मदद दी गई । इससे जाहिर होता है कि सरकार 5% लोगों को भी राहत प्रदान करने में असमर्थ रही है । अध्यक्ष महोदय, यह जो विनाश लीला हुई है, मैं तो यह मान कर चल सकता हूं कि वर्षा ज्यादा होने की वजह से हुई होगी लेकिन ज्यादा दोषी सरकार है, इस न-अहल सरकार की वजह से गफलत रही है, जिसका नतीजा यह बाढ़ थी । सरकार की सारी जगह ड्रेनें खुदी हुई है लेकिन सरकार ने इनकी खुदाई के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । ड्रेनों में किसी प्रकार की

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

डी-बैंडिंग नहीं की गई, झाड़-झंखाड़, कीकर, पटेरा आदि ड्रेनों में ज्यों के त्यों खड़े रहे और उनकी सफाई नहीं की गई। इन ड्रेनों की डी-सिल्टिंग नहीं की गई जिसके कारण वे मिट्टी से भरी हुई थीं और बाढ़ का पानी लेने में असमर्थ थीं। डिविजन ड्रेन नं0 8 जिसकी कैपेसिटी 8 क्यूसिक है, उसमें जब बाढ़ का पानी आया तो वह पानी नहीं खींच पाई क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4 क्यूसिक रह गई थी। पानी की खिचाई न होने के कारण जितनी भी ड्रेन थी, सारी की सारी टूट गई। इस ड्रेन की न डी-बैंडिंग हुई और न ही डी-सिल्टिंग हुई सरकार ने नहरों और ड्रेनज के किनारों को मजबूत करने का कोई काम नहीं किया, फर्जी बिल बनाने के उद्देश्य से भले ही ट्रैक्टरों के पीछे हैरो बांध कर, किनारों को फिराकर, उनको और पोला कर दिया गया। किनारे और नीचे हो गए जिसकी वजह से भीषण तबाही हुई।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल की गवर्नमैंट ने अपने वक्त में रिंग बांध बनाए थे। 1978 में भीषण बाढ़ से उस वक्त की सरकार ने सबक सीखा और रिंग बांध बनाकर गांवों को बाढ़ से बचाने की पुरजोर कोशिश की। उस वक्त की चौधरी देवी लाल सरकार ने गांवों के चारों ओर रिंग बांध बनाकर उनको बाढ़ से बचाने का प्रबन्ध किया था लेकिन वर्तमान सरकार की तरफ से इन बांधों पर एक तसला मिट्टी का भी नहीं डाला गया, परिणामस्वरूप जगह जगह से बांध टूट गए जिसकी वजह से यह भीषण तबाही हुई है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में मसानी बैराज का जिक्र आया था। मौजूदा मुख्य मन्त्री ने कहा था कि 40 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए। पूर्व मुख्य मन्त्री भी संयोग से हाउस में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि 40 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया है और उस बैराज से कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्हें याद होगा कि साहबी नदी से किस प्रकार तबाही हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इसी से इस बात का पता चलता है कि मसानी बैराज की वजह से रिवाड़ी का इलाका बाढ़ से बच गया, रिवाड़ी जिले में बाढ़ नहीं आई। रिवाड़ी के विधायक तथा वहां के मन्त्री भी यहां पर बैठे हुए हैं, वे खुद बताएंगे कि कितना भारी नुकसान वहां पर हुआ होता। वहां पर दरवाजे रखे गए थे। अगर वे दरवाजे लगा दिए गए होते तो भारी तबाही से बचा जा सकता था क्योंकि यह पानी आगे न जाता और जो पानी इकट्ठा होता उससे जमीन री-चार्ज हो जाती। सरकार की सोच हरियाणा की जनता के हितों की ओर नहीं है, उनकी सोच तो इस तरफ है कि जितनी ज्यादा बारिश होगी, बाढ़ आएगी और बाढ़ के नाम पर जितना पैसा खाया जा सकता है खाया जाए लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मन्जूर था। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से इन्होंने तबाही और बर्बादी करने का काम किया है, इसके लिए यह सरकार दोषी है। सरकार को मुजरिमों की कटघरे में खड़े करके इस बात का स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि इतनी भारी तबाही कैसे हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बजट स्पीच में भी कहा था कि गुप्ता जी

आपने बाढ़ से बचने के लिए एक नया पैसा भी बजट में नहीं रखा है। अगर कल को बाढ़ की स्थिति आएगी तो आप लोगों को कैसे उभार पाएंगे। जितना पैसा इन्होंने बाढ़ के लिए रखा, वह तो तनख्वाह देने में ही खर्च हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार के पुराने आंकड़े आपको बताता हूं। आप स्वयं ही उससे अंदाजा लगा लें कि इन्होंने कितनी कोताही करने की कोशिश की है। इन्होंने 1974-75 में बाढ़ के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपया रखा था, 1975-76 में 1 करोड़ 35 लाख रुपये और 1976-77 में 3 करोड़ 48 लाख रुपये रखे थे। अध्यक्ष महोदय, 1977-78 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस वक्त हमने 10 करोड़ 38 लाख रुपये बाढ़ के लिए खर्च किए थे, 1978-79 में 24 करोड़ 79 लाख रुपये तथा 1979-80 में 30 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए थे। उन 3 सालों में हमने लगभग 50 करोड़ से भी अधिक रुपये खर्च किए हैं। इनके सारे शासन काल में अब तक इतनी अधिक राशि खर्च नहीं की गई है। यह इस लिए है कि इन्हें लोगों के हितों से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। अब भी बाढ़ से घिरे लोगों की मदद की बजाए उनको प्रतिबिम्ब दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आप व्यक्तिगत तौर पर भी सुनेंगे और अखबारों में भी खबरें छपी हैं। आज यहां पर मिनिस्टर आफ स्टेट श्री बत्तरा बैठे हुए हैं। इनके बारे में अखबार में छपा है कि इन्होंने अपनी कोठी बचाने के लिए उस ड्रेन नं0 8 को तोड़ दिया और उसको तोड़ने के लिए जिले के डिप्टी कमीशनर और डी0आई0जी0 को स्वयं मौके पर ले कर गए थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जब इनको समय दिया जाएगा तब ये बोल लें। इस तरह से बीच में इन्टरप्ट न करें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि यह बात ठीक है। यह बात तो अखबार में छपी है और इस की चर्चा आम है। मन्त्री जी को जब अवसर मिले तो वे स्वयं इसका स्पष्टीकरण दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं रोहतक शहर में गया था। आम आदमी की जुबान पर यह था कि हमें हमारे प्रतिनिधि इस बत्तरे ने मरवा दिया। अगर उसने यह ड्रेन न तुड़वायी होती तो रोहतक शहर बच जाता। आज रोहतक शहर में कई जगहों पर पांच फुट से अधिक पानी खड़ा हुआ है। मुख्य मन्त्री जी आज से 15 दिन पहले भिवानी और रोहतक में गए थे और यह एलान करके आए थे कि 3 दिन में पानी निकाल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय या तो मुख्य मन्त्री की नियत ठीक नहीं है या ये इतने विफल हो चुके हैं कि इनके आर्डर को सरकारी मशीनरी मानने को तैयार नहीं है। आज दादरी शहर सड़ रहा है। आज भी दादरी शहर के पूरे हिस्से में 5-5 और 6-6 फुट पानी है। अध्यक्ष महोदय, गांवों की बात को छोड़ दें, आप हांसी, नरवाना और रोहतक की बात लीजिए। वहां पर कितना नुक्सान हुआ होगा, इसका पता अभी नहीं लग सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं कल हरियाणा प्रदेश के रोहतक शहर की एक कपड़े की थोक मार्किट में गया था जिसकी एक-एक दुकान में कम से कम 1-1 करोड़ रुपये का माल पड़ा हुआ था। वहां के दुकानदार रो रहे थे और ऐसे हालात थे कि

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

वे अपना गला-सड़ा माल स्वयं निकाल कर, अपने किराए से उसको बाहर फिकवाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा, मैं एक अनाज मंडी में गया था। वहां पर व्यापारी कह रहे थे कि हमारा अनाज सड़ गया है। अध्यक्ष महोदय, उस अनाज में से जब व्यापारी कुछ अनाज सुखाकर किसी और काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें कहते हैं कि आप इस सारे सामान को बाहर फिकवाने का प्रबन्ध करें। अब भी यह सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि पानी निकलवाने वाली जगह पर सफाई का प्रबन्ध करे। वहां दवाईयां छिड़कवाएं ताकि बीमारियां न फैलें। आज गांवों के यह हालात हैं कि वहां पर 7-7 फुट पानी खड़ा है और लोगों के आने जाने के सारे साधन समाप्त हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज भी पांच गांवों में सात-सात फुट पानी खड़ा है। ऐसी हालत में जब वहां पर बिजली के खम्भे गिर गए तो लोगों ने जाकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि आप हमारे बिजली के खम्भे खड़े कर दीजिए और हमें बिजली दीजिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने साफ इन्कार कर दिया। लोगों ने स्वयं ही बिजली के खम्भे खड़े किए और फिर उनके पास जाकर कहा कि हमने अपनी जान हथेली पर रखकर वे खम्भे खड़े किए हैं, अब तो आप उनमें बिजली पहुंचा दीजिए। जब वे लोग पूर्ण रूप से अन्धेरे में थे, उनके पास शायद आटा तो ऊंची जगह में होने की वजह से बच गया होगा, लेकिन उसको पकाने के लिए न तो उनके पास उपले ही थे, न सूखी लकड़ी थी और न ही बिजली मिलती थी। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुखदायी बात और क्या होगी कि दस-दस रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको मिट्टी का तेल दिया गया है। किसी भी प्रकार की राहत उनको नहीं दी गयी। आज प्रदेश में महामारी फैलने के आसार हैं क्योंकि पानी में मरे हुए पशु हैं, जंगली जानवर हैं और सारा गन्दा कूड़ा-करकट पानी में फैंका जा रहा है। बहुत सारी गन्दगी उस पानी में इकट्ठी होकर आयी है। गांव में वाटर वर्क्स की डिग्गियों में गंदा पानी भर गया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे पानी को पीने के बाद क्या लोग बीमार नहीं होंगे ? वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनको छिपाने का काम किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो यह बता दें कि अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई प्रेस नोट इस बारे में क्यों नहीं जारी किया गया है कि फलां-फलां जगहों पर लोग हैजे में मर गए हैं, फलां जगह पर आन्त्रशोथ फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहीं पर भी डी.डी.टी. का स्प्रे नहीं करवाया है, कहीं पर लाल दवाई कूओं या वाटर टैंक्स की डिग्गियों में नहीं डलवायी है। सर, आदमी तो फिर भी पानी उबालकर पी लेगा लेकिन पशु बेचारे तो यहीं पानी पीएंगे। स्वयं सेवी संस्थाओं की तरफ से या समाजवादी जनता पार्टी की तरफ

से जो जगह-जगह पर चिकित्सा कैम्पस लगवाए गये हैं, उनसे दवाईयां लेकर लोग तो अपना बचाव कर लेंगे लेकिन पशुओं की क्या हालत होगी, उनको तो गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। जब पशु यह गंदा पानी पीएंगे तो वे मरेंगे। अध्यक्ष महोदय, पशुओं को कोई भी मेडिकल ऐड सरकार की तरफ से नहीं दी गयी है। मुख्य मन्त्री जी रोहतक गए थे और रोहतक में जो वैटेनरी के डिप्टी डायरैक्टर थे, वह मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए मुख्य मन्त्री जी ने उनको सस्पैंड कर दिया है। मुख्य मन्त्री जी तो केवल भिवानी और रोहतक में ही गए हैं। जब मुख्य मन्त्री का कहीं पर दौरा होता है तो बहुत से अधिकारी यही सोचते हैं कि मौके पर जरूर होना चाहिए लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं होते तो इसी से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों ने लोगों को कितनी राहत पहुंचाई होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रशासन तो पूर्ण रूप से फेल हो गया था। सर, लोग अगर मुसीबत में हों और उनको और अधिक मुसीबत में डालने का प्रयास किया जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है? मैं एक बार पुनः यह कहना चाहूंगा कि अगर इस हाउस के सम्मानित सदस्य श्री सुभाष बत्तरा की तरफ से रोहतक में वह रेल की पटरी न काटी जाती तो शायद रोहतक की यह दयनीय हालत न होती। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजस्व मन्त्री यहां पर बैठे हैं, इन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए नेशनल हाईवे को काट दिया जिसकी वजह से वहां पर 15 गांव पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। इस वजह से कई गांवों में पानी फैल गया। अध्यक्ष महोदय, क्या जनता ने हमें इसीलिए चुनकर भेजा है कि हम अपने तक और अपने रिश्तेदारों तक ही सीमित रहें? क्या आज हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है कि हरियाणा प्रदेश को अपनी-अपनी तरह से बचाने का प्रयास करें? अध्यक्ष महोदय, प्रकृति का प्रकोप तो रहा ही है लेकिन मुसीबत के दिनों में दलगत राजनीति से उपर उठकर क्या हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम ऐसे समय में लोगों को और ज्यादा मुसीबत में डाल दें तो क्या हम मानवता के साथ अन्याय नहीं करते हैं? क्या जनता आज यह उम्मीद कर सकती है कि इस सरकार की तरफ से हमें कोई भी राहत मिल पाएगी? अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जो मन्त्री हैं, के गांव में 24 तारीख को सात बजे आपशर ट्रैक्टर पर बैठकर गया था। उस समय उस ट्रैक्टर के बौनट तक पानी चल रहा था। यह हालत मंत्री के गांव की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दफा इटली गया था वहां गलियों में समुद्र का स्वच्छ पानी आता है, दुनिया भर के टूरिस्ट उसे देखने के लिए जाते है, बोटिंग करते हैं, वही नजारा अब की बार हरियाणा प्रदेश के हर गांव में देखने को मिला। अध्यक्ष महोदय, आपके पड़ौसी हल्के में भी ऐसे हालात रहे, आप गए होंगे और देखा होगा। अब भी पाई क्षेत्र के बहुत से गांवों में पानी खड़ा है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा के गांव की गलियों में आज भी 5-5 फुट पानी है। फर्क इतना है कि वीनस का पानी स्वच्छ और साफ था और खड़वाली गांव का पानी सड़ रहा है और उससे बीमारियां फैल रही

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

हैं। गऊशाला में 50 गऊएं मर गई हैं। अध्यक्ष महोदय क्या हम सरकारी आंकड़ों को मान सकते हैं, जबकि शहरों में रोज देखते हैं कि गऊएं सड़कों पर बैठी रहती हैं, कितने पशु मरे होंगे। रोहतक शहर में कितनी कारें लोगों की पानी में रह गईं कितने मकान गिरे हैं मगर सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। लेशमात्र भी कोई मदद नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में क्या हम उम्मीद रखें कि हरियाणा प्रदेश में जिस किसान का घर बर्बाद हो गया, सामान बर्बाद हो गया, वे सम्भल सकेंगे ? अभी तो अध्यक्ष महोदय, गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा मच्छर काट लेंगे, लेकिन दो महीने के बाद सर्दी आ जाएगी तो गरीब लोगों के मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे कैसे जी पाएंगे, कैसे सर्दी से अपने बच्चों को बचा पाएंगे ? इन्होंने कैसे प्राण हथेली पर रखकर बच्चों को बचाने का प्रयास किया ? अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी हाउस को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे सबके समान हैं। एक तरफ हरियाणा प्रदेश की यह हालत थी, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे, मां-बाप अपने बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे थे और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री पंचकूला के रैड बिशप में, 13 सितम्बर को, अपने साहबजादे का जन्म दिवस मना रहे थे। उस दिन रैड बिशप में दो हजार लोगों को दो बार खाना दिया गया, अच्छी शराब दी गई। मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है लेकिन यह सरकारी रिकार्ड में दर्ज है। अगर रैड बिशप में 13 तारीख की रात के डिनर का बिल पे नहीं हुआ तो एक ज्यादती और हुई है। सरकार को भी बहुत ज्यादा चूना लगाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के हालात में भी अगर लोग इस तरह की मौज मस्ती ले रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश की क्या हालत होगी ? इस हालत में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ? जिस किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई हो, सामान पानी में बह गया हो उसको सहारा कौन देगा ? मुझे भिवानी, दादरी, बरवाला हांसी और रोहतक में जाने का अवसर मिला है। जो लोग 1947 में इन्हीं लोगों की गल्तियों की वजह से इस देश में आए थे, उन्होंने अपने पांवों पर खड़े होकर अपने आप को ऐडजस्ट किया था, उस वक्त अपने आप को बचाने का काम किया था, ऐस्टैब्लिश किया था और अब वे 1947 को भूल गए थे। उस वक्त तो उनको यह तकलीफ थी कि गैरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था लेकिन अब की बार तो अपनों ने कर दिया। उनकी क्या हालत होगी जो दूसरी मर्तबा उजड़े हैं। सरकार कहती है कि 25 हजार रुपया उनको देंगे जिनका करोड़ों रुपये का सामान बर्बाद हो गया। अध्यक्ष महोदय, वे 25 हजार रुपये में कैसे खड़े हो पाएंगे ? 1993 में बाढ़ आई थी तो हमने सरकार से कहा था कि इसे पहले से ही इसकी पेशबन्दी करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा न हो।

अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें टूट गई थीं उनकी मुरम्मत के साथ-साथ सड़क के नीचे पुलियां बनानी चाहिये थीं, ड्रेनज की सफाई करनी चाहिये थी। हमने इनको

कहा था कि नहरों के किनारे मजबूत करने चाहियें लेकिन सरकार ने इस तरफ देखा ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी कारों में बैठ कर रोज सड़कों पर चलते हैं और सड़कों पर इनको अपने ही लगाए हुए बोर्ड पढ़ने को मिलते हैं कि आगे गति-रोध है, संभल कर चलो । उसको पार करने के बाद अगर फिर भी कोई ठोकर खाता है तो आगे लिखा होता है कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा 1993 की इस भीषण बाढ़ लीला से सरकार को अवगत कराया था और सरकार को सुझाव भी दिये थे कि आपको ये ये काम करने चाहियें वरना बाढ़ की स्थिति किसी समय अगर इस हालत को छू गई तो इस से पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मेरे उस सुझाव से इस सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा और न ही कोशिश की । अध्यक्ष महोदय, यह तो समझ कर बैठे थे कि अब तो तुम्हारे दिन नजदीक आए हैं । उस वक्त तो तीन साल की उम्मीद थी लेकिन अब तो बेचारे तीन महीने की उम्मीद में बैठे हैं । इसलिए इन्होंने यह समझा कि आखिरी समय में जितना लूट कर चले जाएंगे, ठीक है । लेकिन आज हालत क्या है । सरकार लोगों की मदद का ढोंग रचाती है । सरकार कहती है कि हमने लोगों की मदद बहुत की है। ये कहते हैं कि 32 ट्रक सब्जी के रोहतक में भेजे हैं अगर इनकी इस बात को सही मान लिया जाए तो आप ही बताएं कि 32 ट्रक सब्जी से कितने दिनों तक काम चलेगा ? रोहतक में तो पिछली 26 तारीख को यह बाढ़ आ गई थी और आज 26 तारीख ही है । एक महीने से वहां के लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, जो 32 ट्रक इन्होंने सब्जी के भेजे हैं, वह किस-किस को दे पाए होंगे । 30 ट्रक ये कहते हैं कि भिवानी में भेजे हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोहतक में 15000 लोग कैम्प में हैं, जहां सरकार रिलीफ दे रही है 32 ट्रकों की वास्तव में भिवानी के अन्दर 50,000 के करीब लोग कैम्प में हैं और केवल 30 ट्रक ही सब्जी के भेजे गये हैं । जीन्द में भी लगभग 50 हजार लोग कम्पों में हैं लेकिन वहां पर एक भी ट्रक नहीं भेजा गया । क्या सोच कर सरकार ने इस रिलीफ का निर्णय लिया है, हमारी समझ से बाहर है । सरकार तो सब्जियों के ट्रक भेज रही है और दूसरी तरफ सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का क्या हाल है । वहां के (रोहतक के) डी० सी० ने इनको लिखकर भेजा है कि हमें सब्जी नहीं चाहिये, केले और सेब चाहिएं जो शराब के नाम पर पीटर स्काट मांगेंगे । वे तो सेब वगैरह लेना चाहते हैं, सब्जी नहीं लेंगे । आम आदमी तो 18 रुपये किलो आलू लेकर खाये और वे अधिकारी पीटर स्काट व सेब केले खाएं; यह कितनी बुरी बात है । यह तो हाल है, इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का । सेब और केले खाकर मौज मस्ती करने वाले, लूटने वाले सरकारी अधिकारी इस प्रदेश को पूर्ण रूप से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं । (शोर)

सुरक्षा मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो मुंह में आए, बोलते चले जा रहे हैं, वह इनके लिए मुनासिब बात नहीं है ।

[चौधरी भजन लाल]

अफसरों के बारे में कह दिया कि पीटर स्काट, सेब-केले उनको चाहियें, कभी उनके बारे में कह दिया कि मौज मस्ती करने के लिये उनको यह-यह चाहिये, यह मुनासिब नहीं है। जो रात दिन लगे रहे, 24 घण्टे जिन अधिकारियों ने अपनी परवाह न करके बाढ़ से बचाव का काम किया हो, उनके बारे में ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें यह मुनासिब नहीं है, ये शब्द हाऊस की कार्यवाही में से निकाल दिए जाने चाहियें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनसे कहिये कि जरा मर्यादा में रह कर ही बात कहें। कभी किसी के बारे में कुछ कह देना, यह कह देना कि लूट का माल खाकर के चले जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। आप बताएं कि बाढ़ से इस बात का क्या ताल्लुक है ? यहां पर बाढ़ से हुए प्रकोप पर चर्चा हो रही है और इनको पौना घण्टा बोलते हुए हो गया है अगर इसी तरह से सारे मैम्बर बोलते रहे तो डिस्कशन 10 दिनों तक भी खत्म नहीं होगी। (शोर) मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय, इतना अनुरोध है कि आप इनको मर्यादा में रहकर ही बोलने को कहें, नहीं तो हमें बीच में ही इनको टोकना पड़ेगा। पहले हमने इनको बीच में नहीं टोका। ये बोलते जाएं लेकिन मर्यादा में रह कर ही बोलें तो उचित रहेगा। सारे अफसरों को एक ही लाठी से हांकना, यह इनके लिए मुनासिब बात नहीं है। हरियाणा के सारे अधिकारियों पर हमें गर्व है, भरोसा है कि इन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ राज्य के हित में काम किया है और कर रहे हैं। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मर्यादा में रहकर बोलने वाले की अगर मैं चर्चा करूं तो हाऊस इनके बारे में सुन नहीं सकेगा। (शोर) क्या अधिकार है इनको बीच में उठ कर बोलने का ? क्या ये आपकी इजाज़त से बोल रहे हैं ? (शोर) मैं इस हाऊस का एक सम्मानित सदस्य हूं और ये केवल आपके द्वारा ही मुझ से बात कर सकते हैं, बीच में बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : न आपके हाथ न पैर, शानदार शक्ल सूरत, कम से कम बात तो हाऊस में सही कहनी चाहिए। कुछ मर्यादा में रह कर के बात करो तो ठीक रहे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मेरे पास क्या है, क्या नहीं है लेकिन उस जगह पर अगली दफा नहीं आने दूंगा। (शोर)

चौधरी भजन लाल : यह आपके बस की बात नहीं, जनता का राज है (शोर) जिसे जनता चाहेगी वही आयेगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : यहां पर मेरा बाप रहा और मैं भी रहा लेकिन अगली दफा मैं ही फिर आऊंगा। उस जगह पर अगली दफा तेरे को

नहीं जाने दूंगा । (शोर) अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * * * (शोर)

16.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री को इस बात का ज्ञान नहीं और ये मुझे मर्यादा की बात कहते हैं ? जो मैंने डिप्टी कमिश्नर वाली बात कही, इनको शायद ज्ञान नहीं होगा कि वे उसके लिखित रूप में आदेश हैं । लिखित रूप में जो आदेश होते हैं, वह सरकार के रिकार्ड में होते हैं । * * * * * * इनको इन बातों का क्या पता है ? (शोर) एक मुख्य मन्त्री के कोई तौर तरीके हुआ करते हैं । (शोर) मैं आपके द्वारा सदन में कहना चाहता हूं कि जिस किस्से को लेकर यह बात कही गई थी, उसी के तहत टूरिज्म के एक अधिकारी को सस्पैंड भी किया गया । (शोर)

चौधरी भजन लाल : * * * * * * * * * * (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * यह हाउस किसी के बाप की मलकीयत नहीं है। जो बात हम कहेंगे वह सुननी पड़ेगी । अध्यक्ष महोदय, * * * * यह बीच में क्यों टोकते हैं ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : वे यह कह सकते हैं कि आप ठीक ढंग से जो टौपिक है, उसी पर चर्चा करें ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न का उत्तर आप से ही पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने कोई अनरगल बात कही है ? मैं आप से ही पूछना चाहूंगा और किसी की बात को छोड़िये । क्या मैंने कोई ऐसी बात कही है ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिए । ऐसा है कि आपने जो जनरलाइजेशन किया है, उस पर तो ये कह सकते हैं । ये लीडर आफ दी हाऊस हैं और ये मुझे भी कह सकते हैं कि आप इनको सीमित ही बोलने दें । उसी टौपिक पर बोलने दें जो चला हुआ है । इसलिए आप ठीक ढंग से सीमित ही बोलें और फ्लडज के बारे में बोलें । यह ठीक है कि बोलते हुए थोड़ी बहुत इधर-उधर की बात कही जाती है लेकिन आप जनरलाइज न करें ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार द्वारा दिए हुए आंकड़ों से ही बताया है । मैंने वह बात कही है जो इनके रिकार्ड में है । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई आंकड़े किसी को नहीं दिए हैं, ये पता नहीं कहां से ले आए ? (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी बदकिस्मती है कि हरियाणा में आज यह सरकार है जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं (शोर)

*Expunged as ordered by the Hon. Speaker.

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए 35 मिनट हो गए हैं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो पहले ही चर्चा में आ गई थी कि इस पर खुल कर डिस्कशन होगी । यह मेरा या किसी एक दल विशेष का व्यक्तिगत मामला नहीं है । यह हरियाणा के अस्तित्व का सवाल है, हरियाणा प्रदेश बुरी तरह से बर्बाद हो गया है । अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में स्थिति यह हो गई है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई उम्मीद इस सरकार से नहीं है कि यह सरकार उनको कोई राहत दे पाएगी । जिस दुकानदार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, उसके लिए सरकार घोषणा करती है कि 25 हजार रुपए देगी । जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, उसके लिए कहती है कि हम उसे एक हजार रुपया प्रति हैक्टेयर के हिसाब से और चार सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे । जिनका पक्का मकान गिर गया, उसको दस हजार रुपए देंगे । आपको पता है कि आज सीमेंट का थैला 150/- रुपए का है, लोहे का भाव 1900/- रुपए, है ईंटों का भाव 1200/- रुपए प्रति हजार है । आज कारीगर की मजदूरी 150/- रुपए है और मजदूर की मजदूरी 70-80 रुपए है, तो उनका दस हजार रुपए से क्या बनेगा ? अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने तो केवल घोषणा ही करनी है, उसकी इम्पलीमैंटेशन तो दूसरी आने वाली सरकार करेगी इसलिए यह सरकार घोषणा में कंजूसी न करे । घोषणा में कंजूसी क्यों करते हैं ? कम से कम आज जो लोग मुसीबत में हैं, उन्हें राहत मिले, उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि उन्हें कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन उन्हें कुछ देने वाले कोई और ही होंगे अगर ऐसा है फिर आप उनको कुछ देने के बारे में घोषणा करने में कंजूसी क्यों करते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि इस सरकार ने 1993 के बाद पीड़ितों को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की थी । ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था उसका भी किसानों को एक नए पैसे का मुआवजा नहीं दिया । पिछली बाढ़ के कारण जो सड़कें टूटी थीं, उनको मरम्मत करते वक्त यह नहीं देखा कि जो सड़कें टूटी हैं, उनके नीचे से पुल बनाए जाएं ताकि नैचुरल पानी उनके नीचे से गुजर जाए । इसमें सरकार ने चाहे रुकावट डाली हो लेकिन अब की बार पानी सांप की तरह चला था । अध्यक्ष महोदय, आज हमारे दरिया सूख गए हैं । घग्गर नदी में पानी नहीं है । टांगरी नदी में पानी नहीं है और मारकंडा नदी में पानी नहीं है लेकिन हरियाणा प्रदेश की सड़कों पर आज भी पानी कई जगहों पर डेढ़ डेढ़ फुट खड़ा है और वह बढ़ता जा रहा है आज भी कहते हैं कि बाढ़ के पानी से नरवाना को और खतरा होने जा रहा है । यह भी कहते हैं कि हांसी को भी खतरा होने जा रहा है। आज भी बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है । किसी को यह तसल्ली नहीं है कि वह पानी कहीं निकल जाएगा । आज ये हालात हो गए हैं कि जहां कहीं किसी के हाथ पड़े, कहीं ड्रेन काट दी, कहीं रेल की पटरी तोड़ दी और कहीं सड़कें तोड़ दी । रोहतक के डी0 सी0 और डी0 आई0 जी0 ने सुभाष बत्तरा के साथ जा कर ड्रेन नम्बर 8 को काट दिया । इन्होंने यह सोचा कि किसी तरह से रोहतक शहर को बचा लिया

जाए। इन्होंने चिरावली गांव के पास ड्रेन नम्बर 8 में दो कट कर दिए। स्वयं कृष्ण मूर्ति हुड्डा उन कटस पर गए थे हम इनके गांव और रोहतक के बीच में दो कट देख कर आए हैं लेकिन फिर भी रोहतक शहर नहीं बच पाया। इसी तरह से ड्रेन नम्बर 6 को तुड़वा दिया जिसके कारण सांपला डूब गया। इन्होंने एस० डी० ओ० नरवाना से सिरसा मेजर-नहर को तुड़वा दिया और वह सारा इलाका डुबवा दिया। आज हालत यह है कि वह मामला सरकार के बेकाबू हो गया है। कोई भी सरकारी अधिकारी, किसी भी एम.एल.ए. के साथ जा करके नहर तोड़ दे, सड़क तोड़ दे, रेल की पटरी तोड़ दे, इससे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के मकान गिर गए हैं और उनकी सावनी की फसलें बर्बाद हो गई है। रबी की फसलें बोई नहीं जाएंगी क्योंकि अभी तक इस सरकार का बाढ़ के पानी को पम्प-आउट करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। दिनांक 5.9.95 को सरकार की ओर से आदेश हुआ था कि पम्प खरीदे जाएं लेकिन 15 तारीख तक पम्प नहीं खरीदे गए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के लोग बाढ़ का पानी अपने ट्रैक्टरों से निकाल रहे हैं। लोग अपने प्रयासों से बाढ़ का पानी निकाल रहे हैं इस सरकार की तरफ से लोगों को कोई इमदाद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आश्वासन दे कि जिन सरकारी अधिकारियों ने इस मामले में बेकायदगी की है, जिनके कारण हरियाणा प्रदेश के लोगों का नुकसान हुआ है, जिन सरकारी अधिकारियों ने नहरें तुड़वाई हैं, सड़कें तुड़वाई हैं, रेल की पटरियां तुड़वाई हैं, क्या सरकार उन अधिकारियों को बर्खास्त करेगी और क्या सरकार उन पर मुकद्दमा चलाएगी ? सरकार यह आश्वासन दे कि जो सावनी की फसल बर्बाद हो गई है, उसका मुआवजा किसानों को देगी। रबी की फसलों की बुआई के लिए भी कुछ मुआवजा दे। रबी की फसलें भी नहीं बोई जा रही हैं क्योंकि बाढ़ का पानी अभी भी खड़ा है सरकार कहने को तो कहती है कि किसानों को 400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे लेकिन जब सरकार ने पहले जो वायदे किए थे, उनको ही पूरा नहीं किया है तो नये वायदे कैसे पूरे करेगी ? यह सरकार लोगों की इमदाद करने की बात कहती है और कहती है कि मृतकों के लिए 50-50 हजार रुपए देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के कम्पनसेशन देने के दो पैमाने हैं। जब ऐसा हो तो किस तरह मान लिया जाए कि यह सरकार मरने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपए दे ही देगी जिनको इन्होंने गोलियों से मरवा दिया उनको तो ये दो-दो लाख रुपये देते हैं। नारनौंद में मरने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिए। नीलिंग में मरने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिए। कादमा कांड में मरने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिए और मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी। इनकी गलती की वजह से, इनकी नासमझी की वजह से जो लोग मर गए, उनके परिवारों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो लोग बाढ़ के कारण मर गए हैं, उन को 50-50 हजार रुपये किस कानून के तहत दे रहे हैं और जो लोग गोलियों से मरवाए गए हैं के परिवारों को किस कानून के तहत दो-दो लाख रुपये दिए गए ? अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों का पशुधन मर जाएगा तो उनका गुजारा कैसे होगा ? पशुओं के मरने पर किसानों को कितना मुआवजा देने का निर्णय किया है ? हरियाणा प्रदेश में

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

लोगों के कितने पशु मरे हैं और कितने पशुओं का यह सरकार मुआवजा देने जा रही है इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । अध्यक्ष महोदय, आज भैंस की कीमत 20 हजार रुपए तक है । आज एक गाय की कीमत 10 और 15 हजार रुपए तक है । बैल 20 हजार रुपए में भी नहीं आता । इस बाढ़ के कारण कितने पशु मरे है, सरकार के आंकड़ों के अनुसार, किसानों को किस हिसाब से मुआवजा देने जा रही है ? पक्के मकानों के गिरने के बारे में सरकार 10 हजार रुपए प्रति मकान के हिसाब से देने जा रही है । क्या 10 हजार रुपए में पक्का मकान बन जाएगा ? कच्चा मकान गिरने के पांच हजार रुपए दे रही है, क्या पांच हजार रुपए में कच्चा मकान बन जाएगा ? कच्चे मकान की मुरम्मत के लिए 2500 रुपए दे रही है, क्या 2500 रुपए में कच्चे मकान की मुरम्मत हो जाएगी ? लोगों के ट्यूबवैल बाढ़ के पानी में बह गए, उनके कुएं पानी से बर्बाद हो गए । यह सरकार, जो ट्यूबवैल्ज बाढ़ से बर्बाद हुए हैं , उनको 42500 रुपये देने जा रही है, जबकि इनको पता है कि आज के दिन एक ट्यूबवैल एक-एक लाख रुपये से कम का नहीं लग पाता । स्पीकर साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को मजबूर करें कि सरकार दिल खोल कर किसानों की और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों की मदद करे । सरकार खुल कर बताए कि वह किस प्रकार की कितनी-कितनी मदद देने जा रही है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि 15 अक्तूबर तक सारा पानी निकाल दिया जायेगा जबकि ड्रेनेज के अधिकारियों की रिपोर्ट है कि दो महीनों में भी पानी निकालना संभव नहीं है । फिर प्रश्न पैदा होता है कि यदि दो महीने तक पानी नहीं निकला तो लोगों की रबी की फसल की बुआई कैसे हो सकेगी ? अगर बुआई नहीं हो सकेगी तो फिर लोगों का गुजर कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से हुए नुकसान से लोगों को बचाने के लिए मैं एक सुझाव देता हूं । आल पार्टीज के मैम्बरों की एक कमेटी बनाएं जो गांव-गांव में जा कर देखे और लोगों से पूछे कि पानी कैसे और किस तरीके से निकाला जा सकता है । यदि इस पानी को तुरंत नहीं निकाला गया तो एक महामारी फैलने का अंदेशा है जिसे सरकार को रोकना भी संभव नहीं होगा । सरकार का ड्रेनेज विभाग से कोई लगाव नहीं है । नैचुरल कलेमेटीज के नाम से चाहे थोड़ा बहुत पैसा नहर विभाग को दे दिया गया हो, लेकिन बाकी इसको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है । कहने का मतलब यह है कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से कोई लगाव नहर विभाग के साथ नहीं है । इस बारे में मेरा सुझाव है कि नहर विभाग को, इस काम के लिए, राजस्व विभाग के साथ जोड़ दिया जाय ताकि प्रशासनिक अधिकारी आपस में बैठकर इस समस्या का निदान करने में ज्यादा सहायक हो सकेंगे । दूसरे जो ड्रेनेज हैं उनकी जल्दी से जल्दी सफाई हो और पंप लगा कर या नई ड्रेनें खोद कर पानी को निकाला जाये । यदि सरकार ऐसा करती है तो लोगों को जल्दी राहत मिल सकेगी । अध्यक्ष महोदय, सरकार

लोगों की मदद तो क्या करेगी, खाली कट्टे भी नहीं दे पायी। लोगों ने खुद खाली कट्टे इकट्ठे करके अपने भाईयों की, जो बाढ़ से घिरे हुए हैं मदद की।

आज भी बहुत से लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं, नहरों के किनारों पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। सरकार की वजह से और सरकार से जुड़े हुए लोगों के कारण लोगों की ऐसी दशा हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब पहले बाढ़ आई थी तो उस समय पंजाब के लोगों ने 150-200 जगहों पर कट करके, जो एस0वाई0एल0 हरियाणा में बनी हुई है, उसमें पानी डाल दिया था जिसके कारण नुकसान हुआ था इस बार भी पंजाब के लोगों ने सारा पानी एस0वाई0एल0 में डाल दिया जिसकी वजह से कैथल जिला, कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिले को नुकसान हुआ। इस काम के लिए पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी बराबर के दोषी हैं क्योंकि उस समय के इंजीनियर इन चीफ, जो मि0 पाठक थे, उन्होंने बंसी लाल जी को कहा था कि पहले एस0वाई0एल0 नहर पंजाब में बनने दी जाये, उसके बाद हमारे यहां पर बने लेकिन उनकी बात को न मान कर कमीशन खाने की लालसा में यह एस0वाई0एल0 नहर हरियाणा में खोदी गई। (शोर) यह बात तथ्यों पर आधारित है।

चौधरी बंसी लाल : कमीशन खाना तो इन का धंधा रहा है। जैसे ये हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : यह तो एकाउंटैंट जनरल की रिपोर्ट है। बिजली के खम्भों में इन्होंने कमीशन खाया। आई0जी0 डायरैक्टर जनरल की रिपोर्ट है कि इन्होंने मुख्य मन्त्री के पद का दुरुपयोग करके 1,12,91,85,000/- रुपये इकट्ठे किये हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बाढ़ की जो बात चल रही है, इस भीषण बाढ़ के लिए चौधरी बंसी लाल का भी उतना ही उत्तरदायित्व है। अगर यह नहर गोद-बड़ाका से शुरू नहीं की जाती तो यह नौबत न आती। 91 किलोमीटर लम्बी नहर हरियाणा में बनी है। अगर पंजाब की बनी बनाई ड्रेन नहीं मिलती तो वे इस का पानी इसमें नहीं डाल सकते थे। पंजाब को बनी बनाई नहर मिल गई, इसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने बाढ़ का सारा पानी इस में डाल दिया। चौधरी बंसी लाल जी बड़े फख्र और गर्व से कहते हैं कि उन्होंने पक्की ड्रेन बना कर दी है। इस ड्रेन से पानी आने के कारण भारी तबाही हुई है। चौधरी बंसी लाल जी सदन में बैठे हुए है, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इन्जीनियर मि0 पाठक इस नहर के पक्ष में नहीं थे, उसकी रिपोर्ट है, लेकिन पाठक की बात को इन्होंने नहीं माना। वह बेचारा यू0एन0ओ0 में चला गया। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त ये उस युग के तानाशाह थे। ये तो आज भी कहते हैं कि एमरजैंसी ठीक लगी थी और दांव लगा तो फिर एमरजैंसी लगाऊंगा। इससे इस आदमी की जेहनियत का पता लगता है कि वह किस सोच का है। ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की दयनीय स्थिति के लिए मैं प्राकृतिक प्रकोप को तो मानता हूं, लेकिन इसके साथ मौजूदा मुख्य मन्त्री और पूर्व

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

मुख्य मन्त्री दोनों बराबर के दोषी हैं । इन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद किया है । अध्यक्ष महोदय, इनको मुलजिमों के कटघरे में खड़े करके इन पर मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए, इनके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिएं । हमारी सरकार आएगी तो हम इनके खिलाफ मुकद्दमे चलाएंगे । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी होगी, जब हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी की सरकार होगी, सारे प्रदेश में प्रयास करके बाढ़ को रोका जाएगा और बाढ़ से आइन्दा लोगों का नुकसान नहीं होगा । हमारी पार्टी की सरकार ने 1978 में रिंग बान्ध बनाए थे, जिसकी वजह से आबादी बाढ़ के प्रभाव से बची थी क्योंकि हमारी सरकार के वक्त ड्रेनें खुदी थीं, अब जब हमारी सरकार बनेगी तो गांव-गांव में रिंग बांध बांधे जाएंगे ड्रेनों की सफाई करवाएंगे और जहां पर नई ड्रेनें खोदनी पड़ेंगी, वहां खुदवाएंगे और हम सारे लोगों के हितों की रक्षा करेंगे । जो सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में विफल हो जाए, उस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह चाहूंगा कि यह सरकार इस्तीफा दे । जो सरकार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती इस तरह की सरकार हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा कैसे कर पाएगी, हरियाणा प्रदेश कैसे चलेगा, क्योंकि यह सरकार नाअहल है । सत्ता चलाना इनके बस की बात नहीं है इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए । समय आने पर इनको पता चल जाएगा । (विघ्न) हम तो अपने फर्ज के पाबन्द हैं लेकिन यह सरकार अपने फर्ज से कोताही कर रही है, अपने फर्ज को निभा नहीं पाई है और न ही स्वच्छ प्रशासन दे सकी है, इसलिए मैं आपके द्वारा कहूंगा कि आप केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति महोदय को लिखें कि यह सरकार नाअहल है, इस सरकार को बरखास्त किया जाए ताकि नये सिरे से चुनाव हों और लोगों को राहत प्राप्त हो । मैं चौधरी बंसी लाल जी से कहूंगा कि वह अपनी बात कहते समय एस0वाई0एल0 के बारे में खुलकर बताएं ताकि सही बात सामने आए । अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, इन श्रीमान जी ने अनपार्लियामैंटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की है । ये खुद मुख्य मन्त्री रहे हैं इसलिए अनपार्लियामैंटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए * * * * * * * इन्हें अनपार्लियामैंटरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए । स्पीकर सर, बाढ़ का कोप बारिश ज्यादा होने की वजह से हुआ है, उसका ये पोलिटिकल गेन लेना चाहते हैं । इन्हें पोलिटिकल गेन नहीं लेना चाहिए । इनको लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, इन्हें सरकार को कोई सुझाव देना चाहिए ताकि लोगों को कोई राहत मिल सके लेकिन ये पोलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है । अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि इन्हें अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । बाढ़ की वजह से जो ये पोलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, वह नहीं लेना चाहिए ।

* Expunged as ordered by the Hon. Speaker.

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप अपने टाईम पर पूरा जवाब दे लेना । यह ठीक है, इन्होंने अपनी बात कह ली, आप अपने वक्त अपनी बात कह लेना । देहात में जो बांध बांधे हैं उनकी मुरम्मत हुई है, हमारे इलाके में भी पैसा आया है और काम हुआ है, ड्रेनों की मुरम्मत भी हुई है । सरकार ने जो राहत दी है वह भी हमें मालूम है । बाद में अपना पूरा जवाब दे लेना ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है । मुझे इनकी एक बात का तो अभी जवाब देना पड़ेगा, फिर पता नहीं ये हाउस में आएं या नहीं आएं । दो तीन दफा इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ गई । अध्यक्ष महोदय, अगर ये दोबारा एम0एल0ए0 बन कर आ जाएं तो यह भी राम जी की माया होगी । अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बाणी को नोट कर लीजिए कि आज ये 17 एम0एल0एज0 हैं लेकिन अगली बार ये सात भी नहीं रहेंगे, मेरी यह बात रिकार्ड में रहेगी । आपके सात मैम्बर भी चुन कर नहीं आएंगे । मुकाबला तो चौधरी बंसी लाल और आप में है । आप क्या कहते हैं कि आपका राज आएगा ? इनको कुछ तो * * करना चाहिए । इनको मर्यादा में रह कर बोलना चाहिए । हमारी तो 60 सीटें अवश्य आयेंगी और राज हम बनायेंगे ।
(शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने *जो शब्द कहा है क्या वह पार्लियामैंटरी है ? इसे आप एक्सपंज करवाइए ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने जो अन-पार्लियामैंटरी शब्द कहा है वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस कह रहे हैं कि हम दोबारा नहीं आएंगे । अध्यक्ष महोदय, हमें सभी इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं, ये वहां पर बैठे हैं और ये भी इस्तीफा दे दें । ये खुद देख लेंगे कि कौन आएगा, कौन नहीं आयेगा । अध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहें कि ये इस्तीफा दे दें ।
(शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ।.....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं । अब श्री बंसी लालजी बोलेंगे ।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, इस बार जो प्रदेश में बाढ़ आई यह अनप्रैसिडेंटिड है । इस बाढ़ से जो तबाही हुई है, इसका सही अन्दाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है कि इससे कितनी जान और माल का नुकसान हुआ है । इस बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बाढ़ पर कंट्रोल नहीं होगा, तभी

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

[चौधरी बंसी लाल]

लोग बताएंगे कि उनका कितना-कितना नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक, जीन्द, भिवानी, सोनीपत, कैथल, रिवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र का मैंने दौरा किया है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले में बहुत भारी तबाही हुई है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है। मेहम और बेरी कांस्टीचुएंसीज के बहुत से गांवों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। हसनगढ़ के भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से जींद का भी यही हाल है। नरवाना में पांच गांव ही ऐसे हैं जो अन-इफैक्टिड हैं। कलायत में बताते हैं कि वहां पर जो सड़क का रास्ता था, वह अब बोट का रास्ता बन गया है। उचाना और राजौंद में भी गांवों तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। भिवानी जिले में जयश्री गांव है जो पूरा ही डूब गया है, वहां मकानों की पहली मन्जिल नजर ही नहीं आती है। सोनीपत में गोहाना तहसील सबसे ज्यादा इफैक्टिड है। बाकी इलाकों में बाढ़ का काफी पानी भरा हुआ है और रिवाड़ी में 5-5 फुट पानी आ गया था और एक-दो गांवों में पानी अभी तक खड़ा है। कैथल में गुलियाना सौंगरी गांव है, वहां आज भी बोट से जाया जाता है। हिसार जिले के बारे में तो मुख्य मन्त्री जी जानते हैं। मेवात जिले में 150 गांवों पर असर पड़ा है जो मैंने खुद देखे हैं। पानीपत में समालखा हल्के में 15-20 गांवों में बाढ आई है। कुरुक्षेत्र में थानेसर, पेहवा और लगभग 31 या 32 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जो गांव सबसे ज्यादा खराब हैं, सबसे ज्यादा खस्ता हालत में हैं उनमें से मैंने एक गांव को देखा है, वह जीन्द जिले में पोली गांव है। वहां पर आज भी 16 किलोमीटर लम्बी चौड़ी पानी की एक शीट बनी हुई है। खास-तौर से दड़ौदा, बढ़ाना, मटौर ढाकल, किठाना आदि गांवों में न तो पीने का पानी है तथा न ही दूसरी जरुरियात की चीजों का प्रबन्ध है। अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां मैं गया, वहां मैंने एक बात देखी। किसी भी गांव में जहां लोगों को डूबने का खतरा हुआ तो उन्होंने सड़क काट दी। अगर उनका नहर काटने से काम चला तो नहर काट दी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्टडी किया है उसके आधार पर मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, बाकी स्टडी तो इन्जीनियर ही करेंगे। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि 1993 के बाद से अब तक जो भी गलतियां हुई हैं, उनको सरकार सुधारे और पूरे हरियाणा के लिए एक मास्टर प्लान बनाए ताकि अगर आईन्दा इस किस्म की बात हो जाए तो उसका इलाज किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि पाई सेरदा भूयाना से पानी चलता हुआ राजौन्द और असन्ध के इलाकों में से होता हुआ जीन्द जिले में चला जाता है और वहां इस पानी के तीन चार हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा तो इस तरह से बन जाता है कि वह पानी पुरानी सिरसा ब्रांच में टकराता है। अगर इस पानी को, जिसका बहाव उचाना से होता हुआ सिरसा ब्रांच के पास तक जाता है, को एक ड्रेन बना कर पुरानी सिरसा ब्रांच में डालकर आगे भेज दिया जाए तो यह ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा, दूसरा रास्ता

पानी ने इस तरह से बनाया कि वह जुलाना, महम वगैरह से होता हुआ कलानौर को चला गया। फिर वह पानी भिवानी जिले में भी चला गया है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे यहां पर बारिश होती ही नहीं लेकिन इस बार हमारे यहां बारिश हुई तो ऐसे हुई कि उसने हमारे को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। जैसा कि श्री० छत्तर सिंह जी बता रहे थे कि दादरी की नहर के दोनों तरफ आदमी बन्दूक ताने खड़े हैं। कलानौर वाले चाहते हैं कि इस नहर को काटा जाए लेकिन बींद चिचा एवं रानीला वाले चाहते हैं कि नहर को न काटा जाए। इसी को लेकर वहां पर दिन में तो एक हजार और रात को चार हजार आदमी पहरा देते हैं, यानी वहां पर बहुत बुरा हाल है। अगर सोचा जाए तो यह हो सकता है कि जो इन्दिरा गांधी कैनाल है, जिसको लोहारु कैनाल भी कहते हैं, उसको मैंने स्वयं देखा है, पहले इस नहर की कैपेस्टी 1250 क्यूसिक्स की थी लेकिन अब इसमें 126 से लेकर 310 क्यूसिक्स तक ही पानी चल रहा है। लोहारू और बाढड़ा के इलाकों में बहल तक, अगर जुई कैनाल, सिवानी कैनाल और लोहारु कैनाल को चलाएं तो वहां पर जो फसलों में सूखा आया हुआ है, उसमें काफी कमी आ सकती है। अध्यक्ष महोदय, दादरी में 32 या 36 पम्पों में से सिर्फ 8 पम्प ही चल रहे हैं। जो जे० एल० एन० कैनाल है, अगर उसमें पानी डालकर आगे नारनौल एवं सतनाली के बालू रेत के टिब्बों को दिया जाए तो रोहतक और सोनीपत का सारा पानी निकल सकता है, मगर उसमें भी पानी निकलने का प्रबन्ध नहीं है, वह खाली पड़ी है। मैंने ड्रेन नं० 6 भी देखी। ड्रेन नं० 8 पर हम इत्तिफाक से खड़े थे तो वहां टैलीविजन वाले भी आए थे। बेरी हल्के के ढराणा गांव में एक किश्ती दे रखी है और सारा गांव लैट्रिन जाने के लिए किश्ती या ट्रैक्टरों से गांव से डेढ़ दो किलोमीटर बाहर सड़क पर आता है, कम से कम उनको दो किश्ती और दे दी जायें। इसी तरह से दुजाना गांव की 10 हजार से ज्यादा आबादी है। हमने उनसे पूछा कि कोई सहायता आई है तो उन्होंने कहा कि एक दिन एक हैलीकॉप्टर एक पैकेट फैंक गया था। उस पैकेट में 141 छोटे पैकेट थे जिनमें 3-3 पूरियां और खुश्क सब्जी थी। उस गांव की आबादी का 60 फीसदी हिस्सा हरिजनों का है, गरीब आदमी हैं। दवाई के लिए पूछा तो गांव वालों ने बताया कि हमारे यहां दो डाक्टर हैं, दोनों सी० एम० ओ० के पास दवाइयां लेने गए हैं। इसी तरह हम बेरी गए तो हमने पूछा कि क्या आपके पास भी कुछ आया है? उन्होंने बताया कि हमारे आने से आधा पौन घण्टा पहले एक हैलीकॉप्टर 419 पैकेट रखकर आया, जिनमें 5-5 पूरियां, खुश्क सब्जी और भुगडा था। पीने के पानी में दवाई डालने के लिए कहीं-कहीं थोड़ी पहुंची है। यह हालत जींद जिले की है, यही सोनीपत की है, यही रोहतक की है, यही भिवानी की है। जो कुएं हैं वह कुएं बराबर हो गए हैं, सब जगह पानी से भर गए हैं, अब अगर इन्सान या मवेशी पानी पीएंगे तो इससे लोगों को पीलिया होगा। पिछली बार भी पीलिया के बड़े केसिज हुए थे। यह जो चीजें हैं, इनके ऊपर सरकार को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि इस बार

[चौधरी बंसी लाल]

कैथल और पेहवा में बाढ़ तो नहीं आई, मगर मैं आपके जरिए मुख्य मन्त्री जी को तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि हर जिले में एक फलड कंट्रोल बोर्ड होता है, जिसका अध्यक्ष डी0 सी0 होता है, 4–5 ऐक्सीयन मैम्बर होते हैं और मानसून से 15 दिन पहले उन सबको पूरी तरह से अपने जिले का इन्सपैक्शन करके, स्टेट लेवल पर कंट्रोल बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। क्या वह रिपोर्ट भेजी गई है और अगर भेजी गई तो मैं कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्री जी के पास सही रिपोर्ट नहीं आई ? मुख्य मन्त्री जी हिसार की तरफ कई बार जाते हैं, पेहवा में देख लें। पेहवा की जो ड्रेन है, उसमें कीकर खड़ी है। पेहवा और करनाल के इलाके में डेढ़ फुट लम्बी समुद्रसोख है जो पानी को चलने नहीं देती। वीड खड़ी हुई है, काटी नहीं गई है। इसी तरह से कैथल की ड्रेन है। अध्यक्ष महोदय, आपका भी वही रास्ता है कैथल ड्रेन में भी इसी तरह से समुद्रसोख और वीड खड़ी है, कीकर भी खड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब हम बेरी हल्के के पास ढराणा गांव में खड़े थे तो वहां डी0 वी0 वाले भी आए थे। मैंने उनको दिखाया कि ड्रेन नं0 8 में बड़ी–बड़ी कीकर खड़ी है। पेड़ों की टहनियां टूटकर साइफन के आगे आ गई हैं। पानी तो नहीं जा सकता। उस वक्त, अगर आफीसर सोचते होते तो उनको मिट्टी निकाली गई होती। अगर उस वक्त वे चौकन्ने रहते और साइफन को खुला रखते तो काम चल सकता था। आज बादली पानी में डूब रहा है, भिवानी डूब रहा है, रोहतक डूब रहा है और लोहारू, बाढड़ा, सतनाली और भिवानी के इलाके डूबे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, छोटा सा हरियाणा है। एक तरफ डूबा पड़ा है और दूसरी तरफ खाली है। मैं तो यह कहूंगा कि आपके पास नहरें बनी पड़ी हैं। वहां पर पम्प लगाकर पानी आगे तक किसानों की फसलों में पहुंचाने का सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये ताकि किसानों को राहत मिले। बहुत से खेतों में जाकर देखा है वहां पर छः छः–सात–सात फुट पानी अब भी खड़ा है। मैं यह नहीं कह सकता कि रबी की फसल कैसे होगी, इसका मुझे तो कोई ढंग नजर आ नहीं रहा, लेकिन जहां जहां रबी की फसल की काश्त हो सकती है, वहां से सरकार को जल्दी ही पानी निकालने का प्रबन्ध करना चाहिये लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अखबारों में आया है कि स्टेट के अन्दर 1200 या 1500 के लगभग पम्प चल रहे हैं। हमें तो कहीं कोई सरकार की अचीवमैंट दिखायी नहीं दी। वहीं कोई खास जगह पर सरकार ने इस का इन्तजाम कर रखा हो तो हम कह नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, पम्पों के बारे में, मैं क्या कहूं, उनमें भी बीमारी है। हम भिवानी से दादरी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में हमने रेलवे के पुल पर खड़े होकर देखा कि चार पांच पम्प चल रहे हैं परन्तु एक बहुत बड़ा पम्प था जिसको लोगों ने खोल रखा था। हमने उनसे पूछा कि भाई इसको क्यों खोल रखा है तो उन्होंने बताया कि इसमें प्लास्टिक के छ–सात लिफाफे फंसे हुए हैं, उनको हम निकाल रहे हैं जिसकी वजह से पानी रुका पड़ा है। अध्यक्ष महोदय अगर उस पम्प की पिछली साइड पर

छाबड़ी लगा दी जाए तो कम से कम प्लास्टिक के लिफाफे तो न फंसे जिस की वजह से पम्प नहीं चलते। कोई रुकावट न आए, इस की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं, न ही अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देते हैं। इसलिये अगर सरकार व सरकार के अधिकारी इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देवें तो ऐसी दिक्कत दूर हो सकती है। मगर इस तरफ सरकार तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की 30 जून से पहले-पहले मुख्य मंत्री महोदय हर साल एक मीटिंग करें और स्थिति को रिव्यू करें, पर मुझे पता नहीं कि मुख्य मंत्री महोदय ने कभी इस बात को रिव्यू किया या नहीं।

चौधरी भजन लाल : तीन-चार बार किया।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक नैचुरल कलैमिटी फण्ड सरकार के पास होता है जो खासतौर पर इन्हीं कामों के लिये होता है कि कहीं भूकम्प आ जाए या बाढ़ आ जाए तो उस प्रयोजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया हर साल इस फंड में से खर्च किया गया। मेरे विचार से तो सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है क्योंकि जहां तक हमने देखा है, ड्रेनेज का बहुत बुरा हाल है उनकी सफाई नहीं हुई है। साईफन मिट्टी से रुके पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि जिन किसानों ने फसल के लिये कर्जा लिया है, ट्यूबवैलज के लिये कर्जा लिया है या फिर किसी और चीज के लिये कर्जा लिया है, किसी फसल के लिये कर्जा लिया है, वह तबाह हो गई है। ट्यूबवैलज के लिये कर्जा लिया, वह बैठ गया, मोटरें बैठ गई, इस तरह का जो उनका कर्जा है या लैन्ड रेवेन्यू एरियर्ज है, जो भी कर्जा है, उस को दो चार सालों के लिये पोस्टपोन कर दिया जाए और इस अर्से का ब्याज भी उन से न लिया जाए। आज आम आदमी का, इस हालत में बाढ़ के कारण जो उसकी तबाही हुई है, गुजारा होना मुश्किल है। रबी की फसल की काश्त करने के लिए किसानों को कर्जा दिया जाए, सबसिडी दी जाए क्योंकि पहले ही किसान 1000-1500 रु० लगाकर फसल बीज चुका है और वह फसल उसकी बर्बाद हो चुकी है अब दोबारा किसान बेचारा कहां से फसल के लिये पैसे लाएगा। इसलिये सरकार को किसानों की हर लिहाज से मदद करनी चाहिये। जिस किसान के मवेशी मर गये हैं वह कहां से उनकी पूर्ति करेगा। आज एक भैंस लगभग 10 हजार से 20 हजार रुपये तक की आती है और कई जगहों पर किसानों की भैंसे मर गई। जो मवेशी बाढ़ आने पर खूंटे से बचकर निकल गये, भाग गये, वह तो बच गये और जो खूंटे पर बन्धे रह गये, वह मर गये। मैंने भिवानी में एक जगह पर देखा कि एक भैंस मरी पड़ी थी और उसको सूअर खा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां सरकार कर्जे माफ कर सके वे करने चाहिएं। गरीबों के कर्जे, किसानों के कर्जे या मजदूरों के कर्जे भी माफ करें और ब्याज

[चौधरी बंसी लाल]

जरूरी तौर पर माफ कर दें। अब आगे सर्दी आ रही है। सर्दी में बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा। उसको सिरकी भी देनी चाहिए। कच्चे मकान जो गिरे हैं सरकार उनका मुआवजा पांच हजार रुपए देना चाहती है। फर्ज करो एक आदमी का पूरा कच्चा मकान पड़ गया लेकिन एक तूड़ी का कोठरा रह गया तो इनके अफसर कहते हैं कि पूरा मकान नहीं पड़ा है। उनका वह कोठरा भी साथ में लिखना चाहिए अध्यक्ष महोदय, बहुत से गांव 1000–1500 घरों के हैं लेकिन वहां 50 से ज्यादा घर साबुत नहीं बचे हैं। हरिजनों को जो प्लाट मिले थे, वे गांवों के बाहर नीची जगह पर मिले थे। वे सारे पानी में डूब गए और पड़ गए। जो पक्के मकान थे उन सब में दरारें आ गई। इनको भी सरकार को किसी न किसी किस्म की रियायत देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पानी की वजह से जितने दिन बिजली बन्द रही, कम से कम उस मरसे के बिल किसानों को नहीं जाने चाहिएं क्योंकि आपने उस दौरान बिजली ही सप्लाई नहीं की। इस तरह से जो-जो रियायतें सरकार गरीब आदमी को दे सकती है, वह उनको देनी चाहिए। सरकार को मजदूरों के लिए मजदूरी का प्रबन्ध भी करना चाहिए। आज बहुत सारी सड़कें टूट गई हैं, उन सड़कों पर उनको मिट्टी डालने का काम, ईंट पत्थर और रोड़ी डालने का काम देना चाहिए। आज गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसके अलावा आज 90 परसैंट जगहों पर क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर नहीं पहुंचा है। जब तक यह नहीं पहुंचेगा तो बीमारी फैलेगी। हमने जिस गांव में भी पशुओं के बारे में पूछा तो पता चला कि 25-30 परसैंट मवेशियों को गर्भ के टीके तो लगा दिए लेकिन पानी की वजह से बहुत से मवेशियों को मुंह और खुर आए हुए हैं, उसके टीके नहीं लगाए गए। वह टीके भी लगने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देहात में गरीबों के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन के लिए दूध भी जरूरी है। उनको दूध के पाउडर के पैकेट भेजने चाहिएं क्योंकि गरीब आदमी दूध कहां से लेगा। अध्यक्ष महोदय, एक चीज के बारे में मैं नहीं कह सकता कि ठीक है या गलत है, लेकिन हमें कुछ गांवों में लोगों ने कहा कि जो बांध हमने बनाए हैं, कई जगह हमने देखा कि गांव वालों ने नए बांध बनाए हैं और उन पर कट्टे लगा दिए। वे कहते हैं कि सरकार के बी0डी0ओ0 या पटवारी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस पर दस्तखत कर दो यह बांध हमने बनाए हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जहां पर सरकार फलड रिलीफ का पैसा खर्च करती है उस पर गांव की आबादी के हिसाब से पंच या सरपंच के अंगूठे जरूर लगवाए। हो सके तो उस गांव के 20–25 मुअजिज आदमियों के दस्तखत भी करवाए जाएं। अगर ऐसा न किया गया तो इस पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन होगा। इसका इलाज सरकार जरूर करे। एक बात और है। मुख्य मन्त्री जी ने अपने एक ब्यान में कहा कि हमने भिवानी का 90 परसैंट और रोहतक का 80 परसैंट पानी निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी को अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है, वह ठीक नहीं है। कल मैं पूरे

शहर में घूम कर आया हूं । भिवानी में 40 परसैंट पानी निकला है, 60 परसैंट अभी निकालना बाकी है । भिवानी में हरिजनों की ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसका एक इंच भी पानी निकला हो । मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा । दादरी में दादरी दरवाजे से लेकर रविदास बस्ती तक और महेन्द्रगढ़ सड़क तक पानी खड़ा है । वहां के अस्पताल में अढ़ाई-अढ़ाई और तीन-तीन फुट पानी खड़ा है । इसके अलावा भी कई जगहों पर पानी खड़ा है । उस पानी को निकालने की कोशिश करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, दादरी के पास एक रावलदी गांव है । उस गांव में एक तिहाई गांव में 6-6, 7-7 और 8-8 फुट पानी खड़ा है । वहां से 15-20 किलोमीटर तक आप चले जाएं, समुद्र की तरह पानी खड़ा है । उस पानी को निकालने का प्रबंध करना चाहिए । इन्दिरा गांधी कैनाल और उसके साथ लगते गांवों का पानी किसी तरह से नहीं निकाला गया और वह पानी अगर आगे बढ़ गया तो दादरी शहर को खतरा हो जाएगा । जो गांव बाढ़ के पानी से थोड़े बहुत बचे हैं, वे भी उस पानी से डूब जाएंगे । कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाया । इसके अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जहां-जहां से बाढ़ का पानी निकल गया वहां से गाद निकलवानी जरूरी है । लोग गांव में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे तो उस गाद के कारण बीमार हो जाएंगे । शहरों और गांवों की गाद निकलवानी जरूरी है और उस गाद को गांव और शहर से काफी दूर डलवाएं उस पर दवाई का छिड़काव भी कराएं । उस गाद पर बालू रेत का 4 या 6 इंच का लेयर करवाएं । अगर गांवों और शहरों में बीमारी फैल गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी । उस गाद को निकलवाने में कम पैसा खर्च होगा लेकिन बीमारी को कंट्रोल करने में ज्यादा खर्चा होगा । मैं समझता हूं कि सरकार को यह काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए । अगर रबी की फसल कास्त करने का प्रबन्ध नहीं होगा तो गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं परसों असंध से जींद जा रहा था, रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी रोक ली । मेरे पास एक-दो आदमी आ गए, मैंने उनसे पूछा कि यह कौन सा गांव है ? उन्होंने कहा कि यह खाण्डा गांव है । मैं तो यह समझता था कि खाण्डा हांसी तहसील का गांव है लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे इस गांव की जींद तहसील है । मैंने उनसे पूछा कि क्या इस गांव में बाढ़ आई थी, तो उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी आया था और वह निकल गया । मैंने उनसे कहा कि आपके गांव में बाढ़ के कारण कितने घर गिर गए, तो उन्होंने बताया कि 60-70 घर गिर गए । फिर मैंने पूछा कि जिनके घर गिर गए, क्या उन सब के घर लिख लिए गए, तो उन्होंने कहा कि सब तो नहीं लिखे । मैंने कहा सब के क्यों नहीं लिखे तो उन्होंने कहा कि पटवारी शराब की बोतल मांगता है । पटवारी कहता है कि पहले आप मुझे बोतल दे दो फिर लिखूंगा । अध्यक्ष महोदय, पानी कम निकलने की बीमारी यह भी है कि जे0 एल0 एन0 कैनाल की कैपेसिटी 3200 क्यूसिक्स की है, अब उसमें मिट्टी भर जाने के कारण उसकी कैपेसिटी 1200 क्यूसिक्स रह गई है । इसी तरह से हांसी ब्रांच की कैपेसिटी 5600 क्यूसिक्स पानी की है, लेकिन उसमें मिट्टी

[चौधरी बंसी लाल]

भर जाने के कारण उसकी कैपेसिटी 4000 क्यूसिक्स रह गई है । अगर उनकी डी-सिल्टिंग का काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर दरख्त कट कर न पड़े हों । बेशुमार दरख्त टूट-टूट कर सड़कों पर गिरे पड़े हैं, कटे पड़े हैं । उन दरख्तों को प्राईवेट लोगों ने आगे आगे से काट लिया है और रात को अगर कोई मोटर साईकिल या स्कूटर पर चढ़ कर आएगा और उसके सामने से कोई ट्रक या बस आ गई तो उस मोटर साईकिल या स्कूटर सवार का सिर सीधा लक्कड़ पर लगेगा । मैं कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके, उन दरख्तों को फारेस्ट डिपार्टमैंट और पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा हटवाना चाहिए । अगर सरकार उन दरख्तों को बेचेगी तो सरकार को भी फायदा होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि लोगों के लिए सिरकी का प्रबंध होना चाहिए और जैसे मैंने पहले कहा, बच्चों के लिए दूध का भी प्रबंध होना चाहिए । प्रदेश की सारी सड़कें बाढ़ के कारण टूट चुकी हैं, इसलिए उनकी मुरम्मत करवाना बहुत ही जरूरी है । अगर सड़कों की मुरम्मत नहीं होगी तो रास्ते नहीं खुलेंगे । उन पर गाड़ियां चलेंगी तो टायर ज्यादा घिसेंगे और तेल का भी ज्यादा खर्चा होगा । यह नेशनल लॉस होगा क्योंकि रबड़ भी बाहर से आता है और तेल भी बाहर से आता है । अगर मुख्य मन्त्री जी जायज समझें तो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से मदद लेने के लिए एक प्रस्ताव पास करके भेजें क्योंकि बाढ़ से अरबों रुपयों का नुकसान हरियाणा में हुआ है । रोहतक शहर में जो सूरी मार्किट है, उसमें एक-एक आदमी का 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है । यह मार्किट हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़े की मार्किट है । यहां शहर के अन्दर टैलीविजन-सैट इस प्रकार से तैर रहे थे जैसे कोई टहनी या फूल पानी में तैर रहा हो । साथ ही सरकार यह जांच करवाए, चाहे किसी हाई कोर्ट के जज से करवाएं कि शहर में पानी कैसे आया और इसको किसने डुबोया ।

अध्यक्ष महोदय, जो लोग बाढ़ से मारे गए हैं उनके वारिसों को कम से कम एक-एक लाख रुपये तो जरूर देने चाहिएं । जो लोग बाढ़ से मारे गए हैं उनका कोई कसूर नहीं था । जो फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है उसका 3 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जरूर देना चाहिए । जहां पर नुकसान 50 से 75 प्रतिशत तक हुआ है, वहां 2000 से 2500 रुपये तक का मुआवजा सरकार को देना चाहिए । ट्यूबवैल्ज डैमेज हुए हैं उनको भी 25000 रुपये जरूर देने चाहिएं । एक तो लोगों ने कर्ज लेकर ट्यूबवैल लगाये थे और अब ऊपर से वे बेकार हो गए हैं । अत: सरकार इस बात पर ध्यान दे । हरियाणा का किसान मेहनत से काफी अन्न पैदा करता है और केन्द्र को हर साल लाखों टन अनाज जाता है । अत: सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिन लोगों के मकान इस बाढ़ से टूट गए हैं, उनको पक्के मकान के लिए कम से कम 25 हजार रुपए और कच्चे मकानों के लिए 20 हजार रुपए दिए जाएं ताकि वे फिर से बना कर रह

सकें । इसी प्रकार से जिन लोगों के पशु-भैंस गाय व बैल आदि मारे गए हैं, उनकी कीमत का भी अन्दाजा लगा कर पैसे दिए जाएं ताकि वे फिर से अपना काम कर सकें । जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उनकी भी मदद सरकार को करनी चाहिए । दादरी में अकेले 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और रोहतक शहर में तो अरबों रुपये का नुकसान हुआ है दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में जब तक कोई सौलिड नीति नहीं बनाई जाएगी, तब तक यह काम ठीक प्रकार से नहीं चलेगा । अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन प्राईवेट संस्थाओं ने और सामाजिक संस्थाओं ने या इंडस्ट्रयलिस्टस ने इतनी समाज सेवा की है, उनको सदन की तरफ से एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने वहां जा कर मदद की है जहां सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच पाई थी । ये लोग अब भी खाना, दवाई और दूसरी चीजें लोगों को दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और देवी लाल ने एक बात कह दी कि एस० वाई० एल० से पंजाब का पानी हरियाणा में आ गया । मैं यह नहीं कहता कि पानी बिल्कुल नहीं आया । जब कैथल सिहोवा का पानी भिवानी तक पहुंच सकता है तो पंजाब का कुछ पानी एस० वाई० एल० में आया है लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब जरुरत होती है तो भाखड़ा मेन-लाईन तथा तरवाना ब्रांच का पानी एस० वाई० एल० के थ्रू एन० बी० के जरिए ले जाया जाता है और उसको इस्तेमाल भी किया जाता है अध्यक्ष महोदय, अगर वह नहर हरियाणा में न बनती तो हरियाणा पंजाब से क्या कह कर पानी मांगता ? चौटाला साहब के पिता चौधरी देवीलाल के दोस्त प्रकाश सिंह बादल कह देते कि हरियाणा में नहर ही नहीं है, पानी कहां से ले जाएंगे, इसमें यह दलील आ जाती । चौटाला साहब को ऐसा लगता है जैसे बगैर खाए कोई आदमी कदम नहीं रखता, इसी तरह ये बगैर खाए अगला कदम रखते ही नहीं थे, इसलिए इन को हर आदमी खाने वाला और कमीशन लेने वाला नजर आता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इंजीनियर, श्री पाठक की राय मैंने नहीं मानी । अध्यक्ष महोदय, पाठक अभी जिन्दा जागता है, वह बहुत ही लायक इंजीनियर हैं । पाठक साहब से आप पूछ लें । पाठक साहब ने अगर इसके हक में राय दी हो और फिर वह नहर बनी हो तो फिर चौटाला साहब को सदन में माफी मांगनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, गलत-सलत बात कहने की इनकी आदत है । दूसरों को तो ये कहते है कि पार्लियामैंटरी भाषा का इस्तेमाल करो, चेयर को एड्रैस करो लेकिन खुद मुंह उधर दूसरी तरफ रखते हैं । लगता है इनको खुद नहीं पता, भाई की रेल कहां टिकती है । ये महम के कातिल हैं और दूसरों को कहते है कि कमीशन खा गए । अध्यक्ष महोदय, इनकी मुख्य मन्त्री जी से मिली भगत है, वरना ये श्रीमान जी आज अन्दर होते । मुख्य मन्त्री जी इनको लिहाज कर रहे हैं इन्होंने महम में कितने कतल करवा दिए ? जिस आदमी ने इतने कतल करवाए वह आज सदन में बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिख दिया कि उसका कातिल कौन है, वह कातिल सदन में बैठा हुआ है, यह बड़ी शर्म की बात है । वे कहते हैं कि इस्तीफा दे दो । अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा तो वो महीने में वैसे ही हो जाएगा ।

[चौधरी बंसी लाल]

इन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया था लेकिन बाद तक का टी० ए० डी० ए० ले गए। आज फिर ये इस्तीफे का ड्रामा रच रहे हैं, समझ में नहीं आता कि यह क्या तमाशा है। जो फिर इनकी मर्जी आए कह देते हैं, क्या इनको कहने का लाईसैंस मिल गया है ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को यह सुझाव दूंगा और कहूंगा कि ड्रेनेज के बारे में जो सुझाव मैंने दिए हैं उनको ये सीधे विचारें और गहराई से उन पर अमल करें। सैंटर से आज आपको जो सहायता आ रही है, उसको खर्च करने में नीचे वाले लोगों से दस्तखत जरूर करवाएं कि फलां यह इतना काम हो गया है, वरना यह फंडज का मिसयूज होगा। अगर इस सदन के सदस्यों की कोई कमेटी बना दें तो बहुत फायदा है, कोई नुकसान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। एस० वाई० एल० के बारे में मैंने जो बात कही थी चौधरी बंसी लाल उस बात पर आए ही नहीं। यह तो रिकार्ड की चीज है, सरकारी रिकार्ड की बात है। एस० वाई० एल० नहर हरियाणा प्रदेश में 91 किलो मीटर इनके शासनकाल में बनी और वह नहर अगर शुरू में पंजाब में बन गई होती तो आज यह सारा बखेड़ा न होता। न बाढ़ का इतना पानी आता बल्कि हरियाणा प्रदेश की प्यासी धरती को पानी मिल जाता। इन्होंने यह नहर बनवाई ही इसीलिए थी क्योंकि पंजाब में कंस्ट्रक्शन वर्क होता तो पैसा हमारा लगता लेकिन इनको कुछ नहीं मिलना था। ये कह रहे हैं कि मेरी ऐसी आदत नहीं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में आडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसमें क्लीयर आया है कि पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिजैक्टिड पोल्ज जो ज्यादा पैसा दे कर खरीदे गए हैं, उसमें पैसा खाया गया है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी की बात बता रहा हूं। मैं इनसे कोई गिला भी नहीं करता क्योंकि इनको हरियाणा के हितों से प्यार नहीं है। स्वर्गीय हुक्म सिंह लोक सभा के एक्स स्पीकर की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के बारे में, चाहे पंजाब बने चाहे महा पंजाब बने इसका निर्णय होना था। चौधरी बंसी लाल राज्य सभा के मैम्बर थे, स्वर्गीय चौधरी लहरी सिंह लोक सभा की तरफ से मैम्बर थे। चौधरी लहरी सिंह लोक सभा में जन संघ के टिकट पर जीत कर आए थे। जन संघ का राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय था कि महा पंजाब बनना चाहिए। चौधरी लहरी सिंह जी ने उसका समर्थन किया कि हरियाणा बनना चाहिए। जब जनसंघ के लोगों ने एतराज किया तो उन्होंने कहा कि "थारा तो टिबड़ा-टिबड़ा मेरे पे है और यह तेल और

17-00 बजे ! बत्ती मेरी है।" चौधरी बंसी लाल ने उस पर डाइसैंटिंग नोट दिया और उसके खिलाफ बोले। अध्यक्ष महोदय, ये पिछले से पिछले सैशन में आप से बोलकर गए थे कि मैं आपको रिकार्ड दिखाऊंगा। शायद आज ये रिकार्ड लेकर आए होंगे। अध्यक्ष महोदय, इनका रिकार्ड तो पिछले अधिवेशन में जाहिर हो गया था। 107 गांव हरियाणा प्रदेश को न मिले, इसके बारे में तो फाईल हाउस में दिखाई गई थी, जिसपर इन्होंने दस्तखत करके दे दिए थे। 70 हजार एकड़ भूमि थी जिसमें पिटोरा पैदा हो गया। यह जो डेराबस्सी, लालडू और पटियाला की धरती है, यह ले ली जाए और 107 गांव दे दिए जाएं। यह तो फाईल को देखकर इन्होंने हाउस में माना है। इसी तरह से इन्होंने पार्लियामैंटरी कमेटी में कहा था कि हरियाणा नहीं बनना चाहिए। मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि ये हरियाणा बनाने के हक में ही नहीं थे, हरियाणा के हितैषी ही नहीं हैं, इसीलिए ये हरियाणा को डूबोने का काम करते रहे हैं। एस० वाई० एल० नहर का आपको स्वयं पता होगा कि कैथल और कुरुक्षेत्र जिले तक बनी हुई थी। पंजाब के लोगों ने, जहां तक यह बनी हुई थी, वहां से बांध करके आगे तक ले गए और वह अब भी भरी हुई है और बह रही है। उसमें पंजाब का सारा पानी आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1993 में जो 120 कि० मी० की बात हुई थी, ये यहां पर अब अपनी बात से मुकर रहे हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लनेशन पर बोलना चाहता हूं। पहले तो इन्हें यह पता नहीं कि एस० वाई० एल० 120 कि० मी० लम्बी नहीं है यह 93 कि० मी० है। दूसरी बात जो इन्होंने रि-आरगेनाईजेशन आफ पंजाब स्टेट की कही है, इस बारे में इन्होंने कहा कि मैं रिकार्ड लाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आप अगले स्पीकर को बोलने के लिए खड़ा कर दें। मैं एक घंटे में वह रिकार्ड सदन में प्रस्तुत कर देता हूं और ये इस बात के लिए माफी मांगेंगे। मैं यहां पर खड़ा होकर बताऊंगा कि मेरा नोट क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात बोल दूंगा। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी के लीडर हैं और चौधरी बंसी लाल जी भी नेता है। ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि वह झूठ बोल रहा है और एक दूसरे पर कमीशन खाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को मान लें क्योंकि ये दोनों सच ही कह रहे हैं।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्रीमती चंद्रावती (लोहारु) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। यह जो बाढ़ आई है, कुछ तो यह प्राकृतिक है और बाढ़ आने में कुछ प्रशासन की भी कमियां थीं। दादरी के इतिहास में पहली बार ऐसी बाढ़ आई है। सबसे पहले 11 अगस्त को बरसात हुई। दादरी में फुआरा चौक है उसमें 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया। यह बात मैंने डी० सी० के नोटिस में लायी और सीवैरिज कमेटी के नोटिस में भी लाई लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जब 1 तारीख को वहां पर पानी आने लगा, मैंने तब से ही कहना शुरु कर दिया था कि

[श्रीमती चंद्रावती]

दादरी में बाढ़ आएगी । उसकी वजह क्या थी, वह भी मैं आपको बता देती हूं । अंग्रेजों के वक्त की दादरी में बड़ी रेलवे लाईन थी, उस पर बारह पुलियां थीं और अब तीन ही रह गई थीं जो अटी पड़ी थीं वे तब खोली गई जब शहर डूब गया । (इस समय श्री उपाध्यक्ष, पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि अचील, जयश्री और झींझर गांव आठ तारीख को डूबे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां पर जैनरेटर लगाने चाहिएं क्योंकि आमतौर पर बिजली फेल हो जाती है लेकिन वहां पर जैनरेटर नहीं लगाए गए । औफिसरों के घरों मे तो फटाफट जैनरेटर लग गए। 14 तारीख के बाद पानी निकालने के लिए कुछ जैनरेटर आए हैं लेकिन आज भी जितना पानी निकलता है, उतना ही और आ जाता है। अगर देखा जाए तो लोहारू कैनाल सूखी पड़ी है । डिप्टी स्पीकर, जे० एल० एन० नहर सूखी पड़ी है । डिप्टी स्पीकर साहब, जिसने भी जहां चाहा वहीं पर नहर काट दी, कोई रोक टोक ही नहीं है । वैसे चीफ इंजीनियर ने उन लोगों के खिलाफ ऐक्शन भी लिया है । मैं दो ऐक्सियन के बारे में बार-बार कहती रही हूं कि जब लोगों को उनकी ज्यादा जरुरत थी, तब वे दोनों छिप गए । जब उनके घरों में पानी आ गया तो वे सबसे पहले भाग गए, और तो और मेरे पड़ोस में डी० एस० पी० रहते हैं, उन्होंने भी पानी रोकने की कोशिश नहीं की और व भी रहने के लिए रैस्ट हाऊस में चले गए। मेरे घर के बगीचे में आज भी पानी खड़ा है, मुझे नहीं पता कि यह पानी वहां पर किस वजह से खड़ा है लेकिन पानी वहां अब भी खड़ा है। मैं तो वहां पर थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक औरत जा रही थी, उसके एक हाथ में चप्पल थीं और दूसरे हाथ में उसने लाठी ले रखी थी । उस औरत के सिर पर गठड़ी थी और उसके आगे-आगे भैंस और कटड़ा था । इसी तरह से एक और आदमी रास्ते में जा रहा था, उसके सिर पर भी एक गठड़ी थी एवं गोद में एक बच्चा था । जब उसको पानी ने धकेल कर नीचे गिरा दिया तो एक दस या बारह साल के लड़के ने उस आदमी को उठाया । लेकिन औफिसरों ने कुछ नहीं किया, वे घरों में बैठे रहे । यह ठीक है कि कुछ औफिसर अच्छे भी थे । उपाध्यक्ष महोदय, पानी को रोकने के लिए बांध बांधना चाहिए था लेकिन वह क्यों नहीं बांधा गया । मैंने स्वयं चीफ सैक्रेटरी को टैलीफोन किया, मुख्य मन्त्री को टेलीफोन किया तथा जो भी मैं कर सकती थी वह मैंने किया । मैं दिसौदिया साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने वहां पर खाने पीने का सामान भिजवाया । इससे पहले तो वहां पर 20 रुपये किलो चीनी बिकी है, आलू भी बहुत महंगे बिके हैं । मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने बाढ़ से घिरे हुए लोगों की मदद की है । दादरी के छोरे तो बहुत निकम्मे माने जाते हैं लेकिन उन्होंने भी घर-घर घूमकर पानी भिजवाया । मेरे अपने भतीजे ने भी लोगों को घर-घर में पानी पहुंचाया । सरकार ने तो बाद में पानी भेजा है लेकिन इस बार गांव के लोगों ने बड़ी भारी मदद करी है। डिप्टी स्पीकर साहब, आदमी अपने पशु तब कहीं पर ले जाता है जब उसके पास उनको खिलाने के लिये चारा नहीं होता । मेरे हल्के तक के गांवों के लोगों ने यानी मिश्री, छपाड़, इटेला, बसराना, डालावास आदि गांवों के लोगों ने उनको चारा दिया, खाने को खाना

दिया और को अपने वहां ठहराया जिस आदमी का पशु मर जाएगा, वह क्या करेगा पशुओं से ही लोग दूध पीते हैं । ये चीजें तो स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखी हैं जिनको देखकर आंखों से पानी नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा ? अगर समय पर नहरों की छंटाई हुई होती, अगर रेल की पुलियों में गंदगी नहीं होती, मिट्टी नहीं होती तो यह बाढ़ शायद न आती । जिन रेलवे वालों ने यह लाईनें बनायी हैं हमारी सरकार को उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने इन लाईनों में पानी निकलने के लिए पुलियां क्यों नहीं बनायीं । पहले वहां पर 12 या 13 पुलियां थीं लेकिन अब एक भी नहीं है । 3-4 पुलिया अटी पड़ी थीं । इस तरह की जो बात हुई है उसे मैं बता रही हूं । पानी एक तरफ से निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहा है, धिगाड़े की 22 में से 11 मोटरें लिफ्ट इरीगेशन की चली लेकिन अटेले की नहीं चली, पानी वापस आ गया । जो इनका लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम है उसके बारे में तो मैं आए बार हाउस में कहती हूं कि लिफ्ट खराब है, उनकी मशीनरी खराब है जो आज से बहुत साल पहले लगी थी । उनके पम्प काम नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आफीसर्ज फील्ड में हैं, इनका फर्ज है कि खबर दें मगर नहीं दी जाती । वहां जनरेटर लगने चाहिए थे पर नहीं दिए । छोटे दुकानदारों की दुकान पर पानी आ गया, खोखे बह गए । ज्यादातर पानी नहर काटने से आया और नहरों में आगे नहीं जा सका । ड्रेन न० 8 की कभी सफाई नहीं हुई । किस तरह से यह पानी आया लोग कहने लगे कि घासोला में नहर काट ली, बाकरा के पास काट ली तो पानी आ गया, आज भी आ रहा है । भिझर गांव है, अचीणा है रामीला है इनमें अब भी पानी खड़ा है । किसी ऐक्सपर्ट को ले जाकर उसे दिखाकर ठीक से पानी जवाहर लाल नहर और लोहारू नहर में डलवाने की कोशिश करें, नहीं तो खेतों में पानी खड़ा रहेगा । यह फसल तो खराब होगी ही, आगे भी नहीं बो सकेंगे यह सारा काम इसी तरह से चला तो 15 अक्तूबर तक पानी नहीं निकलेगा । सब जगह नहरें कटी पड़ी हैं, कब तक आप उनको ठीक कराएंगे । इसलिए अब जरूरी है कि नक्शे लेकर जहाँ पानी का बहाव है वहां तालाब बनवायें । मैं हमेशा तालाबों पर जोर देती हूं ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो सके । मुख्य मन्त्री जी भिवानी आए थे तो उन्हें भी मैंने यही सुझाव दिया था कि बरसात का पानी इकट्ठा होना चाहिए । जौहड़ों की जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए हैं । दादरी का अस्पताल आए बार डूबता है । उसके पास खाई थी, वह मिट्टी से अट गई और लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए । शहर नहीं डूबा । क्योंकि शहर में एक जौहड़ है उसमें सारा पानी चला जाता है । कुदरत की प्लानिंग को आप कैसे रोक सकते हैं ? अलवर के डी० सी० ने रिवाड़ी के डी० सी० को टैलिफोन किया और बताया कि दो घंटे में पानी आपके पास पहुंच जाएगा और पानी इतनी तेजी से आया कि मकान के मकान बहा कर ले गया । कुछ करने की कोशिश नहीं कर सके । रिवाड़ी के आफीसरों ने कहा कि पानी हमने दो घंटे में निकाल दिया क्योंकि पानी अपनी ताकत से आया था और अपनी ही ताकत से बाहर चला गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती । सर्दी आ रही है, हर

[श्रीमती चन्द्रावती]

देश में सर्दी बड़े दिन से शुरू हो जाती है। अरब देशों में जब सर्दी आती है तो सर्दी की चीजें सस्ती की जाती हैं। हमारे यहां जन्माष्टमी से अगले दिन गुग्गा होता है। गुग्गा के दिन से जाड़ा जन्म लेता है और दिवाली के दिन जाड़ा घुंघरू बांध लेता है। मैं चाहूंगी कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में गर्म कपड़े व सर्दी की चीजें सस्ते रेट पर देनी चाहिए। मुझ से पूर्व बोलने वाले वक्ता बहुत से सुझाव दे चुके हैं, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहती। सड़क की बात आई है। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी हिसार गए थे, उनके नोटिस में भी लाया था, काफी सारे आफिसर थे, कि सारी सड़कें टूट चुकी हैं। जिसके कारण बहुत नुक्सान हुआ है। बसें, कारें टूटी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बातें बाढ़ के नाम थोप दी जाएंगी, पर एक्चुअली वे सड़कें घटिया मैटिरियल व बिचुमन न लगने के कारण टूटी हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यहां पर यह कहा गया कि पक्की नहरों से सीपेज नहीं होती, यह गलत बात है। मैं कहती हूं कि पक्की नहरों से भी सीपेज होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पक्की नहरों से भी सीपेज होनी है तो फिर उनको पक्का करने में क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जाता है। कच्ची नहरें ही रहने देनी चाहियें क्यों कि एक तो कच्ची नहरें बहुत कम टूटती हैं क्योंकि उनमें रेत बहुत होता है और वह रेत साथ-साथ चलता है। कच्ची नहरें ही रखें ताकि सरकार का खर्चा कम हो। जो नहरें टूट चुकी हैं, उनको सरकार ठीक करवाने की कोशिश करे। इसके साथ-साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने इस बाढ़ की स्थिति में एक दूसरे की जमकर मदद की है। जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, मकानों में पानी भरा पड़ा है और किसी की भैंस मर गई है, किसी का दूसरा कोई पशु गाय वगैरह मर गई है, उनको सरकार की ओर से अवश्य व जल्दी मदद मिलनी चाहिये। जहां तक दवाईयों का सम्बन्ध है, दादरी में क्लोरिन तो बटी है और दूसरी दवाईयां भी शायद पहुंच रही हैं, इसके लिये मैं स्वास्थ्य मन्त्री महोदया को धन्यवाद देती हूं।

अब मैं सीवरेज के बारे में कहूंगी कि सीवरेज का भी बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बताती हूं कि मेरे घर में, मैंने एक मछली तैरती देखी और वह मछली बाहर के गन्दे सीवरेज के या फिर नहर के पानी से ही अन्दर आई होगी। इसलिये मैं यह भी सरकार से कहूंगी कि जो प्रशासन की कमजोरियां हैं, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिन अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाया है, उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिये, चाहे कोई भी हो, उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी चाहिये। अगर प्रशासन पूरी तरह से तैयार होता, सजग होता तो जो मुसीबतें बाढ़ के कारण लोगों को उठानी पड़ीं, उनको टाला जा सकता था। इन शब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप ने अपनी नजरें हमारी तरफ भी की हैं और मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अन्दर इस बार

अभूतपूर्व बाढ़ का प्रकोप रहा जिस के कारण सैकड़ों लोगों की जानें गई । कई हजार पशु मारे गये, 28 लाख एकड़ जमीन में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई । इस तरह से 35 लाख के करीब लोग हरियाणा के अन्दर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । लोगों को तरह-तरह की यातनाएं सहनी पड़ीं । लगभग 1500 करोड़ रुपये का नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है जिसमें पशुधन भी शामिल हैं । इतना ही नहीं, दुकानदारों का भी बड़ा भारी नुकसान हुआ हैं । सड़कें टूट गई हैं, लोगों के घरों में, दुकानों में बुरी तरह से पानी भरा रहा जिस कारण जान माल का बहुत नुकसान हुआ जिसकी पूर्ति शायद कभी नहीं हो सकती । किसानों के कीमती पशु मारे गये, पावर हाउसिज में भी पानी भरा रहा । हफ्तों तक नहीं बल्कि महीनों तक पानी भरा रहा और बगैर बिजली के लोगों को गुजारा करना पड़ा । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार लोगों की हर प्रकार से जल्दी से जल्दी मदद करे और किसानों को राहत मुहैया करे ताकि किसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस सारे नुकसान के लिये प्रकृति को दोषी ठहराती है जबकि सारा कसूर इस सरकार का रहा है । प्रकृति का काम बरसात करना है और सरकार का काम है बरसात से बचाव करना लेकिन सरकार ने पहले से ही इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आज प्रदेश की यह दुर्दशा हुई । इस बात को आप सब भली भांति जानते हैं। समय पर सरकार को बाढ़ का मुकाबला करना चाहिये था लेकिन सरकार उस समय बिल्कुल सोई रही । और प्रदेश की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया । नहरों और ड्रेनों की सफाई नहीं करवाई गई। केवल कागजों में सफाई दिखा कर अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए के गबन का काम किया है । न तो मोटरों और पम्पों की रिपेयर करवाई गई और न ही इस बात को महसूस किया गया । यह भी नहीं सोचा गया कि हमारे पास बहुत थोड़ी इलैक्ट्रिक मोटरें हैं । मैं यह इलजाम लगाना चाहूंगा कि अधिकारियों ने मोटरों की रिपेयर के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया है। इसलिए बाढ़ से जो हानि हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है । ड्रेन नं0 8, सब ड्रेनज आदि लोहारू फीडर, लोहारू कैनाल और जे0एल0एन0 कैनाल की सफाई करवा दी जाती तथा विभिन्न क्रिटिकल प्वायन्टस पर बरसात से पहले ही पम्पस लगवा दिये जाते तो बाढ़ के पानी से बहुत जल्दी राहत मिल सकती थी । इनकी रख रखाव के ऊपर पैसा खर्च किया जाता और नहरों की सफाई करवा दी जाती, पुरानी मोटरों की रिपेयर करवा दी जाती और नई मोटरें खरीद ली जातीं तथा क्रिटिकल प्वायंट्स पर बिजली की मोटरें लगा दी जाती तो बाढ़ का पानी एक हफ्ते के अन्दर निकाला जा सकता था लेकिन सरकार सोती रही और अधिकारी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खाते रहे । ऐसी हालत सरकार ने इस प्रदेश के अन्दर की है। बाढ़ आने के बाद किसी भी गांव में कोई अधिकारी तो क्या, एक छोटे से छोटा कर्मचारी भी नहीं गया कि वहां पर लोगों की क्या हालत है । मैं बताना चाहता हूं कि झज्जर में एस0डी0एम0 के घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर गांव खेड़ी कुमार

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

है वहां पर एस0डी0एम0 को पहुँचने में एक सप्ताह से अधिक समय लगा । अच्छेज के पहाड़ीपुर गांव पहले ही जे0एल0एन0 की सीपेज से बर्बाद हो चुके थे और सरकार के निकम्मेपन की वजह से अब वे परमानैंट तौर पर बर्बाद हो चुके हैं । पहले वहां सरकार की तरफ से मोटरें लगाई हुई थीं लेकिन बरसात आने से पहले उनको वहां से हटा लिया गया । मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 41 गांव हैं, जिनमें से 34 गांव आज पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। विशेष रूप से मैं उन गांवों के नाम लेना चाहूँगा जहां शत-प्रति शत फसलें बर्बाद हो गई तथा हजारों मकान बाढ़ के कारण गिर गये। उनके नाम हैं— डीघल, दुजाना, गांगटान, जहाजगढ़ मोहम्मदपुर, माजरा, अच्छेज, पहाड़ी पुर, बाधपुर, बेरी, मांगा बास, पलड़ा, खेड़ी खुमार, खातीवास, बिसाहन, ढराणा, चिमनी, सिवाना, शेरिया, बान्धलान, बरहाना, दिमाना छोछी, गोछी, भम्भेवा, मदाना कलां, मदाना खुर्द, डुबलधन बस्ती भगल पुरी, महराना, घोड़, चिमनपुरा बाकरा, वजीरपुर, गुढा ये गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं । इन सभी गांवों की शत प्रतिशत फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हजारों मकान गिर चुके हैं । मैं बताना चाहता हूं कि अब तक न तो इनकी स्पैशल गिरदावरी करवाई गई है और न ही गिरे हुए मकानों का सर्वे करवाया गया है । कई गांवों में तो 80 परसैंट लोग गांव छोड़ कर बाहर जा चुके हैं । यह कितना बड़ा मजाक वहां के लोगों के साथ है । अब भी कई गांवों की बस्तियों में पानी खड़ा है टी0वी0 के जरिए, रेडियो के जरिए और समाचार पत्रों के जरिए सरकार एलान कर रही है कि हमने इस बार बाढ़ राहत का काम युद्ध स्तर पर शुरु किया है । अगर मौके पर जाकर देखा जाए तो प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । जो कुछ काम बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का किया है वह स्वयं सेवी संस्थाओं ने किया है । मैं उन स्वयं सेवी संस्थाओं का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना तक पहुंचाया । स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने डाक्टरों की टीम ले जा कर लोगों को दवाईयां दिलवाई । मैं स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की बहुत सहायता की । उपाध्यक्ष महोदय, डीगल गांव के लोगों ने तीन किलोमीटर लम्बा नाला खोदा । ऐसा करके उस गांव वालों ने एक भाईचारे का सबूत दिया है । उन्होंने तीन किलो-मीटर लम्बा नाला खोदा ताकि बाढ़ का पानी निकाला जा सके । अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण डीगल गांव के लोगों का आने जाने का रास्ता नहीं रहा, जिसके कारण उस गांव के लोग फारिग होने के लिए ट्रैक्टरों में बैठ कर हजारों की तादाद में रोहतक जाने वाली सड़क पर आते थे । इस तरह से लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया । 2 तारीख को जो तूफान आया था, उसके कारण हजारों की तादाद में दरख्त टूट गए थे जिसके कारण रास्ते रुक गए । फारेस्ट डिपार्टमैंट और पी0 डब्ल्यू0 डी0 वालों ने उन दरख्तों को सड़कों से हटाना जरूरी नहीं समझा । गांवों के लोगों ने अपने आप उन दरख्तों को हटाने का काम किया है इसमें सरकार का किसी किस्म

का योगदान नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के के 34 गांवों में गया । एक दो गांवों को छोड़कर सब लोगों ने कहा कि आप पहले आदमी हैं जो गांवों में आए । लेकिन सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया । इस किस्म के हालात थे । अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण तीन-चार हजार करोड़ रुपए का हरियाणा प्रदेश की जनता का नुक्सान हुआ है । लोगों के मकान गिरने से, लोगों की फसलें बरबाद होने से, दुकानदारों का सारा सामान खराब होने की वजह से, सड़कें और नहरें टूटने की वजह से तीन चार हजार करोड़ रुपए का नुक्सान हो चुका है लेकिन यह सरकार केवल 600 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से मांग रही है । मैं तो यह कहूंगा कि कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार से मांगने चाहिएं थे ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके और अच्छी तरह से दूसरी राहतें दी जा सकें । मैं तो यह कहता हूं कि 600 करोड़ रुपया तो अधिकारियों की जेबें भरने के लिए भी काफी नहीं होगा । हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का पानी खड़ा न हो, इसके बारे में मैं एक सुझाव दूंगा । अध्यक्ष महोदय, हम जब भी गांवों में बिजली की मोटरें लगाने के लिए अधिकारियों से कहते हैं तो उनका जवाब होता है कि हमारे पास मोटरें नहीं हैं पानी कैसे निकालें । मैं कहता हूं कि जो राहत का पैसा आया है, इसमें से इलैक्ट्रिक मोटरें खरीद कर हर गांवों के खेतों से पानी निकाला जा सकता है । रबी की फसलों की बिजाई हो सकती है, यदि इलैक्ट्रिक मोटरें लगा दी जाएं । इस बारे में युद्ध स्तर पर इन्तजाम किया जाए । इलैक्ट्रिक मोटरों के बगैर किसी गांव से पानी नहीं निकाला जा सकेगा । बाढ़ आने के 15 दिन बाद तक भी सरकार की तरफ से डाक्टरों की टीम दवाई देने के लिए गांवों में नहीं भेजी गई । सारा काम स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया । अब तो रास्ते खुल गए हैं इसलिए सरकार को हर गांव में डाक्टरों को भेजना चाहिए ताकि गांवों में कोई बीमारी न फैले । गांवों में दवाईयों का छिड़काव करवाया जाना चाहिए ताकि लोगों को मच्छरों से छुटकारा मिल सके । जिन-जिन गांवों में किश्तियों की जरूरत है उन गांवों में किश्तियां मुहैया कराई जाएं । सड़कों की सफाई कराई जानी चाहिए ताकि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो । सिरकियों का जिक्र आया । लोगों को सिरकियां भी कंजूसी के साथ दी गई । कई जगह तो पंचायतों से कह दिया कि सिरकियां अपने फण्डज से खरीदें । सरकार ने लोगों को किसी भी किस्म की राहत नहीं दी । लोगों को गल्ली बैगज भी सरकार की तरफ से नहीं दिए गए । लोगों ने अपने घरों से बोरियां और कट्टे ले कर मिट्टी से भर-भर कर पानी को रोकने के प्रयास किए । इस तरह से लोगों ने अपने गांवों को बाढ़ के पानी से बचाया । अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन गांवों में रिंग बांध बनाना जरूरी है, मैंने उनके बारे में पिछले सैशन में भी कहा था और इस सरकार के ऑफिसर्ज से भी कहा था कि फलां-फलां गांवों में रिंग बांध बनाने की जरूरत है लेकिन आज तक उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई । जो रिंग बांध बने हुए थे, उनकी देखभाल नहीं हुई और न ही नए बनाए गए । इस बारे में मेरा सरकार को

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

सुझाव है कि अगले साल बरसात के मौसम से पहले, जहां-जहां पर रिंग बांध बनाये जाने की आवश्यकता है, वहां पर बना दिए जाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, ड्रेन नं0 8 और जे0 एल0 एन0 के जरिए हमारे एरिया का पानी निकाला जा सकता है । ड्रेन नं0 8 की जो हालत थी, वह मैं बताना चाहता हूं । वहां पर टी0 बी0 की एक टीम गई थी । उस टीम ने देखा था कि वह किनारों तक चल रही थी और उसमें सैकड़ों दरखत पड़े थे, जिनकी वजह से उसको बराबर टूटने का खतरा बना हुआ था । लोहारू फीडर की कैपेस्टी भी घट कर केवल 20 प्रतिशत रह गई है । मैं चाहता हूं कि सरकार हाउस की सभी पार्टियों के मैम्बरों की एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के टर्मज आफ रैफरेंस ये हों कि बाढ़ आने के लिए जिम्मेदार कौन हैं । जो अधिकारी और सरकार दोषी हो, उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमे दर्ज करा कर कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में लोगों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कोई न कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एक हैक्टेयर की फसल का मुआवजा 1000 रुपये देने की बात कह रही है जो बहुत कम है । मैं चाहता हूं कि बड़ी मेहनत से किसान अपनी फसल बोता है और ऊपर से जब नुकसान हो जाए तो एक हजार रुपया तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको कम से कम 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए । जिनके पक्के मकान गिरे हैं, उनको 50,000 रुपये और जिनके कच्चे मकान गिरे हैं उनको कम से कम 25,000 रुपये सरकार को देने चाहिए । इसी प्रकार जिन लोगों के पशु मारे गए हैं, उन सभी की कीमत का आंकलन कर के पंजाब पैट्रन पर पैसे मिलने चाहिए । जिन लोगों के ट्यूबवैल्ज खराब हो गए हैं, उनको 25 हजार रुपया मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वे ट्यूबवैल लगा कर आने वाली फसल की सिचाई कर सकें । जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को भी सरकार को दो-दो लाख रुपया देना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा सुझाव यह है कि अगली फसल यानी रबी की फसल की बिजाई हो सके, इसके लिए हर गांव में बिजली की मोटरें लगा कर पानी निकाला जाये और दूसरे गांव के किसानों को खाद और बीज पर सबसिडी दी जाये । जहां पर सड़कें खराब हो गई, वहां पर तुरंत मुरम्मत की आवश्यकता है । इन्हीं सब सुझावों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सुझावों पर विशेष गौर करके लोगों को राहत देगी, केवल घोषणा नहीं करेगी । अब मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं । (शोर)

श्री सूरजभान काजल : मेरे हल्के में अब भी हालत बहुत खराब है । मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बाढ़ का पानी अब भी बढ़ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी जरूर बोलने देंगे, लेकिन अब आप बैठ जाइए । अब श्री वीरेन्द्र सिंह जी बोलेंगे । (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आॅफ आर्डर है । ये मन्त्री तो हैं, इनका कहीं नाम नहीं है । (विघ्न) इनका नाम नहीं आया है । ये मिनिस्टर हैं और ये तो रिप्लाई देंगे । (विघ्न एवं शोर) मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा । रूल 84 में जिन मैम्बर्ज के नामों का प्रस्ताव है उनको बोलने का राईट है । क्या मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ? प्रस्ताव पर जिनके साईन हैं, केवल वही पहले बोल सकते हैं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बी०ए०सी० की मीटिंग जब हुई थी तो आप भी उसमें मौजूद थे । इस बारे में काफी तफसील से बातचीत हुई थी । आखिर में यह फैसला हुआ था कि फ्लड के मामले में अनप्रेसिडेंटिड सिचुऐशन जो पैदा हुई है, उस बारे में सभी मैम्बर्ज अपनी अपनी बात कह सकेंगे, उसी फैसले के तहत ये बोल रहे हैं । (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : जिन सदस्यों ने मोशन्ज दिए हैं, उनको क्लब करवाएं । डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी कौन सी मोशन है ? इनका मोशन है ही नहीं, इसलिए इनके बोलने की बात कहां से आ गई ? (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, अण्डर रूल 84 के तहत सभी मोशन्ज क्लब किए जाएं, जिनके नोटिस होंगे उनको बोलने का मौका दिया जाए । इनकी तरफ से कोई नोटिस ही नहीं है । कांग्रेस के एम०एल० एज० चाहें तो वो बोल सकते हैं लेकिन कांग्रेस के किसी भी एम०एल०ए० ने नोटिस नहीं दिया है । (विघ्न एवं शोर)

डा० राम प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, फसलें और मकान तो बाढ़ में बह गए हैं, क्या कायदे और कानून भी बहेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, जिन मैम्बर्ज ने कालिंग अटैंशन मोशन दिए हैं, पहले उन को बोलने दीजिए । इस बारे में इस स्टेज पर मन्त्री जी क्या कहना चाहेंगे ? यह बाढ़ का मामला है । इनके जो एम० एल० एज० हैं, वे अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, इन्होंने तो जवाब देना है । अभी तो जवाब देने की बात नहीं है । ये इस स्टेज पर किस बात का जवाब देंगे ? कहां-कहां फ्लड आया, उससे कहां-कहां क्या नुक्सान हुआ, जब मैम्बर्ज अपनी बात कह लेंगे उसके बाद मन्त्रीगण अपने-अपने विभागों का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमने क्या-क्या कदम उठाए हैं । हम लोगों की अपनी-अपनी बात कह लेने के बाद ही मन्त्री बोल सकते हैं लेकिन जब तक हमने अपनी बात नहीं कही, ये किस बात का जवाब देंगे ? (विघ्न एवं शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की बात तो कह सकता हूं । (विघ्न एवं शोर)

I am not replying to the debate but I can very-very well say something about my constituency, Sir. (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker : Yes, he has a right to speak.

Ch. Birender Singh : Sir, my point of order is .....(Noise & Interruptions.).

Mr. Deputy Speaker: Ch. Birender Singh, you kindly see the rule.

Rule 84 says that –

> A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly, but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour, unless a Member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote of the Assembly shall be take. It means every member has a right to speak on this motion.

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें हर मैम्बर को बोलने का राईट कहीं पर नहीं लिखा हुआ है । इन्होंने जो पढ़ा है उसमें हर मैम्बर का नहीं लिखा हुआ है । जिन मैम्बर्ज ने मोशन दी है उस पर वे ही बोल सकते हैं और अगर दूसरे मैम्बर भी बोलना चाहते हैं तो अब मोशन दे दें ।

Mr. Deputy Speaker : In rule 84, Assembly means all the 90 mebmers and all can speak.

प्रो0 सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव को तो रूल 84 के तहत कनवर्ट किया गया है ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में मौजूद थे । रूल 84 के तहत सबको बोलने का हक है, सभी मैम्बर्ज चाहे वे कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टीज के हैं, वे सब बोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने उसमें यह भी कहा था कि सभी मैम्बर्ज इस पर बोलेंगे ।

चौधरी भजन लाल : जी हां ।

Ch. Birender Singh : You have rightly said that unless it is moved by the mover or the speech is completed by the mover. This is what we are saying that there are 27 members who have moved the motion and everybody should speak and after that the leader of the House should make a reply. It is very clear.

Mr. Deputy Speaker : Mover means, who has moved the motion.

Ch. Birender Singh : No, Sir, it is not that.

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling.

Ch. Birender Singh : Mover means, whoselver has moved the resolution. The resolution has been moved by 27 members. Until and unless every member speaks, it is not completed.

Deputy Speaker : This may be your interpretation. (Interruptions).

श्री जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । आपने जैसे रूल 84 के बारे में पढ़ कर भी सुनाया और ये भी उसे ठीक ढंग से पढ़े । उससे यह क्लीयर है कि 'ए मूवर' का मतलब है एक मूवर बल्कि यह नहीं कि 26 मूवर । यह मोशन 26 मैम्बर्ज ने मूव की है । (विघ्न) ओमप्रकाश मूवर हैं और आपको नोटिस भी मिला होगा, उसमें एक मैम्बर ही मूवर है । जो दूसरे मैम्बर्ज हैं उनके सिर्फ सिगनेचर ही होंगे तो obviously by seeing this one if you read it again, it is clear. In rule 84, it is mentioned.

"But the Assembly shall proceed to discuss such matters immediately after the mover has concluded his speech."

Here the mover means only one fellow, who is Ch. Om Parkash Chautala. You have given notice that tomorrow discussion will be started. The discussion will continue for tomorrow also. Only mover is Ch. Om Parkash Chautala and you are the signaturies only. उसमें एक ही मूवर है और जो सिगनेटरी हैं, आपने उनके नाम भी दिए हैं । जो सिगनेटरी हैं वे मूवर नहीं हो सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डा० राम प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप बैठ जाएं । मैं अपनी रूलिंग पहले ही दे चुका हूं ।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा आपसे सबमीशन है कि मूवर का मतलब यह है कि एक मैंबर भी इसको मूव कर सकता है और एक से फालतू अगर मूव करना चाहें तो वे भी मूव कर सकते हैं। कई मोशन्ज में संख्या निर्धारित नहीं होती है कि इतने मैम्बर होने चाहिए । अन्डर रूल 84 के तहत एक मैम्बर भी मोशन मूव कर सकता है और अलग-अलग मैम्बर अलग-अलग मोशन भी दे सकते हैं ।

श्री जगदीश नेहरा : लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है ।

Prof. Sampat Singh : No, here the mover means, even a single person can also move and more than one person can also move.

श्री जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसा नहीं है । आपने नोटिस दिया है कि कल बाद पर डिस्कशन होनी है । आपने जो नोटिस दिया है उसमें सारे कारण बताए हैं ।

Prof. Sampat Singh : He is killing the time, Sir.

Shri Jagdish Nehra : You are killing the time. You are not serious at all. It is a natural calamity. It is not only their right. We are also sufferer, Sir. They only want to gain politically out of it. (Noise & Interruptions).

Prof. Ram Bilas Sharma : Deputy Speaker, Sir, I seek your observation. (Noice & Interruptions) ये बाढ़ की गम्भीरता को कम करना चाहते हैं।

Mr. Deputy Speaker : Ram Bilas Ji, I have made out your point.

Prof. Ram Bilas Sharma : Sir, it is a document, which has been circulated by your office and signed by 27 M.L.As. (Noise & Interruptions). Please listen to me. (Noise & Interruptions) Mr. Deputy Speaker, it is a document which has been circulated by your office and signed by 27 M.L.As. They have given adjournment motion, they have given call attention motion and they have given motion under Rule 84 also. All have been converted into motion under rule 84. Please have it considered.

Mr. Deputy Speaker : The discussion that is going on is under Rule 84. It is not adjournment motion that is being considered.

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है। मैं आपसे एक रूलिंग चाहता हूं कि रूल 84 के अंडर जो मोशन का नोटिस है, इसमें एक नं० पर श्री ओमप्रकाश चौटाला का नाम लिखा है और नं० 27 पर बहिन चन्द्रावती का नाम लिखा है। इस एक नं० की और 27 नं० की हैसियत या स्टेटस को क्या आप अलग-अलग समझते हैं? What is the difference in number 1 and 27, because all the 27 members have given notice under rule 84. How do you discriminate one against another?

श्री जगदीश नेहरा : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आपने जो रूल 84 के अंडर कल के लिए बाढ़ पर डिस्कशन के लिए नोटिस दिया है, उसमें क्लीयरकट लिखा है। (व्यवधान) सर, शायद आपने यह बात सुनी नहीं है कि रूल 84 के तहत एक आदमी मूव करता है और बाकी साईन करते हैं। आपके सैक्रेटेरिएट से जो कल के लिए नोटिस आया है वह मैं पढ़कर सुना देता हूं। इसमें क्लीयर लिखा हुआ है कि—

> "Resumption discussion on the following motion moved by Shri Om Prakash, M.L.A. on the 26th September, 1995, namely :—
>
> "That the serious situation that has arisen on account of recent floods in the State and the substantial damage caused by it, be discussed.".

Obviously your Secretariat is considering only one person, who is mover and yon have mentioned his name. You have mentioned 27 names but for tomorrow it is only 21 members, who are also signatories and not they are the mover.

प्रो० सम्पत सिंह : लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब के, सैक्रेटेरिएट के भी तो कोई रूल्ज होंगे ।

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling. Please take your seat.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप ट्रेजरी बैंचिज के मैम्बर्ज से भी इस बार साइन करवा लें । (शोर एवं व्यवधान) ट्रेजरी बैंचिज की भी आप एक ऐप्लीकेशन ले लें ।

Mr. Deputy Speaker : He has not been debarred to take part in discussion.

श्री सतबीर सिंह काद्यान : डिप्टी स्पीकर सर, नेहरा साहब इसकी इन्टरप्रिटेशन अपने ढंग से कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काद्यान साहब, आप बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह काद्यान : डिप्टी स्पीकर सर, हमारी बात सुनी जानी चाहिए । कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता, फिर भी आप उसको टाइम दे दें, यह बात ठीक नहीं है । अगर सरकार यह समझती है कि वह बाढ़ को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है तो ये भी उस पर हस्ताक्षर कर दें । (शोर एवं व्यवधान)

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : There is discussion on the floods situation in the Assembly i.e. the whole Assembly and not only the Opposition Members. We are also part of the Aesembly. हम भी बाढ़ से उतने ही चिंतित हैं, हम अपनी बात कहेंगे ।

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling. There is nothing which debars him to speak.

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, सरकार जवाबदेह है । यह नयी परम्परा डाली जा रही है, कोई हैल्दी ट्रेडीशन डालनी चाहिए ।

Mr. Deputy Speaker : Sampat Singh ji, please take your seat. He is also Member of the house. He has the right to speak.

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, हम आपकी रूलिंग में अमैंडमैंट चाह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नियम-84 में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हाउस का मैम्बर उसमें पार्टीसिपेट न कर सके ।

प्रो० सम्पत सिंह : सर, ये जवाब देंगे, ये तो मिनिस्टर हैं ।

Mr. Deputy Speaker : He is also a Member of the House first.

प्रो० सम्पत सिंह : कुलैक्टिव रिसपोंसिबिलिटी है आप सब की ।

Mr. Deputy Speaker : Sampat Singh ji, please take your seat now. I have already given my ruling. (Interruptions)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो समय ऐसा था कि हम बाढ़ में घिर गए और आप रूलिंग में घिर गए। हिसाब से कायदा तो यही है कि जो ऐडजर्नमैंट मोशन आए, उन पर जो दस्तखत करने वाले लोग हों, पहले उनको अवसर मिले और सरकारी बैंचिज में बैठे हुए लोग उसका जवाब दें। श्री बीरेन्द्र सिंह जी बतौर विधायक अपने हल्के की बात कह सकते हैं लेकिन जब ये 27 लोग बोल लें, तब इनको मौका दीजिए। एक गलत परम्परा कायम करोगे तो और बखेड़े खड़े हो जाएंगे। आप फंस गए हैं तो इससे निकलने का रास्ता तो आपको निकालना ही पड़ेगा गैर-कानूनी बात या गलत तरीके अपनाओगे तो गलत रिवायत हो जाएगी। अगर मूव करने वाले 27 लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा, उसके बाद ही कांग्रेस बैंचिज के मैम्बर बोलें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये दस्तखत कर दें, इन्हें छूट दे दो तभी ठीक रहेगा। पहले बोलने का अगर इन्हें चाव है तो बोल लें, वरना इस पर जवाब दे दें, स्पष्टीकरण दे दें। सरकार दोषी है। (विघ्न) सरकार की वजह से यह हुआ है, ये उसका स्पष्टीकरण देने वाले हैं।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डिस्कशन हो रही है, वह इस मोशन की वजह से नहीं है यही वजह होती तो बहस एक दो घंटे होकर मामला समाप्त हो जाता। बाकायदा बी0ए0सी0 की मीटिंग में यह प्रोग्राम तय हुआ था, जिसमें अध्यक्ष महोदय आप भी मौजूद थे, लीडर आफ दी अपोजीशन भी थे और चौधरी बंसी लाल जी भी थे। इन सब ने वहां कहा था कि फ्लड से सम्बन्धित सभी मैम्बर्ज को बोलने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। इसलिये इसके लिये दो दिनों का समय रखा जाए। (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि लीडर आफ दी हाउस कभी भी कहीं भी इंटरवीन कर सकता है और सरकार की ओर से कोई भी मंत्री इंटरवीन कर सकता है तो फिर ये श्री बीरेन्द्र सिंह जी को बोलने से क्यों रोक रहे हैं ? इनको किसी को टोकने का कोई अधिकार नहीं है। सारे हाउस के मैम्बर्ज को बोलने का पूरा-पूरा अधिकार है और इस पर आपकी रूलिंग भी आ गई है। ये लोग अब किस बिना पर आपकी रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं। आप इनकी बातों पर गौर न करते हुए हाउस की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे चलाएं।

चौधरी बंसी लाल : मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि हाउस का हर माननीय सदस्य बोल सकता है लेकिन मैं एक बात की ओर इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिनिस्टर को तभी बोलना चाहिये जब अपोजीशन की ओर से कम से कम 10–15 मैम्बर्ज बोल चुके हों क्योंकि इसमें बिजली की बात भी आई है, दूसरी बातें भी आई हैं लेकिन मिनिस्टर महोदय को कम से कम 10–15 मैम्बर्ज के बोलने के बाद ही बोलना चाहिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : वे जवाब नहीं दे रहे हैं, वे तो अपने हल्के की बात कहना चाहते हैं।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले हाउस में एक बात पर बोलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि मैंने हरियाणा स्टेट बनने के खिलाफ डाइसैंटिंग नोट लिखा था। इस बारे में पार्लियामैन्ट की एक कमेटी बनी थी, आन दी डिमांड फार दा पंजाबी सूबा और उसकी रिपोर्ट पार्लियामैंट में 18 मार्च, 1966 को पेश हुई थी। उस कमेटी में सरदार हुकम सिंह चेयरमैन थे। मनीराम गोदारा, चौ० ब्रह्म प्रकाश जी, श्री सुरेन्द्र सिंह, सरदार धन्ना सिंह, श्री हेमराज, हिजहाई नेस कर्ण सिंह जी, चौधरी लहरी सिंह, श्री सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री मालवीय जी, श्री मुकर्जी, श्री साधु राम, श्री के० सी० पन्त, श्री बंसी लाल, श्री उत्तम सिंह और श्री बाजपेयी वगैरह उसमें मैम्बर्ज थे। जो मेरा डाइसैंटिंग नोट था, मैं उसको पढ़कर सुना देता हूं—

"On principle I agree with the report except the shape of Haryana State. The people of Haryana have argued that they want to be separated from the Punjab region because of backwardness of Haryana and its economical and political expoloitation by people of Punjabi speaking areas and the imposition of compulsory teaching of Punjabi in the Hindi region."

"In my opinion, if Haryana is amalgamated with old Delhi City. The Chances of Haryana people being exploited by Delhi people are much more than even by the people of the present Punjabi speaking region as there are more advanced people living in old Delhi City."

मैं यहां एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश चाहते थे कि रोहतक तक का इलाका, करनाल तक का इलाका दिल्ली में मिलाया जाए और बाकी का हिस्सा राजस्थान में मिलाया जाए। आगे लिखा है—

"In my opinion, Delhi is a cosmopolitan city and its administration should always remain directly under the charge of the Central Government. I am of the definite view that the present Hindi region minus the hilly areas should be created a full fledged Haryana State so that the people of this backward area should have an opportunity to develop themselves. It is not within the competence of the Committee to tuch any adjoining State in any form. So the question of Haryana being attached to Delhi does not arise.

I would also like to point out that the use of Golden Temple' the Sacred place by Sant Fateh Singh and others for political purposes is highly objectionable. The Government may have to decide whether the use of Gurdwaras, Temples, Churches and Mosques should be allowed to continue for political purposes or not. In my opinion, politics should not be mixed with religion."

In my disenting note, I have said that I am of the definite view that the present region minus the hilly areas should be created a full fledged Haryana State so the people of this backward area should have an opportunity to development themselves.

18.00 बजे

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं के इस ब्यान के मुताबिक ये छोटे हरियाणा के पक्षधर नहीं हैं। उसमें भी कमी रह गई तो ये हरियाणा के 107 गांव और दे कर 70 हजार एकड़ जमीन लेने के दस्तखत कर आए। ये हरियाणा के पक्षधर कभी नहीं थे। इसलिए हरियाणा को बर्बाद करने में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्होंने 107 गांवों के बदले 70 हजार एकड़ भूमि लेने के लिए भी दस्तखत किए और जो इन्होंने हरियाणा में एस0 वाई0 एल0 बनाई उसने भी पंजाब का पानी आने से हरियाणा बर्बाद किया।

चौधरी बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना है, तब से लेकर अब तक जो भी बाउंड्री का डिस्प्यूट है, उस पर डिस्कशन के लिए आप एक मोशन एडमिट कर लें। फिर आप देख लें कि किस ने क्या किया। फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी फाईलों में इन्होंने एडमिट किया है कि मेरे दस्तखत हैं। उस फाइल में है कि अबोहर और फाजिल्का के 107 गांव चले जाएं, हम उनके बदले 70 हजार एकड़ भूमि लेने के लिए तैयार हैं। यह इनके बतौर मुख्य मन्त्री के दस्तखत हैं। इन्होंने पिछले अधिवेशन में भी एडमिट किया था, आप मौके पर मौजूद थे। फाइल भी बता रही है तो क्या इसके बावजूद भी कोई और बात दर किनार रह गई है? जब भी इनको कोई अवसर मिलता है तो ये हरियाणा को बर्बाद करने की बात करते हैं।

चौधरी जगदीश नेहरा: सर, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैटेगरीकली यह कहा था कि इन्होंने हरियाणा के बनने में विरोध किया। सामने खम्भे पर लिखा है कि "सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो यहां स्पष्ट और ठीक बात कही जाए। क्योंकि यहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है।" तो पाप का भागीदार बनने में ये कम नहीं हैं। इन्होंने यह भी कहा था कि यदि यह बात सच न हो तो आगे इन्होंने डैश लगा लिया। हमने सोचा कि आगे डैश का मतलब यह होगा कि ये अस्तीफा दे देंगे। इन्होंने पहले 25 सितम्बर को अस्तीफे देने थे लेकिन नहीं दिए। अगर यह थोड़ा बहुत पाप का भागीदार बनने से बचना चाहते हैं या सच बोलना चाहते हैं तो इनको अस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी बंसी लाल ने क्लीयर कट बता दिया इसलिए बेहतर होगा कि आप अस्तीफा दे दें। इधर उधर चक्कर क्यों काट रहे हैं?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अस्तिफा देने का प्रश्न कहां से आ गया? हरियाणा प्रदेश को छोटा बनाने की बात चौधरी बंसी लाल जी के अपने ब्यान में है। इन्होंने पंजाब को 107 गांव और देने का निर्णय लिया था। मैं कह रहा हूं कि चौधरी बंसी लाल हरियाणा प्रदेश के पक्षधर नहीं है। इनके सामने हरियाणा

प्रदेश के हित कुछ नहीं हैं। इनकी वजह से एस0वाई0एल0 कैनाल बनी और उसमें पंजाब का बाढ़ का सारा पानी आ गया जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में उस पानी से तबाही हुई। उस पानी ने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर दिया। (शोर)

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी बंसी लाल जी ने इस किताब का हवाला देकर सारी बात बताई है। चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए एप्रोच किया था। या तो ओम प्रकाश चौटाला यह सिद्ध कर दें कि चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए एप्रोच नहीं किया या वे अपने कहे हुए शब्द वापिस ले लें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल के बयान से यह सिद्ध हुआ है कि ये छोटा हरियाणा बनाने के पक्षधर थे। मैं अब भी कहता हूं कि ये हरियाणा प्रदेश के हितैषी नहीं हैं। आपने अबोहर फाजिल्का के बदले में 107 गांव और 70 हजार एकड़ भूमि पंजाब को दी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरी कांस्टीच्युऐंसी भी फ्लड इफैक्टिड है इसलिए आप मुझे भी बोलने के लिए टाईम दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। आपको भी बोलने के लिए टाईम मिलेगा।

Prof. Ram Bilas Sharma : My humble submission is this स्पीकर साहब, आपने ठीक फरमाया कि बी0ए0सी0 की मीटिंग में इस हाउस के रीप्रैजेंटेटिव थे और आप स्वयं भी उस मीटिंग में मौजूद थे। हमने आपकी सेवा में बाढ़ के बारे में एडजर्नमैंट मोशन दिया था लेकिन सबको मिला कर क्लब करके 27 एम0एल0एज0 की एक लिस्ट आपके कार्यालय ने प्रकाशित की है। Your office circulated a document to us that these persons have given a notice and they have been allowed to proceed और यह मोशन आपकी हिदायतों के अनुसार श्री ओम प्रकाश चौटाला ने मूव की। बाढ़ का मसला कोई पोलिटिकल मसला नहीं है। इस बारे में सबको चिन्ता है। Sir, there is a procedure of this august House. आप हाउस को बड़ी संजीदगी से चला रहे हैं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह बिजली मन्त्री बोलने के लिए खड़े हो गए। हमने उपाध्यक्ष महोदय से रिक्वैस्ट की कि स्पीकर साहब ने एक प्रोवीजर शुरू किया है, उस पर आगे चलते हुए चार आदमी बोल चुके हैं। यानी सर्वश्री ओम प्रकाश चौटाला, बंसी लाल जी, श्री ओमप्रकाश बेरी, श्रीमती चन्द्रावती आदि भी बोल चुके हैं और अपने हिसाब से चेयर की तरफ से समय दिया जा रहा है। हम जिन लोगों ने नोटिस दिया हुआ है, पहले उनको बोलने दिया जाये। हम लोग बाढ़ से जो व्यक्ति पीड़ित हैं, उनका जिकर कर रहे हैं, सरकार की कोई

[प्रो० राम विलास शर्मा]

बुराई नहीं कर रहे । सरकार जवाब दे सकती है कि सरकार ने क्या कदम उठाये । जब हमारे 27 एम.एल.ए. बोल लेंगे तो उसके बाद बेशक फिर आप सारे मंत्रियों को बुलवा लें । आप बेशक इनको एक-एक घंटे का समय दें, हमें कोई एतराज नहीं । (शोर)

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, पहले हमारी बात तो सुनिये । डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग आई है .....

श्री अध्यक्ष - अगर डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से रूलिंग आ चुकी है तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि 27 आदमियों ने दस्तखत करके एडजर्नमैंट मोशन अलग अलग ढंग से दिए हैं और आपने उस सब को एक साथ मिलाकर रूल 84 के तहत यह डिस्कशन शुरु करवाई है । यदि श्री वीरेन्द्र सिंह जी उस पर दस्तखत कर देते और इनका नाम भी फिर आप 28वें नं० पर दर्ज कर लेते तो इनके बोलने पर हमें कोई एतराज नहीं । अगर ये सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो अब एडजर्नमैंट मोशन बारे लिखकर दे दें और फिर बोल लें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, रूलिंग दे चुके हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जिन 27 आदमियों की सूची आपके पास है, पहले उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए । मुख्य मन्त्री जी बैठे-बैठे कह रहे थे कि 27 आदमियों की सूची हमारे दफ्तर की तरफ से नहीं दी गई, यह तो आप बता दें कि दी गई है या नहीं, जबकि यह लिस्ट इनके पास इनकी टेबल पर भी है । एक बात यह है कि he cannot speak on the motion

Shri Verender Singh : He has taken 15 minutes on this issue. Speaker Sir, let me speak on this motion,

Prof. Sampat Singh : Sir, I was saying that he cannot speak at this stage. इन्टरवीन करके क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो एज ए मन्त्री जवाब देना चाहिए । अगर ये अपने हल्के की बात कह रहे हैं तो फिर आपको लिख कर देना चाहिए, उसके बाद ही आप इनको बोलने का मौका दें । बी०ए०सी० की मीटिंग में भी एडजर्नमैंट मोशन की बात आई थी कि अलग-अलग लोगों ने पांच-पांच दस-दस के ग्रुप में एडजर्नमैंट मोशन दी हैं । आपने कहा था कि रूल 84 के तहत सारी इकट्ठी करके उन सभी को बोलने का मौका दिया जायेगा किन हमने एडजर्नमैंट मोशन पर जोर नहीं दिया ।

स्पीकर सर, हमने तो नेस दिखाई है । गवर्नमैंट चाहती थी कि इस पर डिस्कशन हो, हमने कहा रूल 84 में इस को कन्वर्ट करके प्रस्ताव मन्जूर करवाईये। हमारी मन्शा यही थी कि मामला सीरियस है इसलिए इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। इस गम्भीर सिचुऐशन पर पहले मैम्बर्ज अपनी बात कह लें लेकिन मिनिस्टर्ज बीच में इन्टरवीन करें यह ठीक बात नहीं है । (विघ्न) विपक्ष के लोग और ट्रेजरी बैंचिज पहले अपनी बात कह लें, उसके बाद नेहरा साहब जवाब दें, चाहे मुख्य मन्त्री जी जवाब दें या दूसरे कन्सर्ड मन्त्री जवाब दे सकते हैं । They want to kill the time. If he wants to participate in the discussion, he should move the motion and apply to the Speaker. स्पीकर सर, इस बारे में तो आप ही अपनी रूलिंग दे सकते हैं कि इस तरह की सिचुऐशन स्टेट में हो तो कौन डिस्कशन करेंगे मिनिस्टर इस पर कैसे डिस्कशन करेंगे वे तो सिचुऐशन का जवाब देंगे । सरकार की पालिसी क्या है, इस बारे में वे डिस्कशन के बाद ही जवाब देंगे, न कि हमारे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वे डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पहले मोशन पर साईन करें और उसके बाद अगर आप इजाजत दें तो वे बोल सकते हैं । (विघ्न) स्पीकर सर, अभी जो मैम्बर्ज बोल रहे हैं पहले वे उसको सुनें । (विघ्न एवं शोर) स्पीकर सर, इन लोगों को इस तरह से अपनी ब्रूट मेजोरिटी का फायदा उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। (विघ्न एवं शोर) ।

उद्योग मन्त्री (श्री ए0सी0 चौधरी) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । एक प्वायंट पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा । स्पीकर सर, एक ईशु जिसको डिफरैंट एंगलज से पेश किया गया है और उस वक्त के चेयरमैन ने उस पर अपनी फाईनल रूलिंग दे दी हो, क्या वह मुद्दा रि-ओपन हो सकता है? (विघ्न एवं शोर)

Prof. Sampat Singh : The Speaker can re-open. We are submitting before the Hon'ble Speaker for reopening.

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, जो मसला आपके सामने है, वह यह है कि इन्होंने एडजर्नमैंट मोशन दिया लेकिन अण्डर रूल 84 के तहत डिफरैंट पार्टीज ने इस को माना । 26-27 के करीब मैम्बर्ज ने मोशन दिया है और आपने कहा था कि इसमें सारे मेम्बर पार्टीसिपेट करें । जब सारे हाउस के पार्टिसिपेशन की बात आ गई हो तो फिर उसमें मिनिस्टर भी आ गए । आप इस रूल को ध्यान से पढ़ें, इस में लिखा है :—

> "A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly, but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech....."

[श्री जगदीश नेहरा]

Now, the question is that what is the definition of Assembly. The Assembly means "Legislative Assembly of the State of Haryana". It includes all the members. It does not mean only the Opposition Members. मूवर्ज के अलावा इस पर कोई भी बोल सकता है । स्पीकर सर, यह मुद्दा बी0ए0सी0 में भी डिस्कस हुआ था । स्पीकर सर, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी चिन्तित हैं, जिसमें ये लोग आते हैं और ट्रेजरी बैंचिज के लोग भी आते हैं । हम सभी ने मिल कर फैसला किया था कि यह एक नैचुरल कलैमिटी हुई है । हम सभी इसमें शामिल हैं और इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है । डिस्कशन के बाद मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे लेकिन जो मन्त्री हैं, उनके हल्के की जो बात है वे लोग उसे भी कह सकते हैं । जो दिक्कतें उनकी हैं वे उनको ब्यान कर सकते हैं । I quote the rule further—

> "no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a Member moves a Substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote of the Assembly shall be taken."

We cannot move the substantive motion. This motion has to be moved by the member. As I already stated, the Assembly includes all the members as not only the opposition members.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बात बड़ी सिम्पल सी है । जिन मैम्बरज के मोशन्ज आपको मिले हैं, कालिंग अटैंशन मोशन भी आए हैं तथा एडजर्नमैंट मोशन्ज भी मिले हैं, आपने सभी पक्षों की सहमति से सभी मोशन्ज को रूल 84 में तबदील कर दिया है ।

श्री जगदीश नेहरा : यह मूवर की तरफ से नहीं हुआ है ।

Ch. Birender Singh : Sir, I want to submit that this is from this Secretariat, the adjournment motion has been converted into notice of motion under Rule 84. They have given the list of 27 members and it reads like this that such and such members have given notice of the motion which is to be moved during the current Session of the Vidhan Sabha. The wording of the motion is—

> "That the serious situation that has arisen on account of recent flood in the State and the substantial damages caused by it, be discussed."

This is the motion and there are 27 movers. It is very clear that if a Minister wants to intervene, he is most welcome. But he cannot make a speech on the floor of the House because he has

to give certain policy statement on certain matters which are referred by the Hon'ble Members regarding his motion. Sir, I am here only to straight the record because you are to give your ruling and your ruling is must. It is very clear from Rule 84 that all the 27 members, those who have been listed, can speak and then the Government should give the reply. That should be the procedure. If Minister says, "I am to intervene", he is most welcome. Let it be very clear. There should not be any imbiguity.

Shri Jagdish Nehra : Sir, my question is, whether there are only 27 Members in the Assembly, who can speak ?

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक मोशन मूव किया था ।

श्री अध्यक्ष : यह मोशन का टाईम नहीं है । आप बैठ जाइए ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जब बोल रहा था तो आपने एक आदेश पारित किया था कि कुछ भी रिकार्ड न किया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी क्या बात कही थी जो वह रिकार्ड से हटाया गया ? अगर कोई मैम्बर बोलना चाहता है तो क्या उसकी बात को रिकार्ड से हटाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही से तब हटाया जाता है जब कोई अनपार्लियामैंट शब्द बोल रहा हो या बिना इजाजत के बोल रहा हो ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी इजाजत से बोल रहा था । मैंने जो मोशन दिया था, क्या मुझे भी उस पर बोलने का समय दिया जाएगा ? Sir, whether my name is in the list of Speakers ?

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अब बोल लूं ।

Mr. Speaker : I have asked you to take your seat. Let me give my ruling. आप चेयर को ऐड्रस करें, सीधा एक दूसरे को न बोलें ।

चौधरी ओम प्रकाश वैरी : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमने रूल 84 के तहत मोशन दी है और आपने उसको कलब कर दिया तो उसमें 27 मैम्बर ही बोलेंगे । इस बारे में मूवर का मतलब यह है कि जो मैम्बर मोशन को मूव करता है .....

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए आपकी रूलिंग से पहले बोलना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब ने एक एक्सेप ढूंढा कि वे भी बोल सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते । ऐसा कुछ भी इस किताब में नहीं लिखा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, चन्द्रावती जी ने भी तो यह मोशन मूव किया है । वे भी तो इनकी पार्टी से हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात ठीक है, अब आप बैठ जाएं ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

Prof. Sampat Singh : Sir, I have also my point of order.

Mr. Speaker : I will quote Rule 84 which reads as under :—

> "A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a Member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote of the Assembly shall be taken."

इस रूल के तहत सभी डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर साहब ने तो कोई रूलिंग नहीं दी है। नाम की क्या बात है, नाम तो दूसरे का भी लिया जा सकता है। उन्होंने कोई भी रूलिंग नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आप बैठिए। पहली बात तो यह है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला मूवर हैं, there is no plural word in the Rule. दूसरी बात इसमें यह है कि 'असैंबली' लिखा हुआ है जिसका मतलब है 'आल'। Assembly means 'all,' all the opposition as well as the members of the ruling party. अब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, आप बोल लें और अपने हल्के की बात कहें।

श्री सतबीर सिंह कादयान : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आपने केवल मूवर ही कहा है।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठें। जब आप बोल रहे थे तो किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। जब एक बार रूलिंग आ चुकी है तो उसके बाद डिस्कशन नहीं होगी। बीरेन्द्र सिंह जी, आप एज ए एम०एल०ए० बोलें, एज ए मिनिस्टर जवाब न दें। आप फल्ड के बारे में अपने हल्के और सारी स्टेट की पोजीशन के बारे में ही बोलें।

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सर, कोई नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप मुझे बोलने का समय तो दें। सारे लोग मुझे भाषण दे रहे हैं। स्पीकर सर, मैं बीस साल से इस असैम्बली में हूं। सर, जब चौटाला साहब अपना भाषण दे रहे थे तो यह कह रहे थे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा की जनता पर आए हुए इस प्राकृतिक प्रकोप का मुकाबला करें। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं या अपने हल्के की बात कर रहे हैं? ये केवल अपने हल्के की बात करें।

श्री अध्यक्ष : ओमप्रकाश जी, आप बीच में न बोलें क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो आपको किसी ने भी इंटरप्ट नहीं किया था।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : सर, आपने स्वयं ही फैसला दिया है कि केवल एम0एल0ए0 के तौर पर ही ये अपनी बात कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ये हल्के के बारे में भी और स्टेट के बारे में भी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र रामविलास शर्मा हैं, परमात्मा का शुक्र है इनका हल्का फ्लड से हिट नहीं हुआ। अगर ये मुझे बोलने से रोकें तो अच्छी बात नहीं है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी रोकें, सम्पत सिंह जी तो मजे ले रहे थे, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे बोलने से रोकें तो ठीक नहीं है। मैं उस हल्के से आता हूं जहां पर चालीस गांवों में से 34 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, अगर फिर भी मुझे ये लोग बाढ़ की डिस्कशन पर रोकना चाहें तो क्या ठीक है ? मैं एम0एल0ए0 पहले हूं, अपने हल्के का नुमाईन्दा पहले हूं और मिनिस्टर बाद में हूं। मेरे हल्के के लोगों ने मुझे अपनी नुमाइन्दगी करने के लिये यहां भेजा है इसलिये इन लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये थीं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधा घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय आधे घन्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं तो पीड़ित हूं, मैं गले से ऊपर नहीं बोलूंगा मैं तो पीड़ा में हूं। (विघ्न) आज बहुत बुरी हालत मेरी कांस्टीच्यूएंसी की हुई है मेरे हल्के के 40 में से 34 गांव पानी में डूब गए हैं, फसल का तो कहीं तिनका भी नहीं है। मेरे हल्के में बड़े-बड़े गांव हैं जहां एक-एक गांव में 8–10 हजार वोट हैं और 25 हजार आबादी है, कम से कम 5 हजार घर हैं। उस गांव में जिसमें 5 हजार घर हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में तो मैं

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

बार बार लाया हूं और उन्होंने मेरे हल्के में विजिट करने की तकलीफ भी की। मेरे हल्के में एक घर भी ऐसा नहीं हो सकता जो साबूत बच गया हो। जो घर गिरा नहीं उसमें दरार इतनी चौड़ी आई है कि रहने के काबिल नहीं रह गया है। मैं उस इलाके से आता हूं जिसमें 5 सौ साल पुरानी नहर बहती थी। आज का जो हरियाणा है, उसे नहर का पानी पार्टीशन के बाद मिला होगा। मैं खुश-किस्मत हूं जो ऐसे इलाके में पैदा हुआ हूं। यह वह इलाका था जहां बागान थे, कोयलें कूकती थीं, फर्टाइल लैंड थी। यहां के लोग हमेशा उस इलाके के चौधरी लोग कहलाते रहे हैं। इस इलाके को आज के दिन मैं रिप्रैजेन्ट कर रहा हूं और पिछले 20 साल से रिप्रैजेन्ट कर रहा हूं। इस इलाके के लोगों ने जीवन भर पलायन नहीं किया लेकिन इस बार ऐसी बाढ़ की मार पड़ी कि उन लोगों को पलायन करना पड़ा है। 34 गांवों में मुश्किल से 30-35 परसैंट लोग रह गए हैं, बाकी 65 परसैन्ट लोग पलायन कर गए हैं। जहां तक हरिजनों और बैकवर्ड का ताल्लुक है, शायद ही कोई घर बचा हो, एक एक घर पूरी-पूरी हरिजनों की बस्ती बिल्कुल बर्बाद हो गई है। चौटाला साहब कह रहे थे कि जब मैं खडवाली गांव में कृष्णमूर्ति हुडा के गांव में ट्रैक्टर पर चढ़कर गया तो उनकी गलियों में पानी बहते देखा, तो इटली का शहर वीनस याद आया जहां लोग मनोरंजन करते हैं, कलोलें करते हैं, रोमांटिक मूड बनाते हैं। चौटाला साहब, आपको ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिये था। आप गले से ऊपर बोले हैं, अगर आपके दिल में पीड़ा होती, कष्ट होता तो आप उस गांव की बर्बादी के बारे में बताते। आपने जो कम्पेयर किया यह दिल की बात नहीं, पीड़ा की बात नहीं, यह गले से ऊपर की बात है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप गले से ऊपर बोले हैं। आप खडवाली गांव में तो चले गए लेकिन नरवाना नहीं गए। आपके दिल में पीड़ा होती तो नरवाना जाते। आपने अभी अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि आप नरवाना नहीं जा सके।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मैंने यह कहा था कि मैं नरवाना के 6-7 गांवों में नहीं जा सका।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप, चौटाला साहब, पांच सात गांव में नहीं पहुंच सके। अगर आपकी विल होती तो अवश्य पहुंच जाते लेकिन आपकी ऐसी कोई विल थी ही नहीं, क्योंकि आपने दोबारा उसी स्थान से इलैक्शन नहीं लड़ना होता। हर बार अपना हल्का बदल लेते हो। आपको तो किसी से भी हमदर्दी नहीं है। किसी के सुख दुख में आप कभी शरीक नहीं हुए। किसी की पीड़ा को आप क्या जानो। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या कोई मैम्बर इस तरह से फिजूल की बातों में हाउस का कीमती समय बरबाद कर सकता है? आपने इन्हें फ्लोर पर बोलने का समय दिया कि आप अपने हल्के की बात कहिए। क्या ये

नारनौंद की बात कह रहे हैं या फिर जवाब दे रहे हैं या फिर किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिए। इन्हें बोलने दीजिए ना। (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि बंसी लाल जी, चौटाला साहब जी, और दूसरे साथियों ने भी यह कहा कि इस बार बरसात ने रिकार्ड तोड़ दिया है। मुख्य मंत्री जी की स्पीचिज भी न्यूज पेपर्ज में छपी हैं जिन में लिखा है कि ऐसी बाढ़ पिछले सौ सालों में कभी नहीं आई। 90-95 सालों के जो बुजुर्ग लोग थे, वे भी यही कहते सुने गए कि पानी तो देखा था, बारिश भी बहुत देखी थी परन्तु पहले इतना भारी विनाश बारिश के कारण कभी नहीं देखा। पहले हरियाणा के अन्दर 400 मिली मीटर और ज्यादा से ज्यादा जो रिकार्ड की गई थी, वह 800 मिली मीटर थी लेकिन अब की बार तो 1200 मिली मीटर वर्षा रिकार्ड की गयी जो कि एक रिकार्ड थी और वह भी 30 घण्टों के अन्दर अन्दर एक तरह से यह आश्चर्य की बात है। इससे सारे का सारा हरियाणा प्रांत बिल्कुल तबाह होकर रह गया। मुख्य मंत्री जी ने जब पहली बार बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया, मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला। चौधरी हरपाल सिंह जी भी उनके साथ थे। पहले हमने टोहाना, नरवाना, जीन्द, महम, रोहतक, दादरी, भिवानी, मुंडाल, बास, पेटवा, खांडा गांवों को देखा, फिर हांसी वाली सड़क हमने पकड़ी। इस तरह से इस सारे इलाके का हमने निरीक्षण किया। पानी की शीट मीलों मील दिखायी देती थी, मीलों मील पानी बह रहा था। बरबादी की मुंह बोलती तस्वीर ही हमें नजर आई। हांसी के बाद तो मैं कहीं जा नहीं सका क्योंकि मैं वहीं पर लगभग 15 दिनों तक टिका रहा। उस तबाही से लोगों को आज तक भी होश नहीं आया।

मुख्य मंत्री महोदय ने पहले हांसी को देखा, फिर हांसी के 6 किलो मीटर दूर गांव खेड़ी गगन में गए। उसके दो रास्ते थे। एक हांसी-जींद रोड से और दूसरा हांसी-पेटवाड़ रोड से जाता था। उसी रास्ते पर तबाही थी। मैंने मुख्य मंत्री महोदय से कहा कि अगर आप हांसी-जींद रोड से जाओगे तो बरबादी इतनी ज्यादा दिखायी नहीं देगी। अगर आपने बरबादी की मुंह बोलती तस्वीर देखनी है तो हांसी-पेटवाड़ रोड से जाएं, तब आपको असली हालत का पता चलेगा लेकिन वहां 6-6 फुट पानी में से होकर जाना होगा। इस बात के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा बीरेन्द्र सिंह जी, जहां से हमें बरबादी की मुंह बोलती तस्वीर नजर आए, मैं उधर से ही चलूंगा। हम 6 फुट गहरे पानी में से होते हुए गांव में पहुंचे। गांव में कोई गली ऐसी नहीं बची थी जिसमें 4-4 फुट पानी न खड़ा हो। फिर भी जहां थोड़ा बहुत सूखा था, वहां पर हमने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की कि आप इस गांव के मकानों की हालत भी देखिए, किस प्रकार से कच्चे-पक्के मकान बर्बाद हुए हैं। मैं इनका आभारी हूं कि ये उस गांव में 15 मिनट तक

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

मेरे साथ घूमे। जहां मैं इनको ले गया, वहां तक गए। इन्होंने मकानों की हालत देखी। ऐसे मकान देखने के बाद जो भावना एक आदमी की बनती है, जितनी पीड़ा होती है, वह बात मुख्य मंत्री जी का चेहरा देख कर साफ दिखाई दे रही थी कि इनको कितनी पीड़ा हुई। एक हमारा लोहारी गांव है जो टोटल पंजाबियों का गांव है, डिसप्लेस्ड पर्सन्ज का गांव है। उसमें हम गए। इसके अलवा, माडा, मांजरा, राजपुरा और पाली गांव भी फ्लड की लपेट में थे। हम लोहारी गांव में पहुंचे। वहां जो नजारा मुख्य मंत्री जी ने देखा वह भी बहुत दर्दनाक था। वहां कोई भी गली बची हुई नहीं थी जो पानी से भरी न हो। वहां पर पानी निकालने के लिये 4–5 इंजन लगा रखे थे। 10–10 दिन तक लोगों को लैट्रीन जाने के लिये जगह नहीं मिली। चारों तरफ खेतों में, आबादी में पानी ही पानी था तो कैसे लोग लैट्रीन जाएं ? इस हालत में नेचर की काल को कैसे टाला जाए। मुख्य मंत्री जी ने इन हालात को देखा और इन्होंने जो कुछ लोगों को कहा, उससे लोगों की जान में जान आई। उसके बाद मेरे बहुत से इलाके ऐसे रह गए जिनको मैं मुख्य मंत्री जी को दिखा नहीं पाया। मैंने इनको कहा कि कुछ गांव मेरे बच गए हैं, जैसे बडाला, बास, पुट्ठी, मोला और खांडा। चौधरी अमर सिंह मेरे पास बैठते हैं, खांडा इनका खुद का गांव है। खांडा गांव में आज तक आपको सौ सौ साल के लोग मिलेंगे। वे बताते हैं कि आज तक एक कतरा पानी भी इस गांव में नहीं आया था। उन्होंने बताया कि अब तक बड़ी से बड़ी बाढ़ आ चुकी है लेकिन वहां कभी एक कतरा पानी नहीं आया। लेकिन आज भी खांड़ा गांव में इतना पानी है कि हम गांव के किसी साइड से भी बिना ट्रैक्टर के नहीं निकल सकते। अगर ट्रैक्टर से भी जाएं तो हमें अपने पैर ऊपर उठा कर खड़े होना पड़ता है। धर्म खेड़ी, उगालन, जामनी खेड़ी और खांडा खेड़ी गांवों में लोगों ने कुछ सामान लाने के लिये, राशन पानी लाने के लिये ट्रैक्टर निकालना चाहा। गरीब लोगों को सरकार ने राशन देना शुरु किया था। मैंने कहा ट्रैक्टर ले कर आएं। ट्रैक्टर जब घर से निकाला तो वहां पर दल दल इतनी हो गई थी कि ट्रैक्टर जमीन के अन्दर बैठ गया। उस ट्रैक्टर के ऊपर का सिरा आज भी नजर आ रहा है। खेड़ा रांढ़ान गांव में केवल 25 परसैंट लोग रह गए हैं, बाकी 75 परसैंट लोग वहां से पलायन कर गए हैं। इसी तरह से हैबतपुर, डाटा और मसूदपुर गांवों की हालत है। डाटा गांव में एक गउशाला है जिसमें करीब 1500 गाएं हैं। गउशाला का सारा का सारा रकबा पानी के नीचे बह गया और कुछ गउएं भी पानी में बह गई। मैंने मुख्य मंत्री जी को निवेदन किया है कि उस गांव के लिये कोई ऐसी जगह दी जाए जो सुरक्षित हो। मुख्य मंत्री जी ने हिसार डी0 सी0 को आदेश दे कर उन गायों को हिसार बांड़ में जगह दिलवाई और उनके चारे का बंदोबस्त करने का भी हुकम दिया। लोगों को राशन लगातार पहुंचाया जा रहा है। लेकिन लोगों को पड़ा बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला काम और पुण्य का काम जो आज हम कर सकते हैं, वह हम सभी मिल-

कर सकते हैं। मैं चौधरी बंसी लाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी कहूंगा कि इस पीड़ा में हमें दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिये और हमें कोशिश करनी चाहिये कि किसी प्रकार से किसानों की अगली फसल काश्त करवा दें। यदि हम यह काम कर दें तो यह बहुत ही पुण्य होगा। इस बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश 15 साल पीछे चला गया है लेकिन इस प्रदेश के किसान बहुत बहादुर हैं। अगर हम किसानों को अगली फसल काश्त करवा दें और उनको उनके नुक्सान का सही मुआवजा दे दें तो वे इस पीड़ा को भूल जायेंगे। इस प्रदेश के किसान तीन महीने में इस पीड़ा को भूल जाएंगे। गांवों के अन्दर खुशी से किसानों की किलकारियां उठती हैं, गांवों के अन्दर किसानों में जो खुशी होती है और वे जिस तरह की बातें करते हैं, हम वही हंसी खुशी हरियाणा के गांवों और शहरों में ला सकते हैं, अगर हम किसानों की अगली फसल काश्त करवा दें। किसानों को अगली फसल की बुआई के लिये बीज खाद की सहूलियत दे दें और बाढ़ के पानी से उनकी धरती को मुक्त करवा दें तो हरियाणा के किसानों में वही हंसी खुशी फिर आ सकती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, पैसा कहीं से भी लाना पड़े, इस प्रदेश का किसान यह न कह दे कि उन पर एक दफा यह मुसीबत आई थी, मजबूरी आई थी, वह बर्बाद हो गए थे, और उस समय फलां आदमी की सरकार थी उसने हमें कोई सहायता नहीं दी। आज हम सभी यह संकल्प लें कि हम से जो कुछ भी बन पड़ेगा, वह हम करेंगे, किसानों की अगली फसल काश्त करवायेंगे और किसानों के घरों में दोबारा खुशी ले आएंगे। स्पीकर साहब, एक दुकानदार सुबह से रात तक अपनी दुकान में बैठता है और रात तक मुश्किल से वह 40 रुपये कमाता है। बाढ़ के कारण उनका कारोबार भी ठप्प हो गया। इसी तरह से गरीब हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों का सब कुछ लुट गया। अगर परमात्मा ने किसानों को अगली फसल दे दी तो किसान इस पीड़ा को भूल जाएंगे। जिन गरीब हरिजन भाइयों और बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों के मकान गिर गए, वे अपने मकान कैसे बना पाएंगे ? यह एक बहुत ही विकट समस्या है। हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी हम सब पर है। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मेरे हल्के के 34 के 34 गांवों में बाढ़ के पानी को 15 अक्तूबर तक निकलवा देंगे, इसलिए मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि 15 अक्तूबर तक उन गांवों में बाढ़ के पानी की बूंद भी नहीं मिलनी चाहिये। यदि मुख्य मंत्री जी ऐसा कर देते हैं तो उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह (दादरी): परम आदरणीय स्पीकर साहब, हम सभी को मालूम है कि भगवान की लीला ने सभी को इस बाढ़ से लीला है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के 8-10 गांवों को छोड़ कर पूरे क्षेत्र में 24 से 30 किलोमीटर के बीच में पानी ही पानी खड़ा है। मेरे हल्के में कई गांव तो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं। मेरे गांव चरखी के अन्दर 8-10 फुट पानी है। वहां पर 2 हजार घरों में से

[श्री धर्म पाल सिंह]

500 घर गिर चुके हैं और न जाने कितने मकानों में दरारें आ गई हैं। वहां पर पानी इतना अधिक खड़ा है कि वहां पर हुए नुक्सान का कुछ नहीं पता। मेरे हल्के झिंझर, बरोहकलां, उचीना, भागी, आदि गांवों में बहुत बुरी हालत है। कई गांव तो अब भी बाढ़ की लपेट में आते ही जा रहे हैं क्योंकि उन गांवों में पीछे से पानी आने के कारण उनका जल स्तर दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। मेरे हल्के का घीकड़ा गांव लगभग तीन चौथाई खाली हो चुका है। मानकावास में और पाण्डवान में खड़ी फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसी प्रकार अटेला, बुराखेड़ा, मेहराखेड़ी, जयश्री व मिश्री आदि गांव ऐसे हैं जहां पर पानी के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है। वहां पर मेरे हल्के के अन्दर पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरे हल्के में जानी नुक्सान भी हुआ है। तीन आदमी बाढ़ की वजह से मारे गए जिनमें 2 आदमी तो मकान गिरने के कारण नीचे दबने की वजह से और [एक बिजली का करंट लगने से मरा है इसी तरह से पशुओं का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने पशु मारे गए। वहां पर खड़ी फसल का तो नुक्सान हुआ ही लेकिन जो अनाज लोगों के घरों में था, जो इस इंतजार में थे कि भाव बढ़ेगा तो दो पैसे आएंगे, उनका पूरा नुक्सान हुआ है और इस प्रकार करोड़ों का नुक्सान हुआ है। आज पानी की वजह से वहां पर लोगों का अनाज सड़ रहा है। दादरी शहर में भी 10 फुट, कहीं पर 8 फुट, कहीं पर 6 फुट पानी खड़ा हुआ है और मंडी में सबसे अधिक नुक्सान हुआ है। वहां पर करोड़ों का नुक्सान हुआ है। जहां तक पानी निकालने का सवाल है, वह तो निकला है लेकिन शहर में 20 प्रतिशत आबादी के अन्दर अब भी पानी खड़ा है। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर चौधरी हुकम सिंह के मकान से लेकर हॉस्पिटल और हरिजन बस्ती तक पानी खड़ा हुआ है। अब वहां पर नए डी०सी० साहब के आने पर लोगों को राहत मिली है और पूरा सहयोग उनका मिल रहा है। स्पीकर साहब, लोगों को फौरन राहत की आवश्यकता है। जिन गांवों में पानी खड़ा है वहां तुरन्त राहत दी जाये। जहां तक मेरे हल्के के गांवों का पानी निकालने का सवाल है, वह लोहारू कैनाल के जरिए निकाला जा सकता है। लोहारू कैनाल के 11 पंप चल रहे हैं, एक दिन 14 पंप चले थे। वहां पर 300-350 क्यूसिक प्रति दिन पानी निकल रहा है। जब तक 600 से 800 क्यूसिक पानी नहीं निकल पायेगा तब तक मेरे हल्के का दिसम्बर तक पानी निकलना असंभव है। जहां तक पंप लगाने का सवाल है, मेरे गांव में भी पंप लगे हैं और कुछ दूसरे गांवों में भी पंप लगे हैं। दूसरे दिन जिन गांवों में पंप पहुंचने चाहिएं थे, वे अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि हमें जो भी पम्प सैट्स भेजे जाएं, वे कम से कम 10 क्यूसिक के भेजे जाएं। छोटे पम्प सैट्स दिमागी राहत तो दे सकते हैं कि पम्प सैट्स भेजे हैं परन्तु उनसे पानी नहीं निकलेगा। 10 क्यूसिक के पम्प सैट्स जहां पर बिजली उपलब्ध है, वहां पर चलाया जाए और जहां बिजली नहीं है, वहां डीजल के इंजनों से चला कर पानी निकाला

जाए और पानी नहर में डाला जाए। बढ़वाना फीडर पर पम्प हाउस नं0-3 बन्द पड़ा है, इसको फौरन चालू करवाया जाए। इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ महकमें द्वारा कार्यवाही की जाए। मैं तो यहां तक गुजारिश करूंगा कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करके मुकद्दमे चलाए जाने चाहिएं। हालांकि बारिश तेज चल रही थी लेकिन बिजली उपलब्ध थी। 5 तारीख तक बिजली तब तक उपलब्ध रही जब तक कि पानी बी0एम0एस0 में नहीं घुस गया। बिजली उपलब्ध होने पर मोटर चलाई जा सकती थी परन्तु उन अधिकारियों ने ऐसा बुरा हाल किया हुआ था कि उन्होंने मोटर नहीं चलाई। शायद उन अधिकारियों की नीयत खराब थी जिसकी वजह से यह सारा नुक्सान हुआ है। बिजली मिलने तक उस मोटर को लगातार चलाया जा सकता था। मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस मामले में वे उच्चस्तरीय जांच करवाएं कि 5 तारीख तक पम्प सैट क्यों बन्द रहा? लोहारू नहर के पम्प को बन्द करने में जिसने लापरवाही बरती, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, दादरी शहर में पीने का पानी 8-10 दिन का रह गया है और लोहारु फीडर से ही पानी की सप्लाई होती है लेकिन उसमें फ्लड का गंदा पानी चल रहा है। जब तक फीडर में सफाई वगैरा का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक दादरी में पीने का पानी बाहर से नहीं आ सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि दादरी के लिए पीने के पानी का बन्दोबस्त करवाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही देरे हल्के के जो गांव फ्लड में डूब चुके हैं, उनकी वाटर सप्लाई स्कीमें भी फेल हो चुकी हैं। इन गांवों में पीने का साफ पानी शीघ्र-अति-शीघ्र उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध करें। अध्यक्ष महोदय जिन अधिकारियों ने अपने काम में कोताही बरती है, उनके खिलाफ तो ऐक्शन होना ही चाहिये लेकिन जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और लोगों की मदद की है, तथा उन लोगों ने जिन्होंने लोगों की मदद की है, उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं डी0सी0 की तारीफ करूंगा जिन्होंने रात-रात भर जाग कर हमारे साथ लोगों की मदद करते हुए घूमते रहे और उनके साथ ही देखभाल, एस0ई0 खुद घूमते रहे कर, रातों को जाग-जाग कर, लोगों की मदद करते रहे, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि बारिश की समस्या तो थी ही, परन्तु जिन अधिकारियों की लापरवाही से बाकरा हैड से जो पानी वापिस आता है, उसका कोई सोल्यूशन किया जाए और उसका पानी जे0एल0एन0 में डालने के लिए काम शुरू किया जाए। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि जो फ्लड अफैक्टिड ऐरियाज हैं उनमें सभी मकान गिर गए हैं और फसल तबाह हो गई हैं, उनको पूरा मुआवजा देने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए और किसानों को बीज, खाद आदि उपलब्ध करवाने का बन्दोबस्त भी करें। 20 तारीख तक खड़े हुए पानी को निकलवाने के लिए पूरे बन्दोबस्त होने चाहिए ताकि जमीन की बिजाई हो सके। इसके साथ हरिजन बस्तियों में भी बहुत भारी नुक्सान हुआ है, वे पूरी की पूरी तबाह हो गई हैं, उन को भी पूरी मदद की जरूरत

[श्री धर्म पाल सिंह]

हैं, उन गरीब लोगों को भी मकान का मुआवजा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरे हल्के में जो फ्लड के कारण मौतें हुई हैं, उनके आश्रितों को सरकार ने जो मुआवजा फिक्स किया है, वह भी फौरन दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी बाढ़ के पानी को निकलवाने का प्रबन्ध करें, तथा लोहारु फीडर के पम्पों को शीघ्र चालू किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि अब टाईम कितना और बढ़ाया जाए ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आधी रात तक की बात कही थी तो अब कम से कम 11 बजे तक टाईम तो बढ़ाएं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जब तक चाहें समय बढ़ा दें। लेकिन कल सुबह 9.30 बजे से हाउस चलेगा और ये जब तक चाहे बोल लें। ये चाहें तो 3 बजे तक बोल लें और उसके बाद मुझे भी जवाब देने में एक घंटा तो लगेगा।

Mr. Speaker : Now the house stands adjoured till 9.30 A.M. tomorrow, the 27th September, 1995.

*19.00 Hrs. | (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday the 27th September, 1995.)

27186—H.V.S.—H.G.P., Chd.